खण्ड-276, अंक-4
गुरूवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1890
(20 मार्च, 1969 ई0)

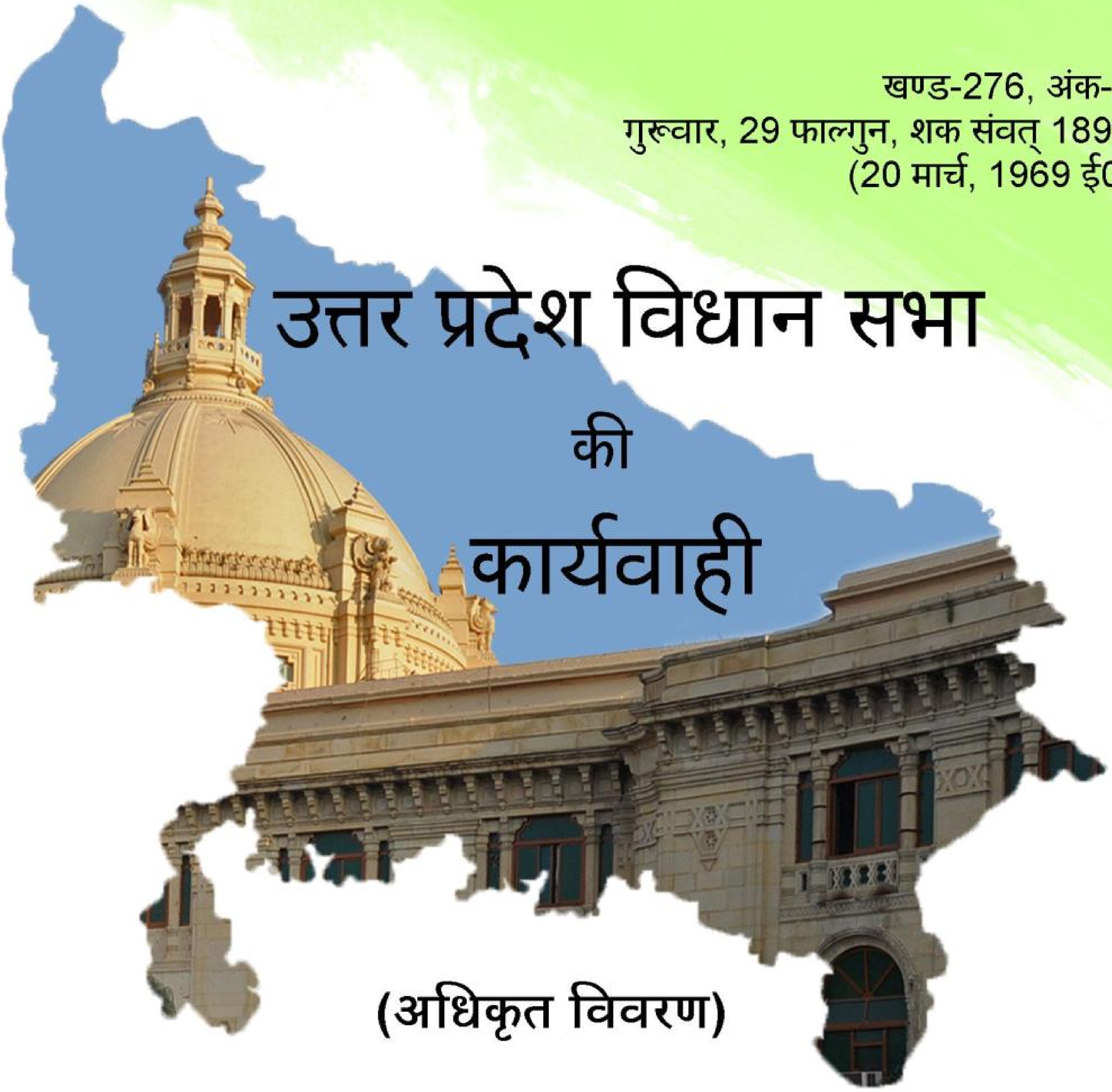

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 276 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, २० मार्च, १९६९ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोबिन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—४००

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवैद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकांत, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णमगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)

गंगा सिंह, श्री
गजेंद्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घोसीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कांत सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेंद्रपाल सिंह, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेंद्र सिंह, श्री (जिला चमोली)
नरेंद्र सिंह, श्री (जिला पिथौरागढ़)
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परगाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी, श्रीमती

प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण, श्री
फिरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसंतलाल, श्री (जिला जालौन)
बसंत लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसंतलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भान प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भान प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्या, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महाबीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेंद्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेंद्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेंद्र दत्त दुबे, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजयसिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेंद्र कुमार शर्मा, श्री

राजेंद्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेंद्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राम, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामवचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन, श्री
(जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामरतन, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामाशिख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसेन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लोकाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ती देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री

शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह, श्री
शिवशंकर, श्री
शिन शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहनलाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हनीदा हबीबुल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

जनाब वाला, मुझे एक निवेदन करना है कब्ल इसके कि आप कोई कार्यवाही शुरू करें।

श्री अध्यक्ष—

कहिये।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

एक मसला पत्रों और अखबारों में फैला हुआ है कि कुछ मेम्बरान ने उर्दू में हलफ ली या हिन्दी में हलफ ली । इस सिलसिले में हमारी असेम्बली के दो जिम्मेदार मेम्बरान ने कल कोई इत्तिला रिकार्ड के आधार पर असेम्बली में दे दी । श्री मेहरबान सिंह और श्री मित्थल, सचिव ने कुछ बयान . . . . .

श्री अध्यक्ष—

क्या आप कोई विशेषाधिकार का सवाल उठा रहे हैं ?

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

मैं अभी निवेदन कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन निवेदन तो इस वक्त नहीं आवेगा ।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

फिर निवेदन किस वक्त किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

एजेंडे के हिसाब से तो निवेदन नहीं आयेगा ।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलई—

लेकिन मुझे तो बहुत थोड़े में निवेदन यह करना है कि इस किस्म की गलत चीज की गयी है उसके मुताल्लिक स्पष्टीकरण हो जाय । मेहरबान सिंह जी और आपके सेक्रेटरी, श्री मित्थल ने कोई चीज प्रेस को दी है . . . .

श्री अध्यक्ष—

आप यह लिखकर भेज दीजियेगा और मैं उसे देख लूंगा और अगर इजाजत दी जा सकती है तो जरूर दी जायगी ।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

मुझे तो सिर्फ आपकी इत्तिला में इस वक्त लाना था. . . .

श्री अध्यक्ष—

तो क्या आप कोई विशेषाधिकार का सवाल उठायेंगे ?

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

मैं विशेषाधिकार का सवाल जरूर उठाऊंगा यदि मुझे यह मालूम हो जाय कि जो बयान दिया गया है . . . .

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई बात आपको मालूम करनी हो तो वह भी लिखकर भेज दीजियेगा, मैं उसे देख लूंगा, मगर उसके लिये यह वक्त नहीं है ।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

मैंने कोशिश की कि वह बयान हासिल कर लूं लेकिन मैं नहीं हासिल कर सका लिहाजा मैं कहना चाहता हूं कि दोनों साहबान हाउस में बैठे हुए हैं और आप उनसे जानकारी करके मुझे बतला दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं बगैर जांच किये तो नहीं बता सकता। इस तरह से गलत काम तो यहां नहीं हो सकता। आप कृपा करके बैठें।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

मुझे यह बतला दें कि ऐसा बयान इस हाउस में....

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, इसके लिये मैंने बतला दिया कि आप मुझे लिखकर भेज दीजिये। आप कृपा करके बैठें।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

मेरी गुजारिश तो सुन लीजिये। मैं विशेषाधिकार की फौरन नोटिस देना चाहता हूं लेकिन मुझे उस बयान के बारे में मालूम हो जाय तब....

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह व्यवहार श्रीमन्, आपत्तिजनक है जो माननीय सदस्य ने किया है।

श्री अध्यक्ष—

जी हां, आपत्तिजनक है। आप बैठ जाइये।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य ने क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष—

आप तो बहस कर रहे हैं, मेहरबानी करके बैठ जाइये।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

मैं बहस नहीं कर रहा हूं। महज गुजारिश कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

अगर हर माननीय सदस्य इसी तरह से गुजारिश करना शुरू कर दें तो फिर दिन भर यही होता रहेगा। मैं जब आपसे कह रहा हूं कि मुझे आप लिखकर भेज दीजियेगा और जब मैं उसको पूरी तरह से समझ लूं तब आपको इजाजत दे दूंगा।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

अच्छा तो मैं विशेषाधिकार का नोटिस दे रहा हूं इन दोनों के ही खिलाफ, वरना बाद को आप कह देंगे कि देर हो गयी और उसे नहीं ले सकता। मैं उसे लिखकर भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप भेज दीजियेगा।

कतिपय समाचार पत्रों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय कृष्णचन्द शर्मा जी ने और एक अन्य सदस्य ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है कि कुछ अखबारों में उनके नाम गलत छापे गये हैं। "कृष्णचन्द्र शर्मा को" लक्ष्मीचन्द

[श्री अध्यक्ष]

शर्मा" एक पेपर ने लिखा है और दूसरे पेपर ने "किशन सिंह" लिखा। इसी तरह से इन्द्रपाल जी के नाम के स्थान पर "इन्द्रमणी" लिखा गया है। मैं समझता हूं कि ऐसी गलतियां अखबारों से कभी-कभी हो जाती हैं। तो मैं उनके प्रतिनिधियों से जो यहां पर हों, कहूंगा कि जो नाम यहां पर लिये जायं उनकी जांच करने के बाद वे अखबारों में दें। विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उठाने को मंजूर नहीं करता हूं। यह मामूली फुटकर सी बात है और विशेषाधिकार की अवहेलना का मामला नहीं बन सकता। विशेषाधिकार का प्रश्न तो मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि अखबार वालों ने जानबूझ कर ऐसी गलतियां की ही नहीं होंगी, वह गलती से हो गया होगा और इसलिये नाम छापने से पहले सही नाम की वे जांच कर लिया करें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब श्री जगदीश गांधी अपने उस दिन के भाषण को जारी रखेंगे जो वे धन्यवाद के प्रस्ताव पर दे रहे थे।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव में कुछ संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल जी ने अपने छपे हुए भाषण के पृष्ठ १० पर कहा है :—

"सरकार यह अनुभव करती है कि भावी पीढ़ी के निर्माण एवं विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्रों में बहुत कुछ करना है"। लेकिन श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल जी ने....

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, क्या लिखा हुआ भाषण यहां पढ़कर सुनाया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

आपके पास यदि नोट्स हों तो उनको आप देख सकते हैं लेकिन लिखा हुआ भाषण पढ़ नहीं सकते हैं।

श्री जगदीश गांधी—

श्रीमन्, मैं आपसे कह रहा था कि महामहिम राज्यपाल जी ने भावी पीढ़ी के निर्माण और विकास के लिए अपने भाषण में केवल पांच बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना यानी १९६९ से १९७४ तक पांच वर्षों में ६ वर्ष से ११ वर्ष के ११,१८,००० अतिरिक्त बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था वह इन पांच वर्षों के अन्दर करेंगे। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि चौथी योजना में कुमायूं में विश्वविद्यालय की स्थापना की जायगी। तीसरी बात उन्होंने यह कही है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह दूसरे डिग्री कालेजों में पोस्ट ग्रेजुएट क्लास खोल सकें। चौथी बात उन्होंने यह कही है कि भारत सरकार की सहायता से विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का हिन्दी में प्रकाशन करने के लिए एक निगम की स्थापना की जाय। पांचवी बात उन्होंने यह कही है कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड का विकेंद्रीकरण किया जायगा। श्रीमन्, जहां महामहिम राज्यपाल महोदय ने ये बातें कही हैं कि भावी पीढ़ी के निर्माण और विकास के लिये यह सरकार पांच वर्षों में ये पांच कार्य करेगी तो मुझे श्रीमन्, इस संबंध में यह निवेदन करना है कि पांच वर्षों में यह केवल ५ काम सरकार करेगी और इन पांच कामों से इस प्रदेश का भावी पीढ़ी का निर्माण होगा और विकास हो जायगा तो मुझे इसमें संदेह है।

† १८ मार्च, १९६९ को कार्यवाही से।

मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने अपने २० पृष्ठ के भाषण में ३० प्रतिशत समय शिक्षा पर बोलने के लिये दिया है। इससे प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने भाषण का एक बटा सात हिस्सा शिक्षा पर बोलने के लिये दिया। यह बहुत ही महत्व की बात है कि उन्होंने इसका महत्व समझा और शिक्षा पर एक बटा सात समय दिया। श्रीमन्, मुझे संदेह है कि यह जो उन्होंने पांच वर्ष के लिये ५ बातें रखी हैं इनके द्वारा इस प्रदेश की भावी पीढी का निर्माण होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा की गाड़ी चार पहियों पर चलती हैं। पहला पहिया शिशु शिक्षण अर्थात् पूर्व-प्राथमिक शिक्षा है। माता की कोख से जन्म लेकर जिस समय बालक धरती पर आता है उस समय वह जन्म से लेकर २ वर्ष तक माता की गोद में रहता है और फिर २ वर्ष से लेकर ६ वर्ष तक वह इन तीन अवस्थाओं से गुजरता है। तो इसमें ही उसको शिशु शिक्षण मिलता है और उसी को पूर्व-प्राथमिक शिक्षण कहते हैं। इसी अवस्था में बालक के संस्कार निर्मित हो जाते हैं। माता के पेट से बालक भावनायें सीखता है। माता की कल्पनायें और माता की विचारधारायें और आदर्श को जन्म से लेकर २ वर्ष तक की उमर तक बालक माता के घर में रहकर, माता की गोद में रहकर खेल कूद, लोरी, गीत और गानों के द्वारा वह अपने मस्तिष्क को भरता है। वे विचार और भावनायें उसके मस्तिष्क में जमती हैं और वे जीवन पर्यन्त उसके साथ चलती हैं।

दो वर्ष से लेकर ६ वर्ष तक यह शिशु शिक्षा जिसको प्राथमिक शिक्षा कहते है वह नर्सरी स्कूल में जाकर या प्राथमिक शिक्षा के स्कूल में जाकर तरह तरह के खेल खेलना, मनोवैज्ञानिक भावनायें, साधन और शिक्षा के खेलों के द्वारा वह अपने को विविध रूप में संगठित करता है। यह पूर्व-प्राथमिक शिक्षा या शिशु शिक्षण है जिस पर आज दुनियां के उन तमाम देशों का ध्यान गया है जो आर्थिक दृष्टि से विकसित हैं। उन देशों में अमेरिका, फ्रांस, रूस, और इंग्लैन्ड हैं जिन्होंने इस शिशु शिक्षण पर जोर दिया है। हमारे देश में भी एक जमाना था जब श्रीमन्, माता की गोद में लोरी, गीतों और कहानियों के द्वारा बालक का शिक्षण होता था और बालकों के संस्कार निर्मित कर दिये जाते थे। लेकिन वर्तमान शिक्षा पद्धति ने इन मान्यताओं को खोखला कर दिया है और आजकल बालकों को माताओं की गोद में शिक्षा नहीं मिलती है।

दूसरी अवस्था आती है ७ वर्ष से लेकर ११ वर्ष तक के बालकों की। इसको कहते हैं प्राथमिक शिक्षा। यह शिक्षा का दूसरा पहिया है। तीसरी शिक्षा होती है माध्यमिक शिक्षा। इसके दो स्तर होते हैं–एक पूर्व माध्यमिक जिसमें १२ से १४ वर्ष तक के बच्चे आते हैं और इसमें ६, ७ और ८ तीन दर्जे आते हैं; इसके अलावा जो दूसरा स्तर है वह माध्यमिक शिक्षा का है, इसमें १५ से १८ वर्ष तक के बच्चे आते हैं और ९, १०, ११ और १२वीं कक्षायें आती हैं।

यह शिक्षा के तीन पहिये हो गये। अब चौथा पहिया होता है विश्वविद्यालय की शिक्षा का जो १८ वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों को दी जाती है। इसमें सामान्य शिक्षा बी०ए०, एम०ए० आदि, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और विशिष्ट शिक्षायें आती है।

श्रीमन्, इस प्रकार से शिक्षा की यह चार पहियों की गाड़ी है। लेकिन हमारे प्रदेश और देश के अन्दर तीन पहियों गी गाढ़ी ही चलायी जाती है। बालक को मां की गोदी की शिक्षा नहीं मिलती, इससे बालक के विचार ससंगठित नहीं हो पाते है और बालकों के जो २ से ६ वर्ष तक के संस्कार निर्मित होते हैं वे, नहीं हो पाते। श्रीमन् मेरा सुझाव है कि हमारी सरकार को शिशु शिक्षा और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिये जिस प्रकार से विदेशों में इस शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। श्रीमन्, शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है इसलिये राज्य का यह कर्तव्य है कि वह उसकी ठीक ठीक व्यवस्था और शिक्षा के चारों स्तरों १—शिशु शिक्षण अथवा पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, और विश्वविद्यालय की शिक्षा, इन चारों पर ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा शिक्षा के द्वारा बालकों को शिक्षा के चारों स्तरों पर मानसिक, शारीरिक, शैक्षिक, चारित्रिक, भावात्मक तथा संवेगात्मक शिक्षा का प्रबन्ध राज्य की

[श्री जगदीश गांधी]

ओर से किया जाना चाहिये। इसके लिये हमें समिति का गठन करना चाहिये जो इस बात पर विचार कर सके कि वर्तमान शिक्षा में किन किन सुधारों की आवश्यकता है।

श्रीमन्, जैसा कि राज्यपाल महोदय ने कहा है, यदि सरकार वास्तव में भावी पीढ़ी को निर्मित और विकसित करना चाहती है तो इन बातों पर ध्यान देना होगा। उसमें सबसे पहले आती है, माताओं की शिक्षा। माताओं की शिक्षा की सबसे बड़ी सीढ़ी है माताओं की साक्षरता, दूसरा है मातृत्व का ज्ञान, तीसरा है बालकों के लालन पालन का ज्ञान, और चौथी है माता का धार्मिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान विस्तार। जब हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तभी माताओं की शिक्षा के बारे में हम कुछ सही रास्ता अपना सकते हैं। इसके लिये हमें गांव गांव, शहर शहर में मातृमंडलों की स्थापना करनी होगी जिस में हमें माताओं की शिक्षा, बालकों के लालन पालन के बारे में उनको बताना होगा। जब माताओं को इन बातों का ज्ञान हो जायगा तभी हम बालकों में श्रेष्ठ नागरिक होने का बीजारोपण कर सकते है।

दूसरी चीज है शिशु विद्यालय और पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना। हमारे देश में नर्सरी स्कूल और पूर्व प्राथमिक विद्यालय गांव-गांव में खोले जायं और २ वर्ष से लेकर ६ वर्ष के बालकों में सुन्दर संस्कारों के निर्माण करने हेतु तरह-तरह के माडल्स, चार्ट्स, पुस्तकालय और शैक्षिक उपरकण एवं साज सज्जा का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाय। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे १० मिनट और दे दिये जांय। मैं एक राष्ट्र के महत्व के प्रश्न पर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं। अभी आपके दो मिनट बाकी हैं। सभी लोग राष्ट्र के महत्व के प्रश्न पर ही बोलते हैं।

श्री जगदीश गांधी—

तो कम से कम ५-७ मिनट तो अवश्य दे दिये जायं। श्रीमन् विद्यार्थियों के बारे में मुझे एक आवश्यक बात यह कहना है कि विद्यार्थियों को जिन विषयों में रुचि नहीं है, उन विषयों को उन पर लादने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट में यदि कोई विद्यार्थी किसी एक विषय में फेल हो जाता है तो उसके प्रति कठोर नीति नहीं अपनायी जानी चाहिये।

जिन विषयों में पास होता है उन्हीं को पढ़ने के लिये अगली कक्षा में उसे मौका दिया जाय। इस तरह से उस विद्यार्थी के अन्दर आत्म विश्वास जागेगा और जिन विषयों में उसकी रुचि है उनमें वह पारंगत होकर अच्छा काम अपने जीवन में कर सकेगा और अपने जीवन में सेटिल हो सकेगा। शिक्षा का अर्थ है—जिसे लैटिन में कहा गया है "एजूकेटम"। "एजू" के अर्थ हैं "अन्दर से", "केटम" माने बाहर निकालना' अर्थात् अन्दर से बाहर निकालना—बाहर से थोपना नहीं। बच्चे की स्वाभाविक रुचि जिस चीज में है उसे मस्तिष्क से निकालना, यही शिक्षा है। तो मेरा निवेदन है कि किसी विषय में फेल होने पर विद्यार्थी को फेल न किया जाय बल्कि उसे आगे पढ़ने की सुविधा दी जाय जिन विषयों में वह पास होता जाता है। भावी जीवन की बेहतरी के लिये आवश्यक है कि हम विद्यार्थियों को श्रमनिष्ट और ग्रामीण उद्योगों में प्रेरणा देने वाली और उन्मुख करने वाली शिक्षा दें ताकि ग्रामीण बालक भी वहीं रहकर अपने जीवन को सफल बना सकें और शहरों की ओर न दौड़ें।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री जगदीश गांधी—

सिर्फ दो मिनट में खत्म करता हूं।

ग्रामीण उद्योग धन्धे, जैसे खादी उद्योग, अनाज व दाल प्रशोधन, धानी तेल उद्योग, ग्रामीण चर्म उद्योग, कुटीर दियासलाई, गुड़ खांडसारी उद्योग, ताड़गुड़ उद्योग, अखाद्य तेल उद्योग, साबुन उद्योग, हाथ कागज उद्योग, ग्रामीण कुम्हारी उद्योग, रेशा उद्योग, बढ़ईगीरी उद्योग, लुहारी उद्योग, चूना निर्माण उद्योग, गोबर गैस व खाद उद्योग, ग्राम उद्योगी भंडार, मुर्गी पालना, शहद की मक्खियां व रेशम के कीड़े पालन, ईंट भट्टा, होजरी उद्योग, आटा चक्की उद्योग, कढ़ाई बुनाई उद्योग, आदि उद्योग गांवों में चालू किये जांय तो गावों के विद्यार्थी शहरों की ओर न दौड़ेंगे और उन्हें काम मिल सकेगा।

मैं इतना कहते हुये समाप्त करता हूं, लेकिन समय के अभाव से जो कुछ मैं कहना चाहता था वह नहीं कह पाया। परीक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन होना चाहिए और इतनी बात और है कि नशाबन्दी दो अक्तूबर तक पूर्ण रूप से लागू की जाय। नशा केवल इसलिये पिलाया जाता है क्योंकि लोगों को, नशा पिलाने वालों को, बहुत आमदनी होती है और उसमें हमारे राजनीतिज्ञ हिस्सा बटाते हैं। मेरा निवेदन है कि नशे को पूर्ण रूप से बन्द कर देने से कोई हानि सरकार को नहीं होगी। उससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उससे प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी।

श्री दीपनारायण (जिला देवरिया)—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो आजका कार्यक्रम छपा हुआ है उसमें जिस प्रकार कार्य-स्थगन का आर्डर आफ प्रिफरेंस है, परसों भी मैंने एक दफा ५६ के अन्तर्गत और आज दफा ५१ के अन्तर्गत सूचना दी थी—बहुत आवश्यक प्रश्न हैं लोकहत्व के, इसलिये उन पर विचार किया जाय, लेकिन भाषण जब प्रारम्भ हो जाते हैं तो शाम के ५ बजे तक चालू रहते हैं, तो उसके लिये समय कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप नियमों को देखें। नये नियमों के अनुसार ४ बजे ऐसे विषयों का फैसला होता है और चार बजे मैं रोज सुना देता हूं कि मैंने स्वीकार किये या नहीं किये। ४ बजे आपको पता लग जायगा।

दूसरी चीज यह है कि यह व्यवस्था का सवाल नहीं है। इसकी जानकारी आप मेरे कमरे में कर सकते थे।

*डाक्टर हरिप्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण और उस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं। अभिभाषण का अगर अध्ययन किया जाय तो एक बात उसमें से स्पष्ट निकलती है और वह यह कि यह प्रयत्न किया गया है पूरे अभिभाषण में कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को किस प्रकार से स्वस्थ और सुदृढ़ बनाया जाय।

यों तो आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त और भी क्षेत्र हैं जिनमें समस्याओं के समाधान के संबंध में चर्चा की गई है। सामाजिक क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, पिछड़ी हुई जातियों का क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में उनकी समस्याओं की न केवल चर्चा की गई है अपितु उन के समाधान की भी बात की गई है। शैक्षिक क्षेत्र में भी इस प्रकार की समस्याओं का विवरण हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र, शासकीय क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र इन तीनों क्षेत्रों को सब से अधिक बल दिया गया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को हम सुदृढ़ कर सकते हैं। सम्भवतः यह कहा गया कि इस अभिभाषण में प्रदेश की समस्याओं का उचित विवेचन नहीं हो सका है परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विवेचन बहुत अच्छी तरहसे हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में एक आवश्यक कदम उठाया गया है कि ६ से ११ वर्ष की आयु के बालकों के लिये, ११ लाख १८ हजार बालकों के वास्ते प्राविधान किया गया है कि हम उन को शिक्षित करेंगे। परन्तु इतना करने के बाद भी हम केवल ९१ प्रतिशत ६ से ११ वर्ष की आयु वाले बालकों को ही शिक्षत कर सकेंगे। हमारे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर हरिप्रसाद शाही]

यहां गोरखपुर में ही इस आयु के साढे ३ लाख बालक और बालिकायें हैं लेकिन उन में से हम अभी केवला साढ़े ३ लाख को ही शिक्षित कर सकें हैं, करीब एक लाख के बाकी हैं। इस तरह से यह एक बड़ी समस्या है।

विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की भी चर्चा यह हुई है। बोर्ड परीक्षाओं के विकेन्द्रीयकरण की भी चर्चा की गई है और कह गया है कि उनका विकेन्द्रीयकरण किया जाय। यह अब आवश्यक इस लिये भी हो गया है कि इस वर्ष ९ लाख विद्यार्थी हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट परीक्षा में बैठ रहें हैं और प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक के विद्यार्थियों को बहुत सी असुविधायें होती हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि १४ हजार के करीब अनफेयर मीन्स अडाप्ट करने वाले विद्यार्थियों के केसेज पाये गये और परीक्षा के ४-५ मास के बाद तक वह केसेज नहीं देखे जा सके और लड़कों को आगे पढने की सुविधा में बाधा पड़ी। इस तरह से विकेन्द्रीयकरण कर के ५ भागों में इस कार्य को किया जायगा, प्रदेश के भिन्न भिन्न अंचलों में परीक्षाओं के कार्य को विकेन्द्रित कर दिया जायगा और यह प्रश्न बहुत कुछ हल हो जायगा।

यह भी सही है कि हम विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा में भी सुधार लाना चाहते हैं। जहां हम ६ से ११ वर्ष के आयु वाले बालकों के लिये सुधार कर रहें हैं वहीं उस के साथ-साथ अध्यापकों के वेतनक्रमों में भी कुछ सुविधायें देने जा रहें हैं। मैं यह मानता हूं कि उतनी सुविधायें नहीं दी जा सकी हैं जितनी कि अपेक्षित है, जितनी हम देना चाहते हैं। गैर सरकारी और सरकारी अध्यापकों के वेतनों में हम अभी एक रूपता नहीं ला सके हैं, पैरिटी नहीं ला सके हैं लेकिन अब काफी स्केल्स दोनों के एक हो गये हैं। अभी प्राथमिक रूप से कुछ किया गया है आगे के लिये सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है। एक बात जरा सी अभी जरूर खटकती है कि जहां यह सब किया गया है वहां पाठ्य पुस्तकों में भी परिवर्तन की जरूरत है। यह माननीय होगा कि पिछले ६०–७० साल में जो राष्ट्रीयता का यहां उदय हुआ था और जो राष्ट्रीयता की भावना उत्तरोत्तर बढ़ी थी पिछले २० साल में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उसमें थोड़ा सा ह्रास ही हुआ है और उसके स्थान पर एक दूसरी धार्मिक भावनाओं को प्राथमिकता दी गई है और वह पक्ष ही प्रबल हुआ है।

पिछले चुनाव में तो एक बात स्पष्ट हो गई है। उस धार्मिक भावना के स्थान पर जातीय भावना को भी बल मिला है। वह भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम समझते हैं कि राष्ट्रीयता के स्थान पर धार्मिक भावनाओं का बढ़ाना और जातीय भावनाओं का बढ़ाना यह बहुत घातक है। इसलिये आवश्यकता इस बात की प्रतीत होती है कि ऐसे साहित्य को तैयार करने की जरूरत पड़ेगी जिस साहित्य को हम संविधान में किये गये वायदों के अनुसार उतार सकें चाहे वह आर्थिक विषमता हो, धार्मिक भावनाओं की विषमता हो, उन सब विषमताओं को दूर करने की बात करें। जहां पर हमने तय किया है कि हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं, उसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रयत्न करें इस बात की कि हम अधिक से अधिक ऐसा साहित्य तैयार करें जो साहित्य गणतन्त्र को बल दे, जो साहित्य समाजवाद को बल दे, जो साहित्य धार्मिक निष्पक्षता को बल दे,। ऐसे साहित्य में न केवल रचना की आवश्यकता है बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि वह बालकों तक पहुंच जाय और उस साहित्य से बालकों में एक प्रकार का बोध उत्पन्न हो। दूसरी बात जैसा कि हमने कहा कि आर्थिक क्षेत्र में हमारी नीतियां स्पष्ट हों। यह बात कही गई कि उस पर हम सबसे अधिक बल देना चाहते हैं और अगर उसकी विवेचना करते हैं तो हमारे ४१ माननीय सदस्यों ने संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं और उन प्रस्तावों की संख्या १८५ है। उसकी अगर विवेचना करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें कम प्रस्ताव आये हैं संशोधन के, बल्कि दूसरा जो क्षेत्र है शासकीय तथा सामाजिक उनमें अधिक आये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी जो नीति आर्थिक क्षेत्र की है वह सुदृढ़ है। हम कहना चाहते हैं उस पर बल दिया गया है।

हम एक तरफ सिंचाई के साधनों और कृषि के साधनों पर बल देंगे लेकिन आवश्यकता इस बात की प्रतीत होती है कि जहां पर हम कृषि के साधनों पर बल दे रहें हैं वहां पर उद्योगों

के साधनों पर भी बल देना होगा ताकि उन दोनों में सामंजस्य स्थापित हो सके। हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने केवल कृषि के साधनों पर बल दिया था। वह तो बहुत जाने-माने सिद्धान्त हैं। परन्तु आवश्यकता तो इस बात की है कि खेती पर से आदमियों को निकाल कर उद्योगों की तरफ लगायें, परन्तु जरूरी है पहले कि दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाय। खेती और उद्योग दोनों क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करके ही आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस संबंध में हम यह कहना चाहते हैं कि आखिरकार आप किस प्रदेश की आर्थिक नीति को नापेंगे? लागत पूंजी के स्तर पर उसके इन्वेस्टमेन्ट पर कि कितना इन्वेस्टमेन्ट प्रति व्यक्ति किया गया है। यह भी बात सही है अपने स्थान पर और इस प्रकार की भी व्यवस्था आई है कि जमीनें हमारी पुराने नियोजन के अनुसार हैं जहां पर हम पर-कैपिटा आउटले पर जोर देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि पर-कैपिटा आउटपुट पर जोर देना चाहिये था। आउटपुट और आउटले इन दोनों में संबंध स्थापित करने की आज आवश्यकता प्रतीत होती है। इसमें जहां तक मूल्यों का सवाल है, यह मैं मानता हूं कि सिंचाई के साधन उपलब्ध किये जायेंगे, हम खाद का भी प्रबन्ध करेंगे लेकिन एक बात इसमें आवश्यक प्रतीत होती है कि जहां पर एक तरफ मूल्य इन रासायनिक खादों का, पानी का बढ़ता जा रहा है वहां दूसरी तरफ अनाज का भाव घटता जा रहा। इसलिये मैनुफैक्चर्ड गुड्स में और जो गल्ला है इन दोनों मे सामन्जस्य स्थापित करने की आवयश्कता है।

पिछले वर्षों में गल्ला तो तेजी से बढ़ा था लेकिन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स धीरे-धीरे बढ़ें। परन्तु बाद में हम देखते हैं कि गल्ले का भाव बड़ी तेजी से गिर रहा है और मैनुफैक्चर्ड गुड्स की प्राइसेज एक ही स्थान पर हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं कि इनके सामंजस्य की आवश्यकता है और साथ ही साथ स्थिरता की आवश्यकता है। इस संबंध में यह बात उल्लेखनीय है कि अगर हमारे प्रदेश में स्थिरता और सामंजस्य स्थापित नहीं किया गया तो जो देहात के लोग हैं, उनमें बुरी भावना उत्पन्न हो जायगी। गोरखपुर में एक स्थान पर बी०के०डी० के नेता द्वारा यह कहा गया था कि १२ रुपये ७६ पैसे में एक क्वि० गन्ना और १ रुपया में ३ किलो गेंहूं बिकेगा। जो दाम फिक्स करने के स्वीकृत सिद्धान्त हैं उनसे मैं समझता हूं यह बात बिल्कुल गलत है।

श्री चरणसिंह (जिला मेरठ)--

आपने यह फरमाया कि मैंने कोई स्पीच दी है और उसमें यह कहा गया है। अगर आपने ऐसा पढ़ा है तो गलत पढ़ा है।

डाक्टर हरि प्रसाद शाही--

इसलिये आवश्यकता इस बात की प्रतीत होती है कि जो मूल्य फिक्स करने के जाने माने सिद्धान्त हैं या जो मांग और पूर्ति के सिद्धान्त हैं, उनसे दाम फिक्स किये जायं न कि इस प्रकार भाषण दे देकर।

दूसरी बात क्षेत्रीय असंतुलन की है। इस प्रदेश को जहां हम भौगोलिक दृष्टि से कई भाग में बांट सकते हैं वहां पर हम पर-कैपिटा इन्कम और आर्थिक दृष्टि से भी बांट सकते हैं। इस प्रदेश की २४४ रुपये पर कैपिटा इन्कम है जबकि पूरे देश की ३१५ के लगभग है। इस २४४ की भी पर कैपिटा के क्षेत्र को अगर विभक्त करें तो इसे भी ५ हिस्सों में बांट सकते हैं। पश्चिमी क्षेत्र जिसमें लगभग १८ जिले आते हैं, वहां की पर कैपिटा इन्कम ३३० है, मध्य के क्षेत्र के जिलों में ३१५ के करीब आती है। बुन्देलखंड में अधिक जमीन होने के कारण यह ३७८ के करीब आती है, लेकिन अगर आप पूर्वी जिलों को देखें तो वहां पर केवल २०६ है। देवरिया की पर कैपिटा इन्कम केवल १४४ है, गोरखपुर की २१५ के करीब है और आजमगढ़ की १९९ है। पूर्व के ९ जिले ऐसे हैं, वाराणसी और प्रयाग को छोड़कर, कि जहां की पर कैपिटा इन्कम २०० के आसपास है। एक ओर तो इन पूर्वी जिलों की पर कैपिटा इनकम का यह हाल है और दूसरी ओर वहां पर बाढ़ भी आती है और सूखा भी पड़ता है। कभी-कभी तो दोनों ही एक साथ हो जाते हैं। बुन्देलखंड का हाल यह है कि वहां पर जमीन तो काफी है लेकिन सिंचाई के लिए पानी नहीं है। पहाड़ों में भी पिछड़ा क्षेत्र है। वहां के विकास

[डाक्टर हरिप्रसाद शाही]

के लिए एक विकास बोर्ड बनाया तो गया है पर जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक विकास बोर्ड बनाया गया है उसी प्रकार से बुन्देलखंड क्षेत्र के लिए भी एक विकास बोर्ड बनाया जाय। साथ ही साथ जो भू-भाग और पिछड़े हैं, उनके लिये भी एक विकास बोर्ड की स्थापना होनी चाहिये।

मैं यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो स्थिति हमारे पूर्वी जिलों क है उसके लिए भी एक बोर्ड (विकास) बनवावें जिससे हम उस भू-भाग को भी ऊंचा उठा सकें। यह एक कुचक्र है, यह एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। जब एक व्यक्ति गरीब हो जाता है तो वह कम भोजन करेगा, उसमें शक्ति कम हो जायगी और फिर वह काम भी कम कर पायेगा। फिर उस कुचक्र में जा कर उसे भोजन नहीं मिलेगा। तो जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसके पीछे वही कारण है क्योंकि वे गरीब हैं इसलिये पिछड़े हुये हैं। अगर एक मर्तबा उनको उठा दिया जाय, जो टूटी हुई कड़ी है वह उसमें जोड़ दी जाय तो वह क्षेत्र भी पूरे प्रदेश के साथ चल सकेगा और इस प्रकार पूरे प्रदेश की उन्नति हो सकेगी।

*श्री चन्द्रभान (जिला मुजफ्फरनगर)--

अध्यक्ष महोदय, मैंने भी राज्यपाल महोदय के भाषण को सुना और यह देख कर बड़ा अफसोस हुआ कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में ला एंड आर्डर की बिगड़ी हुई हालत की ओर कोई संकेत नहीं किया और न आइंदा लिये जाने वाले स्टेप के बारे में ही कोई बात कही। इलेक्शन के पहले और उसके दौरान इस प्रदेश के अन्दर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो वाकयात नजर आये अगर उनको पूरे तौर से सामने लाया जाय तो जनता के रोंगटे खड़े हो जायेंगे। मुजफ्फरनगर में शामली कैराना क्षेत्र के सलेखचन्द्र की मौत के बारे में आम चर्चा है। उस संबंध में लोगों के सामने जिस प्रकार से तथ्यों को रखने की चेष्टा की गयी उससे यह प्रतीत होता है कि अपने ही क्षेत्र में कंवेंसिंग करते हुए वह मारे गये लेकिन तथ्य इसके विपरीत है।

श्री अध्यक्ष--

आप इस संबंध में जिक्र न करें क्योंकि केस सब्जूडिस है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

अभी यह केस कोर्ट में नहीं गया है ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने गृह सचिव से इस संबंध में पूछा था तो पता चला कि चार्जशीट दाखिल कर दी गयी है। कुछ लोगों ने सरंडर भी किया है, कुछ जमानत पर छूटे भी हैं। इसलिये यह सब्जूडिस है।

श्री चरणसिंह--

सवाल यह है कि एडीशनल आई० जी० ने उस सिलसिले में बाकायदा एक बयान दिया है। अब उस सिलसिले में जो सही तथ्य हैं हमारी राय के मुताबिक उनको भी पब्लिक के सामने आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

जो नियम हैं वे सदन के लिये हैं और उनके मुताबिक जो क्रिमिनल केस सब्जूडिस हो उस पर यहां विचार नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट जो न्याय करने वाली होती है उसके निर्णय पर उससे असर पड़ सकता है। इसी वास्ते यह नियम बनाया गया है और मैं नियम से बाध्य हूं और उसके अनुसार मैं इजाजत नहीं दे सकता।

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया

श्री उदित नारायण शर्मा (जिला फतेहपुर)---

अभी चार्जशीट नहीं दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय मुख्य मंत्री से पूछ लेता हूं । क्या चार्जशीट दे दी गयी है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

चार्जशीट दे दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष---

आप देखें कि चार्जशीट दे दी गयी है । गृह सचिव और मुख्य मंत्री दोनों से पूछ लिया है और उन्होंने यह इत्तला दी है । अब आप तथ्य से इंकार नहीं कर सकते । अगर इसमें कोई गलती निकले और आप मेरी जानकारी में लायें तो मैं फिर उसकी जांच कर सकता हूं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

किस तारीख को चार्जशीट दी गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मेरे खयाल में १७ तारीख को दी गयी है ।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)---

व्यवस्था का प्रश्न है । जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं वे अगर अपनी कोई राय नहीं देते हैं, एक तरफ से फैक्ट्स रखे गये हैं, दूसरी तरफ से वे अपने फैक्टस बतलाना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कह दिया मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

इसी हाउस में बसन्त लाल, बहराइच का भाषण इसी विषय पर हुआ तब इजाजत दे दी गयी थी ।

श्री अध्यक्ष---

मेरे सामने यह बात नहीं आई और आपने कोई आक्षेप भी नहीं किया मेरे सामने ।

मैंने तो नेता विरोधी दल को भी इस बात पर टोका था और वे रुक गये थे ।

श्री चन्द्रभान---

बहरहाल, कम से कम जो आफिशियल स्टेटमेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इस सिलसिले में ९ फरवरी, १९६९ को रिलीज किया था मैं उसको जरूर सुनाना चाहता हूं क्योंकि यह पब्लिक डाक्यूमेंट है और कोर्ट में मामला जाने से पहले रिलीज हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं दूंगा, आप कृपा कर बैठें । इसके अलावा और कुछ कहना हो तो कहें ।

श्री चन्द्रभान---

चूंकि इस सिलसिले में मुझे इजाजत नहीं दी जा रही है इसलिये मैं बतौर प्रोटेस्ट के वाक-आउट करता हूं ।

(श्री चन्द्रभान सदन त्याग कर चले गये ।)

उप-मुख्य मंत्री (श्री कमलापति)--

श्रीमन्, बहुत महीनों बाद पिछले चुनाव के पश्चात् यह सदन यहां एकत्र हुआ और इसके कार्य का शुभारम्भ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से आरम्भ हुआ। यह हम सबके लिये बड़े सन्तोष और प्रसन्नता की बात है कि आपका इस बड़े आदरणीय पद पर निर्वाचन जिस सदाशयता और शान्ति के साथ हुआ उससे हमारे इस सदन का वातावरण बहुत कुछ अच्छा हुआ। मुझे इस सदन में पहले भी बैठने का अवसर मिला है और पिछले दो वर्षों में यहां कुछ अशान्ति का वातावरण दुर्भाग्य से अधिक रहा है। इस बार जब श्रीगणेश हुआ और हमारे विरोधी दल के समस्त नेताओं ने इसमें सहयोग प्रदान किया, सरकार ने भी उनकी बातें स्वीकार कीं, वह बातें भी उचित थीं, तो एक बड़ा सुन्दर वातावरण बना और इसके बाद ऐसा लगा कि अब हम लोग निश्चिन्तता से बैठ कर अपने प्रदेश की स्थिति के सम्बन्ध में विचार करेंगे।

श्रीमन्, कोई बात जो कही जाती है वह बिल्कुल निर्दोष हो या सोलह आने सत्य हो ऐसा तो होता नहीं, शायद निर्दोष इस जगत में कोई है नहीं सिवाय भगवान के नाम के। उसमें त्रुटियां हो सकती हैं, कमियां हो सकती हैं उधर के लोगों की दृष्टि में भी और इधर के लोगों की दृष्टि में भी। पर अभिभाषण होता है गवर्नर का तो किसी सरकार की प्रारम्भिक नीति पर प्रकाश डालता है और दिग्दर्शन कराता है। यह सरकार चुनाव के तत्काल ही बाद बनी और यह स्पष्ट है कि दो वर्षों से अधिक बाद यह बनी। पहले इस दल के लोग यहां बैठा करते थे और दो वर्ष के बाद फिर आये। दो वर्षों में गंगा और यमुना में बहुत पानी बह गया। यकायक सारी बातें तो विस्तार के साथ नहीं कही जा सकतीं इस सरकार का क्या रुख है इस प्रदेश में शासन चलाने के लिये और कौन-सी नीतियां बरतें इसके सम्बन्ध में थोड़ा-सा प्रकाश डाला गया है। ऐसी स्थिति में बहुत सी चीजें रह गई होंगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है। हमारे माननीय नेता विरोधी दल ने जो इस पर अपना भाषण किया, मैं नहीं जानता कि किसी के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा लेकिन मेरे मन पर यह प्रभाव पड़ा कि उनका वह भाषण इस योग्य है कि हम उनको बधाई दें। उनके भाषण में जो गुरुता थी, जिस गम्भीरता के साथ उन्होंने मौलिक प्रश्नों पर ध्यान दिया और विवेचना की अपने मन के अनुसार, भले ही उससे कुछ लोग सहमत हों या न हों लेकिन वह इस सदन की गौरव और गरिमा को बढ़ाने वाली है और मैं उनको बधाई देता हूं और इससे सदन का वातावरण अच्छा बना। उनका भाषण ऐसा था, मुझ से लोगों ने पूछा कि आपको कैसा लगा तो मैंने कहा कि वह भाषण इधर की बेंचेज से होना चाहिये था क्योंकि चौधरी साहब की वह राय थी, वह राय कोई नई नहीं थी, हम जो काम करते रहे हैं, उनकी राय उसमें रही है, या अपने संगठन में भी या अपनी सरकार में भी और जो अपने ऊपर संगठन रहे हैं उनमें भी टीका टिप्पणी उन्होंने की है। हमारी योजनाओं और नीति पर हमारे दल के लोगों को टीका-टिप्पणी करने का सदा अधिकार रहा है, करते रहे हैं और वह खुद भी करते रहे हैं और इस संगठन में अपनी नीति की टीका-टिप्पणी करने की बहुत छूट है, यहां भी, पार्लियामेंट में भी और संगठनों के सम्मेलनों में भी, करते रहे हैं क्योंकि एक राय सामने आती और उसके तदनुकूल वह भाषण था।

इसके बाद किसी प्रकार की गर्मी अनावश्यक बात को लेकर पैदा नहीं होनी चाहिये। सारे प्रदेश में चुनाव एक कटु वातावरण में हुआ और मैं समझता हूं, जैसी कि बहुत से दलों की मांग रही है और प्रायः सभी दलों की ओर से शिकायत है कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाय। मैं भी इससे सहमत हूं और आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यदि अनुचित न हो तो यह अनुरोध करूं कि वह इस विषय पर सोचें कि हर दल के लोग मांग कर रहे हैं तो जुडीशियल इंक्वायरी होनी चाहिये और जो इस सम्बन्ध में बहस उठती है वह समाप्त होनी चाहिये और वातावरण इससे मैं समझता हूं कि अच्छा बनेगा। मैं नहीं जानता, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, हमारी सरकार क्या सोचती है लेकिन मैं सोचता हूं कि इस पर विचार करना चाहिये।

जहां तक सरकार की नीति का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि कोई तफसील के साथ अपनी नीतियों की ओर ध्यान देने और सारी बातों को गवर्नर महोदय के भाषण में रखने का समय हमें नहीं मिल पाया। मौलिक बातों की ओर चौधरी साहब ने ध्यान दिलाया। प्लानिंग में

हमारी कुछ कमियां हो सकती हैं देश में स्वतंत्रता के बाद पहले-पहले हमने योजनायें अपने हाथ में लीं। एक ऐसा देश जो कई सौ वर्षों से पराधीनता में रहा हो और जिसका सर्वस्व नष्ट हो गया हो और चतुर्मुख अदला-बदली हुई हो, आपको याद दिलाऊं कि १९२९ में लाहौर कांग्रेस के बाद तय हुआ कि २६ जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता के लिये संकल्प करेंगे तो उस समय आपको स्मरण होगा कि जो वक्तव्य प्रकाशित किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि देश का चतुर्मुख अधःपतन हुआ। उस समय गांधी जी जीवित थे, उनके सामने का वह प्रस्ताव बना हुआ है। उसमें है कि इस देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक और आध्यात्मिक--चतुर्दिक अधःपतन हुआ है और हम देश की स्वाधीनता चाहते हैं इसलिये कि हमारा जो अधःपतन हुआ है उसका परिहार कर सकें। और यह बात श्रीमन्, सही है कि ऐसा देश जिसका चारों तरफ से अधःपतन हुआ हो, जिसके पास अपना कुछ नहीं रह गया हो उसके उत्थान के लिये सिवा इसके और कोई रास्ता नहीं रह गया है कि हम अपने देश को योजनागत बनावें।

योजनायें हमने अपने हाथों में ली हैं, योजनाओं में कुछ गलतियां हुई हैं। एक अनुभवहीन और एक साधनहीन देश में कोई इतना बड़ा काम जब हम इतने विशाल देश में लेकर चलेंगे तो उसमें भूलें हो सकती हैं। चौधरी साहब ने जिस बात को कहा कि अमीर अमीर हो गये हैं और गरीब और गरीब हो गये हैं, तो यहकोई नयी बात नहीं है। यह बात योजना के संचालन करने वालों ने कही---हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इस बात को बार-बार कहा और हमारे जैसे छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि वाकई हमारी योजना में कहीं न कहीं कोई कमी रह गयी है जिसके कारण जिस स्तर तक हम लोगों को उठाना चाहते थे उस स्तर तक उनको उठा नहीं सके हैं। इसका थोड़ा बहुत असर हुआ है और कहीं हमारी भूल है, कहीं किसी जगह छिद्र हो गया है हमारी योजना में जिससे उस दोष का प्रवाह हो रहा है। मुझे स्मरण है कि मैंने स्वयं अपने अध्यक्षीय भाषण में यह कहा था कि यह बात सही है। यह कहना कि हमारी योजना में कोई दोष नहीं है, कोई भूल नहीं है या योजना के बनाने व उसके कार्यान्वित करने में कोई भूल नहीं हुई है---तो यह दम्भ की बात होगी। दुनिया में हर पार्टी, हर मनुष्य से भूल होती है और हुई है और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने मौजूद हैं।

आज सवाल तो यह है कि इस टीका-टिप्पणी को छोड़ कर हम इस बात पर विचार करें कि हमें करना क्या है यह देश चलेगा, बढ़ेगा---हम और आप---तथा हमारी आपकी पार्टी और नेता नहीं रह जायेंगे। यह देश चलेगा लेकिन कहां भूल हुई है उसको सुधारने की चेष्टा करें। इस बात का किसी ने ठेका नहीं ले रखा है कि देश के लिये केवल वही सोच सकते हैं जो सरकार में बैठते हैं उनका काम जितना देश के लिये सोचना है उतना ही सोचने का काम विरोधी पार्टी और हमारे साथियों का भी है। तो इस दृष्टि से विचार करके हम उसमें अपने को सन्निहित करने की चेष्टा करें ताकि हमारी योजना आगे को चल सके। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस देश का औद्योगिक विकास कृषि के विकास पर ही बहुत अधिक निर्भर करता है। इस देश का औद्योगिक विकास हो नहीं सकता जब तक कि कृषि का विकास न हो। जो देश आज हजारों वर्षों से कृषि के ऊपर आलम्बित है और जो देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है---जब तक उसका विकास न हो, और स्वयं जो इसके उत्पादक हैं। जब तक उनकी क्रय शक्ति न बढ़े, जब तक वे इस लायक न हों कि इतनी अधिक पूंजी पैदा करें जिनको उद्योगों में सन्निहित कर सकें---तब तक इस देश का औद्योगिक विकास नहीं हो सकता है। यह बात स्वीकार कर ली गयी है, देर से ही सही लेकिन अब यह बात स्वीकार कर ली गयी है, योजना कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमारी सारी योजनायें कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। इसके लिये और कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं है।

इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि दुनिया के किसी भी देश में---वहां की गरीबी तब तक दूर हो नहीं सकती---सारा संसार इस बात का साक्षी है कि जब तक भूमि पर लदे हुए बोझ को कम न किया जाय तब तक उस देश की आर्थिक स्थिति उन्नत नहीं हो सकती। हमारे देश में आज भूमि के ऊपर सबसे ज्यादा बोझ लदा हुआ है, उसे हटाने की चेष्टा करनी चाहिये। अब वह

[श्री कमलापति]

हट कैसे सकता है ? मुझे ऐसा लगा जब अभी चौधरी साहब यहां बोले थे कि वह बड़े उद्योगों के समर्थक नहीं हैं। ठीक है उस पर मैं बाद में आऊंगा। छोटे उद्योगों के माध्यम से, जिसे कुटीर उद्योग या ग्रामीण उद्योग कहें---कृषि पर लगा हुआ बोझ हटेगा नहीं तब तक कृषि का उत्पादन उन्नत होकर भी हमारी दरिद्रता को दूर करने में समर्थ नहीं होगा। किन्तु इसके साथ-साथ हमें बड़े उद्योगों की भी परम आवश्यकता है और उनका महत्व किसी भी प्रकार कम नहीं हो सकता। हमें दोनों प्रकार की इंडस्ट्री पर समान रूप से ध्यान देना था। बड़ी इंडस्ट्री हम अपनी प्लानिंग में न रखते तो हमारी एकोनामिक हालत क्या होती। इसे हमें बिना किसी भेदभाव के सोचना है।

हर वस्तु के दो पहलू होते हैं---अच्छा पहलू होता है और बुरा पहलू भी होता है। यदि हम अपनी प्लानिंग में बड़ी इंडस्ट्रीज को स्थान न देते तो छोटी इंडस्ट्री का आधार क्या बनता ? छोटे उद्योगों के लिए हमें बिजली चाहिए और तरह-तरह की मशीनें चाहिए, कृषि के विकास के लिए पानी चाहिए और पानी की व्यवस्था के लिए बड़े बड़े बांध बनने चाहिए और इनके हेतु बड़े बड़े कारखाने आवश्यक हैं। यदि हम अपने यहां बड़े-बड़े कारखानों की व्यवस्था न करते तो हमें तमाम मशीनों की जरूरत के लिए उन्हें विदेशों से आयात करना पड़ता है और उनके मंगाने के लिए हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती और हमारे देश का तमाम धन विदेशों में चला जाता। हमारा करोड़ों रुपया बाहर चला जाता। छोटे उद्योग के लिए हमें लोहा चाहिए, छोटे-छोटे कृषि यंत्रों के लिए जो ग्रामीण उद्योग के अन्तर्गत बनते हमें लोहा की आवश्यकता होती और लोहा कहां से आता जब तक हम लोहा तैयार करने के लिए अपने यहां बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज न स्थापित करते। तो मेरा कहना यह है कि छोटे उद्योगों के विकास के लिए बड़ी इंडस्ट्री की जरूरत पड़ती है वही उसका आधार बनता है तो देश के सम्यक विकास के लिए दोनों ही पर समान रूप से ध्यान दिया गया है इनमें से हम किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं।

गांधी जी कहा करते थे---सर्वोदय। उसी तरह से सामूहिक जीवन भी है जब तक उसमें सम्पूर्णता का विकास नहीं होगा, सब तरफ विकास नहीं होगा तब तक हम एक तरफ पकड़ कर नहीं चल सकते। तो दोनों प्रकार की इंडस्ट्री हमें चाहिए। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान-हिन्दुस्तान युद्ध चल रहा था, तो उस समय पाकिस्तान के एक नेता ने लन्दन में यह कहा था कि हमारे यहां इंडस्ट्रियल बेस जो डिफेन्स में देश की सहायता कर सके ५ परसेंट या १० परसेंट है, जब कि हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा है, आप कुछ भी उनकी मदद न करें तो भी ८५ परसेंट अपना उत्पादन हिन्दुस्तान अपने आप कर सकता है। हमारे देश में इतने अधिक साधन नहीं हैं। मिक्स्ड एकोनामी आपको रखनी पड़ी, बिना उसके हम चल नहीं सकते हैं। अधिक से अधिक जो अपने आधारभूत उद्योग हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में उन्हें लेकर आपस में सहयोग से उन्हें चलाना है। आज उसके लिए मिक्सड एकोनामी चली और उसमें कुछ नतीजा भी निकला। हमारे एक गोरखपुर के सदस्य कह रहे थे कि जिनके पास पैसा है उन्होंने और पैसा कमा लिया और गरीब गरीब रह गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नयी चीज हमारे यहां पैदा किया, हमारे यहां बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज पैदा हुईं, उनमें बड़ा-बड़ा उत्पादन पैदा करने की क्षमता पैदा हो गई।

चौधरी साहब गोबर की बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उलट कर हम केवल उस पर नहीं जा सकते। आजकल नौजवान, श्रीमन्, गांवों में हल चलाने के लिए या गाड़ी हांकने के लिए तैयार नहीं हैं, वह पुरवट चलाने के लिए तैयार नहीं हैं, वह बटन दबाकर पानी निकालना चाहता है। जो हल चलाता रहा है वह पसन्द करता है कि उसके पास ट्रैक्टर हो, वह पढ़ा-लिखा भले ही न हो। उन्हें आज ट्रैक्टर चाहिए, पंपिंग सेट चाहिए और तरह-तरह की मशीनें चाहिए जिनसे बटन दबाने मात्र से काम हो जाए। आज विज्ञान का युग आया है। विज्ञान के साधन यदि हमारी परिस्थिति को ऊंचा उठा सकते हैं तो हम क्यों छोड़ दें। गोबर को अपनाना इस नये वैज्ञानिक युग में पीछे चलने की बात होगी जब कि जमाना आगे चलता है

और चल रहा है, यही विकास की निशानी है। क्या हम उसी पुरानी बौद्धिक सभ्यता पर फिर वापस जाना चाहते हैं, यह हमें सोचना है। आपको उन चीजों में दोष की बात मान कर नहीं चलना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिये कि यही कारण है जिसके वजह से यह नहीं हो रहा है, यह विचार करने का उचित ढंग नहीं है।

श्रीमन्, मैं ऐसा मानता हूं कि यह सरकार जो इस नीति पर चलना चाहती है उसमें आप सब की सहायता चाहता हूं। यह प्रदेश हमारा है, चाहे हम इधर बैठे हों या उधर बैठे हों। यह तो लोकतन्त्र है ही आज हम इधर हैं कल आप इधर हो सकते हैं, यह तो चला ही करेगा। किन्तु हम सबको देश और प्रदेश के प्रति प्रेम होना चाहिये और देश की जनता को ऊपर उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी स्थिति लाने के लिए एक दूसरे का सहयोग आवश्यक है। आज हम प्रदेश में देखते हैं कि एक बड़ा भारी परिवर्तन खेती के काम में आ रहा है। प्रदेश में स्थान-स्थान पर बिजली और स्थान-स्थान पर पानी चाहिए, जिसकी व्यवस्था हमें करनी है। यह हमारे लिए लज्जा की बात है कि हम अन्न के मामले में अभी आत्म-निर्भर नहीं हो पाए हैं। यह हमारा ही नहीं सारे देश का फेल्योर है और इस पर सब को गम्भीरता से सोचना है। आप हमारी यहां पर टीका-टिप्पणी करें। हमारे २० साल के प्रशासन की आलोचना करें और उसमें दोष ही दोष देखें तो इससे काम चलने वाला नहीं है। २० साल में हमने बहुत कुछ किया है — बहुत से अच्छे काम भी हुए बहुत-सी गल्तियां भी हुईं। २० साल की घटनाओं को देखें तो अवश्य बड़े-बड़े काम किये हैं और कुछ भूलें भी हुई हैं। आज हमको पानी चाहिए उसका प्रबन्ध हमको करना है। एक मित्र—श्री नित्यानन्द स्वामी जी कल उधर से बोल रहे थे कि अध्यापकों को बढ़ोत्तरी दे दो, गरीबों के ऊपर कुछ भी टैक्स न लगाओ और उनसे एक भी पैसा न लो, सभी की तन्ख्वाह बढ़ा दो, सब जगह गांव में कुएं खुदवा दो, सब जगह नहरें खुदवा दो, गांव-गांव में बिजली दे दो, तो इस सबके लिए मैं पूछता हूं पैसा आखिर कहां से आएगा? हमारे पास ऐसा कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है कि बिना टैक्स लगाए यह सब काम पूरे हो जाएं। यदि हम बातें ऐसी सस्ती लोकप्रियता के लिए कहें तो हम उनको पूरा नहीं कर सकते। हम प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति पर दुखी हैं। हमारे यहां पर कैपिटा इन्कम कम है, तो साथ ही हमारे यहां पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट भी दूसरे प्रदेशों से कम है, हमें यह भी साथ में देखना है। आखिर इन्कम बढ़ाने के लिए उत्पादन के साधन बढ़ाना चाहिए। पापूलेशन बढ़ी है, सन् ७१ में पहुंचती ९ करोड़। किन्तु उस हिसाब से हमारे उत्पादन के साधन नहीं बढ़े हैं और बढ़ भी कैसे सकते हैं। और उसका असर पड़ता है विकास पर और पड़ेगा, उस चीज को आप छोड़ नहीं सकते।

हम पानी और बिजली देना चाहते हैं। बिजली का उत्पादन जो हमारे प्रदेश में है, पर कैपिटा कन्जम्पशन और प्रदेशों की अपेक्षा हमारे यहां कम है। जब प्रारम्भ में बड़ी-बड़ी नदी योजनाएं बन रही थी तो सोचा जाता था कि इतने बिजली उत्पादन का उपभोग कहां होगा, कैसे होगा, लेकिन जब योजनाएं तैयार होती गईं तो देखा गया कि बिजली का उपभोग बढ़ गया और अपेक्षाकृत उत्पादन कम है। आज हमारे पास बिजली नहीं है। जब रिहन्द बन रहा था तो कहा जाता था कि उसकी बिजली का उपभोग कहां होगा, लेकिन आज हमारे पास कमी है। हमने सिंचाई के लिए तमाम साधन जुटाए हैं। नदियों में जो जल बहता चला जाता था उसका इस्तेमाल किया है, लिफ्ट इरीगेशन की स्कीम चलाई गई है जिससे भी किसानों को काफी राहत मिली है। पानी उठाने की एक नई टैक्निक चलाई गई है। अस्पतालों की हमारे यहां कमी है। वह चाहते हैं उत्पादन बढ़ाइये, बिजली दीजिए, पानी दीजिए और गोबर भी दीजिए, खाद भी दीजिये, नया बीज भी दीजिये, और उत्पादन बढ़ाइये। ये सारे प्रश्न एक दूसरे से मिले-जुले हैं। जो कुछ भी किया जा सकता हो उस पर विचार करना चाहिए।

आप इसमें साथ देंगे ही कि केन्द्रीय सरकार से जो मांग की है वह मांग हम करें। हमारे पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट की बेसिस पर और पापुलेशन की बेसिस पर भी ज्यादा मिल सके लेकिन यह भी सत्य है कि खाली वहां पर हम निर्भर नहीं कर सकते। अपने साधन बढ़ाने ही होंगे उसके लिए हमें कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई नया ढंग खोज कर निकालना होगा। मैं यह

[श्री कमलापति]

निवेदन करूंगा कि यह देश एक बड़े भारी प्रयोग में लगा हुआ है। एक बड़े भारी जनतन्त्र की स्थापना हुई है और इसकी स्थापना देश की राष्ट्रीयता और एकता के आधार पर हुई है। इस जनतन्त्र की रक्षा के लिए देश की एकता आवश्यक है। वह एकता आज खतरे में दिखायी पड़ती है, जिन्हें फिस्सीपेरस टेंडेंसीज कहते हैं, वह स्थिति आज देश में अधिक पैदा हो गयी है। यदि आज अगर हम इस बात क नहीं सोचते कि किस प्रकार मिलजुल कर इस देश के उत्थान के लिए चेष्ठा करें त जो नयी प्रवत्तियां हैं वे देश का विघटन करने पर तैयार हो सकती हैं। अगर लोकतन्त्र की रक्षा करना है, आर्थिक और नैतिक समस्याओं को हल करना है--- नैतिकता के गिरने के लिए एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, सारे देश की नैतिकता किस प्रकार सुधारी जाय इस पर विचार करना है। आक्षेप और प्रत्याक्षेप तो होते ही रहेंगे। लेकिन मौखिक रूप से विचार करें, आगे की ओर भी देखें। आज बहुत से नये साधन और शक्तियां, ज्ञान-विज्ञान से प्राप्त हो रही हैं, उनका उपयोग करके देश को आगे बढ़ाना है। मैं कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के सम्भाषण को सुनने पर मुझे निराशा हुई। मैं आशा कर रहा था कि इस बीस वर्ष की गलतियों --जिनकी स्वीकारोक्ति उप मुख्य मंत्री ने स्वयं की है, इन गलतियों के निष्कर्ष के आधार पर भावी नीति का निर्धारण होगा और यह भी आशा करता था कि माननीय उप मुख्य मंत्री जी अपने भाषण में उन गलतियों के आधार पर बनी हुई नीतियों का उल्लेख करेंगे। परन्तु दुख है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। केवल हम को हरी ओम शान्ति का पाठ बताया। गलतियां हुई हैं यह सत्य है। वह भी इससे इनकार नहीं करते। गलतियों के ऊपर विचार की आवश्यकता है। हमारी सारी योजना कहां गलत हुई। हम चतुर्मुखी विकास करना चाहते थे लेकिन भूल गये कि हमारे रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे मुख्य एसेट्स क्या हैं। उसके लिए प्रायारिटी निर्माण होनी चाहिए थी। प्रायारिटी तय न करने के कारण आज गल्ले के लिए भीख मांगना पड़ रहा है। प्रकृति की जो विभीषिका खड़ी हो गयी है जिसको सूखा कहते हैं वह मनुष्य की अयोग्यता के कारण और उभर गयी है। मुझे खूब याद है कि जिस समय माननीय नेता विरोधी दल राजस्व मंत्री थे और वह उधर बैठते थे, और जब सिंचाई का प्रश्न उठा था तो उन्होंने भी एक सुझाव दिया था। मुझे आश्चर्य है कि उस सुझाव का उन्होंने उस दिन अपने भाषण में उल्लेख क्यों नहीं किया।

हमारे साधन सीमित हैं यह सर्वमान्य बात है। आज हम सब लोग ट्यूबवेल्स नहीं लगा सकते, अपने बांध नहीं बांध सकते। तो जो उन्होंने सुझाव उस वक्त रखा था वह यही था कि १० बीघे पर एक कुआं सरकार अपने साधनों से निर्माण करे जिससे किसान अपने रेहट लगा कर सिंचाई कर सके और उससे कम से कम चार किसान एक साथ सिंचाई कर सकते थे। किन्तु वह नहीं हुआ और आपने अपनी महान् योजनाओं के मोह में फंस कर इस प्रदेश को जो रूस और अमेरिका बनाने का प्रयास शुरू किया तो वह प्रयास न हमें अमेरिका बना पाये और न हमें रूस बना पाये हम केवल भिखमंगे बनकर रह गये। अगर आज वह कुयें बने होते और ट्यूबवेल्स भी बने होते और अगर आज बिजली फेल कर जाती या ट्यूबवेल्स फेल कर जाते हैं तो भी सूखे के वक्त में किसानों को पानी मिल सकता था जो आज नहीं मिल रहा है। उस गलती का परिणाम स्पष्ट है और फिर भी आज उस ओर सोचने का प्रयास भी बिल्कुल लुप्त है। तो मुझे ध्यान आता है इतिहास की उस घटना का जिसमें फ्रांस के बारबोन बादशाहों के बारे में कहा गया था कि "They have learnt nothing and they have forgotten nothing" यानी उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा और न कुछ भुलाया।

आज उप मुख्यमंत्री जी ४० वर्ष पहले की बात की याद दिलाते हैं। वे भूल जाते हैं कि पिछले बीस वर्षों में ही गंगा का कितना पानी बह गया, नयी पीढ़ी आकर खड़ी हुई, जेनरेशन का गैप खड़ा हुआ है। उसकी आशायें और आकांक्षायें अलग हैं। सन् २१ और सन् १८ की पीढ़ी की जो आशायें, जो आकांक्षायें और जो अपेक्षायें थीं वह आज की पीढ़ी की नहीं है। आज

उसकी आशायें, आकांक्षायें और अपेक्षायें भिन्न है और उस भिन्न आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की राज्यपाल जी अपने संबोधन में उपेक्षा किये हैं। आज सर्वसाधारण से पूछे कि वह कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। इस देश में जिस कामन मैन की दुहाई लोग दिया करते थे, मध्या धि चुनाव में उसका उदय हो गया है। हो सकता है कि कहीं कुछ लोगों ने बल प्रयोग किया हो, हो सकता है कि कहीं किसी ने कुछ गलत काम किये हों, लेकिन इस सारे मध्यावधि चुना से एक ही निष्कर्ष ही सामने आ रहा है और वह यह है कि जिस दल और जिन व्यक्तियों ने, जिन विचारों ने, जिन आदर्शों ने कामन मैन की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को मूर्तिमान स्वरूप दिया है वही आगे आये हैं, आज इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है।

कामन मैन की सबसे बड़ी अपेक्षा है भोजन। आप की उपेक्षाओं का ही परिणाम है कि सुरसा के स्वरूप में आज महंगाई हमारे सामने है। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन अभी परसों इसी लखनऊ नगर में मैं एक रिक्शे पर जा रहा था तो वह साधारण-सा रिक्शा वाला यह कहने लगा कि साहब हम दिन भर कमाते हैं तो भी अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकते। अगर आज वह बच्चों का पेट नहीं भर सकता तो उसके मन में क्षोभ, प्रतिशोध, उपद्रव और वायलेंस क्यों नहीं उठेगा। हमारी गलतियों का यह परिणाम है कि जो कामन मैन के दुहाई देने वाले पुजारी हैं उन्होंने प्रजातंत्र को भोग नहीं लगाने दिया है, प्रजातंत्र के देवता की आराधना नहीं की है, पुजारी ने भोग लगा कर स्वयं भोग को खा लिया है। आज उसी का नतीजा है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बड़ा हल्ला मचता है कि भ्रष्टाचार है लेकिन भ्रष्टाचार दूर नहीं होता। भ्रष्टाचार केवल पैसा लेने से नहीं होता, भ्रष्टाचार होता है अपने स्थान का अनुचित लाभ लेने से भी, भ्रष्टाचार होता है मानव की मानवता का दमन करने से भी, विचार स्वातंत्र्य का दमन करना भी भ्रष्टाचार होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता परन्तु सत्ता का दुरुपयोग किस प्रकार किया गया और क्या हो रहा है, मैं एक नहीं सौ-सौ उदाहरण दे सकता हूं।

उस दिन नेता विरोधी दल जी ने सूखे के बारे में ज्यादा नहीं कहा परन्तु मैं स्वयं जानता हूं जिस क्षेत्र से मैं आता हूं जौनपुर जिले में आज पूर्ण रूप से सूखा पड़ा हुआ है। मुख्य मंत्री जी मिरजापुर गये, इलाहाबाद गये बनारस गये लेकिन जौनपुर जिले में आने का माननीय मुख्य मंत्री ने कष्ट उठाने का विचार नहीं किया जब कि मैंने मुख्य मंत्री जी को वहां आने के लिये तार दिया था। इतना ही नहीं वहां पर ४५० गांव सूखे से पीड़ित हैं जिनको मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को ले जाकर दिखा सकता हूं। वहां की यह दशा है कि लोग पानी नहीं पी सकते हैं। यह राजनैतिक भ्रष्टाचार है।

मैं नाम भी दे सकता हूं कि जो लोग चुनाव में हार गये उनको किस तरह से पाला जाता है। किसी को चेयरमैन बना दिया जाता है और किसी को दूसरा पद दे दिया जाता है। क्या इससे समाज का कल्याण हो सकता है? इससे तो दल कल्याण होता है। समाज कल्याण हरगिज नहीं हो सकता है। यह भी, श्रीमन्, एक तरह से भ्रष्टाचार है। यदि कोई हार जाता है तो उसको किसी कम्पनी का चेयरमैन बना दिया जाता है। तो क्या यह भ्रटाचार नहीं है? आज सारे समाज के अन्दर एक इस तरह की भावना उत्पन्न हो रही है कि कैसे उसका और उसके बच्चों का पेट भरेगा। आज हर एक मनुष्य के मन में यह बात खड़ी हो गई है कि हमारी पूछ नहीं है और न किसी योग्यता की पूछ है। सिफारिश की पूछ होती है। आज प्रशासन में इस बात को दृढ़तर करते जा रहे हैं कि बिना सिफारिश के किसी की सुनवाई नहीं हो सकती है।

आज स्वर्ग की योजनायें बनाई जाती हैं और वे सब योजनायें कागज पर बनकर तैयार हो जाती हैं लेकिन उनको कार्यान्वित कौन करेगा? उसका माध्यम क्या होगा? उनको प्रशासन ही कार्यान्वित करेगा। आपने प्रशासन को सुधारने का आज तक कोई भी कार्य नहीं किया है। प्रशासन का ढांचा आपको वही मिला था जो विदेशी साम्राज्य को स्थिर करने के लिये और दमन करने के लिये बना था और आज उसी प्रशासन के आधार पर आप चाहते हैं कि हमारी योजनायें सफल हों। तो यह कैसे होगा? कोदो बोकर गेहूं नहीं काटा जा सकता है। २० वर्ष हुकमत करने के बाद भी आज वही प्रशासन है। हर जगह पर बाटल नेक और रेड

[श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे]

टेपिज्म है। इतना भीषण सूखा पड़ा हुआ है पर फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। सिंचाई मंत्री जी की सेवा में एक उदाहरण देता हूं कि आज यदि किसी को पावर कनेक्शन चाहिये तो उसको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर जगह पैसे की मांग होती है क्योंकि जिस प्रकार का प्रशासन का ढांचा है उसमें वह फंस जाता है। अगर किसी को पावर कनेक्शन की जरूरत है तो वह पहले लेखपाल के पास इन्तखाब लेने के लिये जाता है। जब किसी तरह वह इन्तखाब ले आता है तो फिर बी० एल० डब्लू० बीच में आता है। वहां से भी वह निकला तो फिर बी० डी० ओ० के यहां गया। जब उसकी रिकमेन्डेशन होती है तो फिर आगे बढ़ता है लेकिन बी० डी० ओ० के यहां भी बहुत वर्षों तक दरख्वास्त लोगों की पड़ी रहती है। मेरे जिले जौनपुर में २ साल से दरख्वास्त पड़ी हुई हैं लेकिन आज तक उन पर रिकमेंडेशन नहीं हुई है क्योंकि अधिकारी सहब रुष्ट हैं या यों कहिये कि चांदी के फूलों की पूजा नहीं हुई है। वहां से अगर रिकमेन्डेशन हुई तो फिर डी० पी० ओ० के यहां पहुंची। वहां से किसी प्रकार अगर दरख्वास्त निकली तो फिर वह पावर कनेक्शन कमेटी में जाती है। पावर कनेक्शन कमेटी ने दिया तो दे दिया वरना कह दिया कि पावर इस समय नहीं है। आप यह सोचें कि यह जो बाटल नेक और रेड टैपिज्म बना हुआ है तो किस तरह से कोई आदमी आगे बढ़ सकता है? आज प्रदेश में इस तरह की स्थिति है जो हर एक मनुष्य के मन की स्थिति किस प्रकार की होती चली जाती है इसका अनुभव किया जा सकता है। इसका कारण यह बाटल नेक और रेड टेपिज्म है। इसका नतीजा क्या होगा? रोज हम लोग यहां पर चिल्लाते हैं कि यह करप्शन बन्द हो तो किस तरह से यह बन्द होगा। एक दरख्वास्त को इतनी जगहों पर जाना पड़ता है और हर जगह जोर चाहिये। यह सारा परिणाम बाटल नेक का है····।

श्री विक्रमसिंह (जिला मेरठ)—

यह किस जमाने की आप बात करते हैं?

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

यह मैं १९६९ में माननीय मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त के मुख्य मंत्रित्व काल की बात करता हूं २० वर्ष के शासन काल की। अध्यक्ष महोदय क्या करूं, तर्क दे सकता हूं, बुद्धि समझने के लिये नहीं दे सकता मित्रों को ....।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक मित्र कहते हैं कि टम्बरेश्वर के पीरियड को याद कीजिये। मैं खूब याद करता हूं लेकिन बीस वर्ष का कोढ़ १० महीने में ठीक नहीं हो सकता, घट नहीं सकता। तो इन प्रशासनिक बाटल नेक्स को तोड़ने की जरूरत है। मैंने कई बार कहा है कि किसानों को लैंड पास बुक दीजिये, जैसा कि फारेन कंट्रीज में देते हैं। पटवारी के सारे इंतखाबात, इन्दराजात उसमें होने चाहिए और अगर किसान कहीं बेचता है तो रजिस्ट्रेशन विभाग का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि उस बुक में एंट्री करके वापस करे। दुनिया के सारे प्रशासनिक देशों में—अमरीका में, इंगलैंड में यही सिस्टम है। आज प्रशासन सूत्र जर्जर हो रहा है और उसी के आधार पर आज योजना की सफलता निर्भर है।

तीसरी बात जो सबसे आवश्यक मैं समझता था और समझता हूं कि सभी मानेंगे कि सुरक्षा चाहिए सूबे को। आपका सूबा लैंडलाक स्टेट नहीं रह गया है, आज आप फ्रांटियर हो गये हैं। अल्मोड़ा की सरहद पर चीन बैठा हुआ है, उसकी सेनाएं बैठी हुई हैं, गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ है। मैं अधिक नहीं कहना चाहता और न मैं आशा करूंगा कि मंत्री महोदय डिटेल्स में जायं, लेकिन जो इस सूबे की जिम्मेदारी है कि लोगों की मानसिक स्थिति और मनोवृत्ति को तैयार करना, लोगों को पेस्सिव डिफेंस के लिये तैयार करना—क्या यह इंटरनल सिक्योरिटी की ओर लक्ष्य नहीं किया जा सकता था। आज सम्पूर्ण अभिभाषण में इस ओर एक अक्षर लक्ष्य नहीं है और यह याद रखियेगा कि जिस देश की सिक्योरिटी अगर गायब हुई तो सारी योजनाएं

अधूरी रह जायंगी, सारा सोने का भंडार धरा रह जायगा। सभी देशों ने सिक्योरिटी को प्राथमिकता दी है और तब आर्थिक विकास जोड़ा है, परन्तु इस देश ने, प्रदेश ने किसी सिक्योरिटी का विचार मात्र तक नहीं किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, इशारा करता हूं कि आपकी सिक्योरिटी की यह हालत है कि पाकिस्तान का नागरिक नाम बदल कर आपके यहां उम्मीदवार भी हो सकता है, नामिनेटेड कहला सकता है। मथुरा जिले की छाता तहसील की यह घटना है---यह आपकी सिक्योरिटी की हालत है। क्या सिक्योरिटी है? आपको पता ही नहीं है कि विदेशी कहां-कहां घूम रहे हैं।

आपके यहां यह स्थिति है कि मिर्जापुर जिले में भूख के मारे लोग बच्चों को बेच रहे हैं और कौन खरीद रहा है? वह खरीद कर क्या करेगा? एक बार देश का बटवारा हो चुका, दूसरे बटवारे की तैयारी है कि देश का मध्य भाग बांट दिया जाय। इस देश के खंड-खंड करके क्या करेंगे? क्या इस ओर भी जागरूकता है आपकी। आज आपके यहां चकबन्दी हो रही है और आबादी हरिजनों को बाग में मिल रही है। इससे आप उनको मुख्य समस्या सुलझा रहे हैं। दो-दो, तीन-तीन, पीढ़ी बीत गयी है। क्या यही हरिजनों के प्रति आपका प्रेम है? (लाल बत्ती होने पर) कृपया २-३ मिनट और दे दीजिये।

दूसरी बात मैं हरिजनों के स्कालरशिप की कहना चाहता हूं। इसमें श्रीमन् बड़ी गड़बड़ी होती है। आप क्यों नहीं उनको मनियार्डर या चेक्स से उसका पेमेंट कराते हैं।

शिक्षा की आज हालत क्या है? आज की शिक्षा केवल बाबू बना रही है। आपकी शिक्षा टैक्नीकल होनी चाहिये। आपकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे पढ़ने के बाद वह अपना पेट भर सके। आज की शिक्षा बेकारी बढ़ा रही है। हमको बेकारी नहीं, काम चाहिये। आप अपनी इस शिक्षा को जो केवल बाबूगीरी सिखाती है इसको कृपया बन्द कीजिये।

कृषि के बारे में कई माननीय सदस्य कह चुके हैं। यह सही है कि जब तक कृषि का उत्थान नहीं होगा, तब तक प्रदेश और देश का उत्थान नहीं होगा। मैं इसके लिये एक ही चीज कहना चाहता हूं और वह यह कि इसके लिये इन्श्योरेंस आफ दि कैटिल एन्ड क्राप्स जरूरी है। जब तक आप यह नहीं करेंगे, जब तक उसकी क्षति पूर्ति नहीं होगी, किसानों की दशा सुधर नहीं सकेगी और कृषि का उत्पादन भी बढ़ नहीं सकेगा। इसके लिये बैंकिंग इन्सटीटयूशन्स चाहिये। किन्तु मुझे बड़ा खेद है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका तनिक भी वर्णन नहीं है।

साम्प्रदायिकता की यहां पर बड़ी बात कही जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि आप किसको साम्प्रदायिकता कहते हैं। आपकी साम्प्रदायिकता की परिभाषा क्या है? पाकिस्तान बनाने वाले हमको कहते हैं, यह तो आपने पैदा की है। मैं कहता हूं कि पहले उसकी परिभाषा करो, केवल अल्पमत या बहुसंख्यक आदि बातों के बेसिस पर कुछ कहना ठीक नहीं होता। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि इस देश में डिवीजन माइनारिटी और मेजारिटी के आधार पर होता है। इस आधार पर विभाजन करके आप डिवाइड एन्ड रूल की पालिसी चला रहे हैं और इससे देश का आप हित नहीं कर रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जाय। इसके लिये आप कदम उठाइये। इसी सदन में जब माननीय सदस्य पूर्व, पश्चिम और उत्तर की बात करते हैं तो उसको सुनकर, श्रीमन्, बड़ा दुख होता है। पूर्व, पश्चिम और उत्तर आदि तो यह मानवीय मान्यतायें हैं, वास्तव में यह देश और यह सारा प्रदेश एक है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये। यह दूसरी बात है कि प्रदेश का एक अंग ज्यादा उठा हुआ है, एक अंग ज्यादा पिछड़ा हुआ है। उसके लिये जो गरीब हैं आप उसको पहले उठाओ। पूर्व और पश्चिम की बात करके उसका विभाजन नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, यह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ने से ऐसा ही लगता है जैसे कि सरकार की ओर से कोई रस्म अदा की गयी है और सदन में आकर कए स्तुति- बन्दना कर दी गयी है। इन शब्दों के साथ मैं, जो संशोधन विपक्ष की ओर से रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)—

अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर यह बहस का दूसरा दिन है। पक्ष और विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। स्वयं माननीय राज्यपाल महोदय ने यह माना है कि हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है और इस पिछड़ेपन के कई कारण हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी जिम्मेदारी योजना आयोग पर ही लेती हूं। हमारी सरकार ने प्रथम द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो धनराशि प्रदेश के विकास के लिये भेजी उसमें बराबर कटौती कर दी गई है और इसके साथ वह नीति बरती गई जैसे एक महाजन धनी मानी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा ऋण देता है और एक गरीब को नहीं देता है। प्रदेश की प्रगति में भी यही स्थिति हुई है।

मैं माननीय नेता विरोधी दल अपने चौधरी चरण सिंह जी के भाषण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहती हूं कि उन्होंने प्रदेश के पिछड़ेपन के कई कारण बताये हैं, जैसे आर्थिक असमानता, कुशल प्रशासन का न होना, समाज के प्रत्येक अंग में भ्रष्टाचार का व्याप्त होना, जाति के भेदभाव, औद्योगीकरण के प्रति उदासीनता। इन सबका उत्तरदायित्व माननीय चौधरी साहब ने राजनैतिक व्यक्तियों पर ही डाला है लेकिन मैं आपके द्वारा विनम्रतापूर्वक उनसे यह जानना चाहती हूं कि देश की स्वतन्त्रता के बाद बीस वर्षों तक जब कांग्रेस सरकार का प्रशासन इस प्रदेश में रहा और वे बराबर मंत्रिमंडल के सदस्य रहे तो जिन समस्याओं का उन्होंने विश्लेषण किया है उनका निदान अपने कार्यकाल में क्यों नहीं किया। चौधरी साहब के पास अनेक विभाग रहे हैं और प्रत्येक विभाग में उन्होंने आदर्शवादी नीति की घोषणा की है। उनमें माल विभाग की ओर मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। इन्होंने पटवारियों की जगह तोड़ कर लेखपाल नियुक्त कर दिये थे। क्या वे इस बात को कह सकते हैं कि पटवारियों की जगह लेखपाल नियुक्त कर देने मात्र से व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? चौधरी साहब ने गृह विभाग में यह घोषणा की थी कि जो प्रदेश में चोरी, डकैती और अपराध हो रहे हैं इनमें कमी होगी लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इसमें वृद्धि ही हुई और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे यह कहा जाय कि उनकी नीतियां सफल हो पाईं।

संयुक्त विधायक दल की सरकार में माननीय चौधरी चरणसिंह साहब ने नेता पद का भी कार्यभार सम्हाला और दस महीने तक मुख्य मंत्री पद पर भी सुशोभित रहे। इस कार्यकाल में माननीय चौधरी साहब जो प्रदेश के किसानों के बड़े हमदर्द हैं, बांदा जैसे बैकवर्ड और पिछड़े जिले के किसानों के साथ जो अत्याचार हुए हैं जो बेदर्दी से तीन साल का बकाया लगान वसूल किया गया है, मैं बयान नहीं कर सकती। मैं अपने उप मुख्य मंत्री महोदय का यहां हवाला देना चाहती हूं कि सन् ६६ में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने इस जगह का दौरा किया था और स्वयं देखा था कि यहां के गरीब लोग घास की रोटियां खाते हैं। उनकी दयनीय दशा देखकर वे कराह उठे थे और उन्होंने कांग्रेस सरकार से अधिक से अधिक सहायता दिलवाई थी। लेकिन हमारी संविद सरकार ने इन गरीब किसानों के साथ हमदर्दी तो दूर रही लेकिन तीन साल का मुल्तवी लगान भी वसूल कर लिया। माननीय उदित नारायण शर्मा जी बांदा गये थे उन्होंने वहां पर वचन दिया था कि यहां के गरीबों से सख्ती नहीं की जायगी और जो लगान मुल्तवी है वह मुल्तवी रहेगा या माफ कर दिया जायगा।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहती हूं और वह यह है कि यह प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। न यहां कोई सिंचाई का साधन है, न यहां कोई उद्योग है और न कृषि ही अच्छी होती है। यहां पर वर्षा के भरोसे पर ही खेती की जाती है। हर्ष की बात है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इसकी घोषणा की है कि कृषि विकास को सर्वप्रथम स्थान दिया जायगा तथा कृषि की उन्नति के लिये जितने साधनों की आवश्यकता होगी, उनका प्रबन्ध किया जायगा। मैं आपके द्वारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि इस क्षेत्र के लिये सिंचाई की विशेष योजनायें बनायी जानी चाहिये क्योंकि सिंचाई के अतिरिक्त यहां पीने के पानी का भी बड़ा अभाव है। यहां की जनता को २२ साल की आजादी के बाद भी पीने को पानी नहीं मिल सका है। उनको १०-१० मील बैलगाड़ी या ट्रकों पर पानी लाना पड़ता है। गर्मी का महीना आ रहा है, इस विषय में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये मैं निवेदन करूंगी कि यहां पर पीने के पानी के अलावा, नलकूप बनाये जायं, पाइप लाइन डाली जाय, सिंचाई के लिये यमुना के जल को पानी-उठाकर पहुंचाया जाय, नहीं तो यहां की जनता प्यासी ही पर मर जायगी। यह एक असिंचित क्षेत्र है। असिंचित होते हुए भी यहां एक परिपाटी यह चली आती है कि शासकीय और अर्द्ध-शासकीय ऋण जो दिये जाते हैं उनके साथ खाद अवश्य दी जाती है। मैं मानती हूं कि खेती के लिये रायायनिक खाद की आवश्यकता है लेकिन सिंचाई का जहां प्रबन्ध हो। हमारे यहां जहां इसकी जरूरत नहीं है, वहां यह खाद दी जाती है और जहां किसानों को इसकी आवश्यकता है वहां पहुंच नहीं पाती। इसलिये यहां जो खाद किसानों को दी जाती है वह बेकार दी जाती है और मुफ्त में ही किसानों को कर्जदार बनाया जाता है। इससे न वहां की कृषि की प्रगति होती है और न किसानों का कल्याण होता है।

पहाड़ी क्षेत्रों में औद्योगिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड में भी बहुत से खनिज पदार्थ पाये जाते हैं इसलिये वहां का भी सर्वेक्षण कराया जाय तो बहुत अच्छा होगा और यहां के लोग भी उन्नति कर सकेंगे। इसके अलावा यहां लघु उद्योगों की स्थापना भी की जाय, बिजली के ट्रांसमीटर तथा ट्रांसफार्मर लगाये जायं। खेद की बात है कि पूर्वी जिलों की चर्चा तो अक्सर की जाती है। अक्सर कहा जाता है कि वहां भुखमरी फैल रही है। पटेल कमीशन बैठता है तो वहीं के लिये बैठता है। अगर उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांटा जाय तो पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्से उसके हो सकते हैं लेकिन जहां तक बुन्देलखण्ड का प्रश्न है न उसको पूर्वी जिलों में गिना जाता है और न पश्चिमी जिलों में। उत्तर प्रदेश के चरणों में पड़ा हुआ बुन्देलखण्ड हमेशा-हमेशा के लिये अविकसित और पिछड़ा हुआ रह गया है। उसकी जनता त्राहि-त्राहि कर रही है लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी बुन्देलखण्ड बहुत पिछड़ा हुआ है। प्रदेश के हर डिवीजन में एक-एक विश्वविद्यालय खोल दिया गया है, बुन्देलखण्ड में भी शिक्षा की प्रगति के लिये एक विश्व-विद्यालय के खोले जाने की आवश्यकता है। देहात से कस्बों को मिलने के लिये नयी सड़कों का निर्माण कराया जाय और पुरानी सड़कों की मरम्मत की जाय। पुलिस के काम में यहां सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। यहां अपराध बहुत होते हैं।

अन्त में मैं एक बात और कह देना चाहती हूं कि जिस प्रकार सरकार ने थारू और भोटिया जातियों को विशेष सुविधायें दी हैं उसी प्रकार बुन्देलखण्ड में कोल जाति को भी ऊंचा उठाने के लिये योजना बनायी जानी चाहिये। इन लोगों के पास रहने के लिये घर नहीं है। जंगलों में ही ये लोग रहते हैं। उनके बच्चों को पढ़ने के लिये स्कूलों की आवश्यकता है। स्कूल खोले जायं तथा उनके लिये किसी रोजगार का प्रबन्ध किया जाय। अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि संविद सरकार के जमाने में इन गरीब महिलाओं को समाज कल्याण विभाग से अलग किया गया। इन लोगों का कोई कार्य भी खराब नहीं था और वे अपनी गरीबी की वजह से ही विभाग सेवा कर रहीं थीं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी और उनको बिना किसी पूर्व सूचना के ही अलग कर दिया गया। अच्छा हो कि उनको पुनः विभाग में कार्य दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

*श्री श्याम सूरत (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कानून और व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने की चर्चा की है। इस संबंध में मैं इलाहाबाद में घटी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम सूरत]

१७ मार्च की एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। १७ मार्च, १९६९ को ६ बजे शाम को इलाहाबाद नगर में रा बाग स्टेशन के पास एक हरिजन की हत्या एक कांग्रेसी द्वारा की गई और उस कांग्रेसी की रिपोर्ट कोतवाली में की गई और हजारों आदमियों का एक जुलूस भी कोतवाली इलाहाबाद तक पहुंचा लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही उस कांग्रेसी या कोतवाली के लोगों के खिलाफ नहीं की गई है। मुझे मालूम है और आखों से देखा है कि वह कांग्रेसी मुलजिम जिसने कि उस हरिजन का कत्ल किया है वह विधायक निवास में एक स्थान पर रुका हुआ है। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है कोतवाली थाने में और रिपोर्ट में उस कांग्रेसी का नाम दर्ज है। यह माननीय गुप्ता जी के राज्य में.....

एक सदस्य---आप इस खबर को.....

एक सदस्य---एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री श्याम सूरत---

अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा....

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)---

व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या वह इस प्रकार का भाषण यहां दे सकते हैं? जो मौके और कत्ल के समय मौजूद हो वह ऐसी बात कह सकता है, हमारे भाई जो अभी बोल रहे हैं वह क्या कत्ल के समय वहां मौजूद थे?

श्री श्याम सूरत---

रिपोर्ट में नाम दर्ज है और क्या माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछ सकता हूं...

श्री अध्यक्ष---

वह अपनी जानकारी से बता रहे हैं। लेकिन क्या माननीय सदस्य ने इस मामले की तहकीकात कर ली है और आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं?

श्री श्याम सूरत---

अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी के राज्य में इस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है और यह हो रहा है। अब मैं इस केस के अलावा चुनाव के दौरान में इलाहाबाद में क्या हुआ और पुलिस ने क्या किया उस का हाल भी यहां बताना चाहता हूं। इलाहाबाद के एक क्षेत्र में एक पुलिस के दीवान ने एक एस० एस० पी० के कार्यकर्त्ता को इसलिये जबरदस्ती पकड़ा और पीटा और कहा कि कांग्रेस का प्रचार करो और जब उसने चुनाव प्रचार करने से इंकार किया तो उसको थाने में ले जाकर मार लगाई गई। इस पर कुछ लोगों ने जाकर डिप्टी एस० पी० के यहां रिपोर्ट दर्ज कराई और उन्होंने उस कार्यकर्त्ता का डाक्टरी मुआइना कराया लेकिन दुख है कि आज तक कोई कार्यवाही न हुई और वही दीवानी उसको बादमें फिर थाने में पकड़ कर ले गया, अभी ३ दिन हुए और गलत मुकदमा उसके खिलाफ कायम किया गया। इस तरह सराय ममरेज थाने में यह वाकया हुआ है और फूलपुर के इलाके में भी दीवान जी ने बराबर श्री मजफ्फर-हसन के साथ रहकर उनका चुनाव प्रचार किया है, हम बराबर इसकी शिकायत करते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष---

किसी का नाम न लिया जाय। जो यहां मौजूद नहीं हैं उनके ऊपर आक्षेप न करें। आप केवल अपनी बात कहें।

श्री श्याम सूरत—

तो इस तरह की घटनायें इलाहाबाद में करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं।

राज्यपाल जी के अभिभाषण में सूखे के बारे में भी कोई व्याख्या नहीं दी गयी है। इलाहाबाद जिले में सूखा लगातार ३ वर्ष से पड़ता आ रहा है। २ वर्ष पूर्व भी यहीं पर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों ने सूखे की बातें कहीं थी और यह भी कहा गया था कि वहां पर मौतें हो रही हैं लेकिन अब तक वहां की स्थिति को सुधारने के लिये कुछ नहीं किया गया है—इस समय इलाहाबाद की हालत बहुत गंभीर हो गयी है और विशेष रूप से मेजा और करछना में कुछ भी दिनों में आप सुनेंगे कि मौतें होने लगी हैं। इस वर्ष वहां पर इतना गंभीर सूखा पड़ा है कि फसल बिल्कुल बरबाद होने लगी है। जानवरों के लिये चारा नहीं है और उनके और मनुष्यों के लिए पानी मयस्सर नहीं है। इस इलाके में केवल खबरिया और खूटा २ ऐसे गांव हैं जिनमें २ कुंए हैं जिनमें केवल कीचड़ है। उन कुंओं में से आस पास के ८ से १० गांवों के लोग पानी लेने आते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि उनका पानी केवल १ घण्टे में ही सूख जाता है। वहां के लोग पानी के लिये दिन भर तड़पते रहते हैं। जिलाधीश का ध्यान इस दयनीय दशा की ओर कई बार आकर्षित किया गया लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। गंगा, यमुना, बेलन और टोंस नदियां वहां पर बहती हैं अगर सरकार चाहे तो लिफ्ट द्वा उनसे पानी उठवाकर सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था कर सकती है परन्तु दुख है कि अभी तक इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

इलाहाबाद जिले में गंगा पार क्षेत्र में जिस क्षेत्र से स्व० नेहरू जी चुनाव लड़ा करते थे वहां पर केवल ४०–५० ट्यूबवेलों को छोड़ कर सिंचाई के लिये न कोई नहर है और न कोई और साधन हैं। प्रतापपुर और फूलपुर के उत्तरी इलाके में भी कई वर्षों से सूखा पड़ रहा है। यहां की जनता भी अत्यन्त कष्ट में है। वहां की जनता फसल न होने के कारण ग्रामों को छोड़कर शहरों की ओर जा रही है। मुझे डर है कि इस इलाके में भी अब नहीं तो १५ दिन में लोग भूखों मरने लगेंगे। इसलिये सरकार को चाहिये कि वहां के लिये, पशुओं के लिये चारे और मनुष्यों के लिये पानी की तुरन्त व्यवस्था करे।

१९६२ में जब स्व० पंडित नेहरू (प्रधान मंत्री) के खिलाफ स्व० डा० लोहिया चुनाव में लड़े तो वहां पर एक सड़क सोरांव से हंडिया जाती है। जब वहां के लोगों ने इस सड़क को पक्की करने के लिये एजिटेशन किया और प्रदर्शन किये तो यह निश्चय हुआ कि यह पक्की कर दी जायगी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि १९६३ से लगातार इस सड़क पर काम हो रहा है लेकिन जब हम लोग हल्ला करते हैं तो एक-दो महीने के लिये उस पर कार्य आरंभ हो जाता है और फिर १० महीने तक ठप हो जाता है। वह काम भी कांग्रेसी दलालों और अपने रिश्तेदारों, ठेकेदारों को दे दिया जाता है और इस तरह से २ महीने में उनके लिये आमदनी का जरिया बना दिया जाता है।

अभी हमारे कांग्रेस के भाइयों ने फरमाया कि संविद की सरकार को शासन चलाने का मौका दिया गया लेकिन वे शासन नहीं चला पाये। एक साल में ही वह टूट गया। उन्हें शायद मालूम नहीं कि यह लड़खड़ाहट का युग है। इसके भी २ युग होते हैं। एक तो बचपन में बच्चा लड़खड़ा कर चलता है, कभी वह मां-बाप का हाथ पकड़ कर चलता और कभी किसी सहारे से धीरे-धीरे चलता है और जब वह गिर जाता है तो फिर उठकर चलने लगता है लेकिन अगर कोई आदमी बुढ़ापे में लड़खड़ाता है और लड़खड़ा कर गिरता है तो भले ही वह संभलने के उपरान्त कुछ दूर चल सके लेकिन धराशायी होता है। तो आपकी सरकार सन् ६७ में १८ दिन में लड़खड़ा गयी और हमारी सरकार १ साल चली। इस बार भी मैं माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी को बतलाना चाहता हूं कि भले ही पूंजीपतियों की तिजोरी से वे कितना ही टानिक सदस्यों को पिलायें, उनकी सरकार ७२ दिन से अधिक नहीं टिकने वाली है।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के संबोधन में बहुत स्पष्ट रूप से इस प्रदेश के पिछड़ेपन की बात कही गयी है और हम सबको इस पिछड़ेपन के संबंध में बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। राज्यपाल महोदय ने सही तस्वीरें सदन के सामने रखी किन्तु मुझे यह निवेदन करना है कि हमारे इसी प्रदेश के तीन प्रधान मंत्री निरन्तर इस देश के हुए और हमारा प्रदेश बहुत प्रभावशाली रहनुमा भी रहा है फिर भी यह प्रदेश अन्य प्रदेशों से पीछे रह गया है, सारा देश हमसे आगे बढ़ता चला आ रहा है। हम सभी को इस स्थिति को सुधारना होगा चाहे इसके लिये कितनी ही तकलीफ हो, कितनी ही तपस्या व त्याग क्यों न करना पड़े। इसका औचित्य हमको ढूंढना ही होगा किस तरह यह प्रदेश सारे प्रदेशों के साथ चल सके।

यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है किन्तु बुन्देलखण्ड की स्थिति को देखकर और भी परेशानी होती है। राज्यपाल के अभिभाषण में बुन्देलखण्ड का कहीं जिक्र नहीं है। एक बहुत बड़ी योजना है राजघाट के बांध की। वह बिजली देगा, पानी देगा और बुन्देलखण्ड की प्रगति में भी बहुत बड़ा सहायक होगा। बुन्देलखण्ड में उद्योगों का नामोनिशान नहीं है, लिहाजा उद्योगों को वहां प्रोत्साहन दिया जाय। जिन लोगों के ऊपर यह आशा तथा आकांक्षा करके जनता ने उनके विरोधी पक्ष में ६७ में बैठाया था उनको कुर्सियों के मोह ने विचलित कर दिया। जनता ने उनकी इस बात को पसन्द नहीं किया और मध्यवर्ती चुनावों में नतीजा यह हुआ कि जो सबसे बड़ा विरोधी पक्ष चुन कर आया था इस बार उसकी संख्या आधी रह गयी और कैबिनेट रेंक का एक भी मिनिस्टर को विरोधी पक्ष में बैठने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका और इसका कारण जनता की आशाओं पर तुषारपात करना था।

मैं संविद के प्रत्येक दल के लिये यह बात कहता हूं कि जनता ने उसको विरोधी दल में बैठने के लिये भेजा है, शासन चलाने के लिये नहीं। उसका नतीजा यह हुआ कि जनसंघ के बाद संसोपा को लें तो उनकी भी संख्या आधी रह गयी है। उनके भी मंत्री महोदयों का कोई पता नहीं है। जो एक सज्जन आये हैं वह व्यक्तिगत तौर पर आये हैं। वही नेता है, वही उनका दल है, वही सब कुछ हैं। इसके बाद प्रसोपा को लें। उसका भी यही हाल है। तो निवेदन यह है कि दो सौ की संख्या में जो कांग्रेस दल आया था उसको वंचित करके जिस दल के पांच सदस्य ही आए थे वह भी सरकार में आ गये, जिनके बीदह आये थे वह भी सरकार में आ गये। लेकिन जनता ने बड़ी बारीकी से मध्यावधि चुनाव में उनको परखा और सभी दलों की संख्या आधी या उससे कम रह गयी। जब जिस दल की संख्या ९८ है मुझे आशा है कि वह अब ९९ के फेर में नहीं पड़ेगा। हमारे विरोधी दल के नेता माननीय चौधरी साहब ने सभी नब्ज नब्ज को समझ लिया है कि जनता ने विरोध पक्ष में बैठने के लिये उनको भेजा है और उसे कांग्रेस के द्वारा ही देश और प्रदेश के विकास में विश्वास है। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में उसको भेजा है। इसलिये मैं समझता हूं कि अबकी बार वह दुराग्रह विरोध पक्ष के लोग नहीं करेंगे और निश्चित रूप से पांच वर्ष तक विरोध पक्ष में बैठ कर इस शासन को चलाने में अपना पूरा योगदान देंगे। हमारी खामियों को बारीकी से देखने के लिये जनता ने आपको भेजा है।

श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। यहां पर चुनाव की चर्चा की गयी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना पेट्रोल हमारे जिले में बी० के० डी० के प्रतिनिधियों ने खर्च किया है उससे कहीं ज्यादा उन्होंने शराब पी डाली है। यह गांधी शताब्दी का वर्ष चल रहा है। सरकार को इस प्रदेश में पूर्ण रूप से मद्य निषेध कर के गांधी जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिये। हमारे चुनाव की घोषणा ११ तारीख को हुई और १३ तारीख को हमारे क्षेत्र के पिपरा गांव के सरपंच का कत्ल कर दिया गया शाम को ७ बजे। मैं आपको कहां तक बताऊं, झांसी तहसील के ही एक गांव पहिल गांव में वहां के चमारों पर संगठित रूप से हमला करके उनके सीने पर बंदूकें तान दीं। यही नहीं, सिमरथा गांव में पांच चमारों को गोली से घायल किया गया जो अस्पताल में पड़े हुए हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

श्रीमन्, जब मुकदमा कायम है तो आपके होते हुए कैसे माननीय सदस्य ने प्रश्न सदन में रखा ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने यह तथ्य बताया है कि मुकदमा कायम हो गया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

इस बात की उन्होंनें चर्चा की है।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने चर्चा की है कि मुकदमा कायम है । ब्योरा नहीं बतायें हैं ।

श्री रघुराज सिंह चौधरी (जिला बुलन्दशहर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि कितना समय आप मुझे दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

दस मिनट ।

श्री रघुराज सिंह चौधरी--

हकीकत तो यह है कि "दिल के दरिया नुक्त की वादी में वह सकते नहीं" । आपने कुल दस मिनट दिये हैं क्या क्या कहूं । राज्यपाल महोदय के भाषण का स्वागत इन अल्फाज के साथ करता हूं कि "आपके हिन्दुस्तान के जिस्म पर बोटी नहीं, तन को एक धज्जी नहीं है, पेट को रोटी नहीं, "भूख से मारी हुई मखलूक का लीजे सलाम ।" राज्यपाल महोदय ने शुरू में हमारे समाने हिसाब रखा कि इस प्रदेश को और प्रदेशों के मुकाबले में लाने के लिये ३,०५० करोड़ रुपये की जरूरत है और जब इसकी पूर्ति हो जायगी तब कहीं हमारा एक साल बाद दूसरे प्रदेशों के बराबर आयेगा । उसकी तफसील उन्होंने इस तरह से दी कि १,३५० करोड़ रुपया घर से दिये जायेंगे । चाहे घर का खजाना बिलकुल खाली हो लेकिन दिवालिया बैंक का चेक दिया जायेगा । ८०० करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर से और ९५० करोड़ रुपया प्राइवेट सेक्टर से लिये जायेंगे । इस तरह से ३,०५० करोड़ रुपये पूरे किये जायेंगे । तब इसकी पूर्ति होगी । यह एक कयास और अन्दाजा है, । 'न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी ।'

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी--

आप शिकारपुर के बारे में भी शेर कह दें ।

श्री रघुराज सिंह चौधरी--

'दर्दे जचखाने को शिकम में जगह न दीजिये ।' अगर आप व्याकरण पढ़े होते तो यह सवाल न करते और खुद मुतमईन हो जाते । यह लम्बा चौड़ा हिसाब समझ में नहीं आता । हम जानते हैं जैसा कि २० वर्ष की हुकूमत में देखा कि योजनाओं और उद्घाटनों का इस तरह से जोर है कि सारा भूमण्डल घिर गया जैसे बादल मण्डलायें लेकिन एक कतरा भी न पड़ा ।

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष उठकर चले गये और अधिष्ठाता, श्री शिवराजसिंह पीठासीन हुए ।)

यही हाल इन योजनाओं का है । 'ख्वाब था जो कुछ कि देखा जो सुना अफसाना था' । राज्यपाल महोदय ने भाषण में कहा कि खेती को सबसे पहला स्थान दिया जायगा । ठीक है । मगर अब तक तो हमने यह देखा कि सबसे पहले बड़े-बड़े कारखानों के लिये बिजली दी जाती है, उनके ही लिये बड़ी-बड़ी रकमें दी जाती हैं और उन्हीं पर सारे मुल्क की तरक्की का इनहसार समझ जाता है । सबसे पहले बड़े कारखाने, उसके बाद छोटे उद्योग और तीसरे दरजे पर खेती ।

[चौधरी रघुराज सिंह—

यह भी गनीमत है कि खेती नम्बर एक पर आ गयी। खेती कैसे कामयाब की जाय। खेती के वास्ते कई चीजों की जरूरत होती है। पानी की जरूरत है। खाद की जरूरत है, अच्छे बीज की जरूरत है। जहां तक पानी का सवाल है, पानी का यह हाल है कि आज बिजली के ट्यूबवेल दो-दो तीन-तीन दिन बन्द रहते हैं। शराबबन्दी तो दो दिन ही की जाती है लेकिन पानी हर दूसरे तीसरे दिन गायब, बिजली गायब।

सरकारी ट्यूबवेलों में पानी नहीं। कम पानी देते हैं। इतना रकबा ट्यूबवेलों पर बढ़ा दिया गया है कि उसकी पूर्ति नहीं होती। कहा जाता है कि प्राइवेट ट्यूबवेल क्यों नहीं बनाते? अगर किसान ट्यूबवेल बनाते हैं तो ऐसे यमराज हर जगह पर बैठे रहते हैं कि बिना रुपये के बात ही नहीं करते। किसान को चाहे तकावी दी जाय, चाहे लोन दिया जाय, चाहे बिजली दी जाय बिना रिश्वत के काम नहीं होता। अगर १०० रु० दिया जाता है तो कमसे कम उसका तीन हिस्सा रिश्वत में जाता है। चवन्नी घर को ले कर जाता है। कोई बात नहीं है चवन्नी मेम्बरी कांग्रेस में हुआ करती थी वही रीति कायम है। जहां तक नहरों और रजबहों का सवाल है हम सब लोग एलेक्शन लड़ कर आये हैं। सभी ने देखा है जब पानी की फसलों को जरूरत थी नहरें बन्द थी रजबहे खुश्क थे। किसान परेशान था। उसके बच्चे तड़प रहे थे। यहां हम एलेक्शन लड़ रहे थे। कहा जाता था कि विरोधी जो एलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने पानी बन्द करवा दिया? जहां तक पानी की बात है, वहां यह हाल है। एक नई बात बतायी गयी। पानी नहरों से पंप करके निकाला जायगा। एक नया रास्ता उनको बताया गया है। मालूम नहीं उसके दर्शन कब होंगे। हम जानते हैं कि जब फसल को पानी की जरूरत होती है नहरों और रजबहों में पानी सूखा जाता है। कहा गया है कि सरकार ने नहरों के फासले को दूना कर दिया है। किसान के घर तो आधा भी नजर नहीं आता। यह हाल पानी और ट्यूबवेल का है। प्राइवेट ट्यूबवेलों की बिजली अगर मंजूर हो जाती है तो यह होता है कि तार नहीं है, लट्ठे नहीं आ रहे हैं। इन्तजार करते-करते न मालूम कितनी फसलें निकल जाती हैं। उम्दा, आला किस्म का अमेरिका से लाया हुआ बीज दिया जाता है। वह बीज कितना दिया जाता है। कितना रकबा है और कितना बीज दरकार है। नतीजा यह होता है कि सरमायेदार बीज खरीदते हैं और उसे ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। उससे मुनाफा किसका है? जहां सरकार जिम्मेदार है, वहां किसी और के ऊपर तो इसकी जिम्मेदारी डाली नहीं जा सकती। बीज का यों मामला खत्म हुआ। पानी का यह फैसला हो गया। अब रहा खाद। फर्टिलाइजर का बड़ा ही जोर है। फर्टिलाइजर के संबंध में भी कहीं चर्चा हुई है कि उस पर भी कीमत बढ़ायी जायगी और जमीनों की भी कीमत वैल्थ टैक्स में शामिल की जायगी। जब यह हालत है तो फिर खेती को पहला दर्जा देने का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर की जो बात मैंने आपके सामने कही उसका यह हाल है। और सड़कें व शफाखाने—वे सब मालदारों के लिये है। सड़कों की हालत देहात में बहुत ही नाकिस है। चलना मुश्किल है काश्तकारों के लिये उनको माल ले जाने के लिये सवारी की सहूलियत नहीं और न उनके आने जाने के लिये ही ठीक सड़कें हैं। जब हमारे सामने इस तरह की फर्जी स्कीमें रखी जाती हैं तो हम क्या सुझाव दें।

कहा जाता है कि विरोधी दल ने एलेक्शन में ज्यादती की, उसके लिये विस्तारपूर्वक मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि समय नहीं है। सिर्फ इतना कहूंगा "हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता"। मैं नहीं जानता कि आप मुझे कुछ और समय प्रदान करेंगे या नहीं। इधर तो सुर्ख बत्ती हो गई और दूसरी तरफ तिरछी नजरें और उन आंखों में सुर्ख डोरे दिखाई दे रहे हैं। इस पर मुझे एक बात याद आती है—

"तिरछी नजरों से न देखो, आशिके दिलगीर को,
कैसे तीरन्दाज हो, सीधा तो कर लो तीर को।"

*श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपना विचार प्रकट करना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय, संविद प्रशासन में--जिसमें मंत्रिगण आपस में लड़ते थे और केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि और अपनी पार्टी के हित को देखते थे--इस प्रदेश ने कोई तरक्की नहीं की। संविद प्रशासन में इस प्रदेश में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। उसके बाद जब संविद प्रशासन से किसी प्रकार इस प्रदेश को छुटकारा मिला तो राष्ट्रपति काल का निरंकुश शासन आया। उस शासन काल में केवल सरकारी कर्मचारियों का बोलबाला रहा। सरकार और जनता का कोई सहयोग नहीं रह गया जिससे इस प्रदेश का कोई विकास नहीं हो सका। लेकिन सौभाग्य से फिर प्रजातंत्र के रूप में यहां मध्यावधि चुनाव हुआ उसके फलस्वरूप यहां प्रजातांत्रिक सरकार बनी। आशा है कि जैसा महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा है और इस सरकार की नीतियों की तरफ संकेत किया है, इस प्रदेश के पिछड़े वर्ग व पिछड़ी जातियों की तरफ--और यहां के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये जो उन्होंने ज्यादा बल दिया है और उसकी तरफ इशारा किया है वह सराहनीय है। गत चुनाव में भले ही कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत न मिला हो लेकिन इतना तो निर्णय इस चुनाव ने कर ही दिया है कि इस प्रदेश का शासन अगर कोई संस्था चला सकती है तो वह केवल कांग्रेस दल ही है और इसीलिए और सब दलों की अपेक्षा कांग्रेस दल को सबसे अधिक स्थान मिला है।

विरोध पक्ष के बहुत से साथियों ने हमारी नीतियों की इस तरह से आलोचना की है कि इस प्रदेश में विकास की तरफ कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर आप देखने की कोशिश करें तो आपको मालूम हो जायगा कि कांग्रेस राज्य में कितना विकास हुआ है, इसके लिये ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हर जिले में नहरों की संख्या बढ़ी है। हर जिले में बिजली पहुंचाने का प्रबन्ध किया गया है। सड़कों की भी संख्या बढ़ायी जा रही है। स्कूलों की संख्या भी बढ़ाई गई है और पानी भी।

एक सदस्य--

यह आपकी सरकार ने किया है:

श्री जयनारायण सिंह--

अगर संविद की सरकार होती जिसने १९ सूत्री कार्यक्रम बनाया और यह वायदा किया कि यह १९ सूत्री कार्यक्रम बिना टैक्स लगाये पूरा किया जायगा, तो उसका नतीजा क्या हुआ, यह आप सब जानते हैं कि संविद सरकार बराबर लड़ती रही और उस कार्यक्रम में एक भी कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ।

मैं श्रीमन्, आप सबका ध्यान अपने फतेहपुर जनपद की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। जैसा कि आपको विदित है इस जिले का शुमार न तो पूर्वी जिलों में है न पश्चिमी जिले में, और न उत्तरा खण्ड में और न बुन्देलखण्ड में। इलाहाबाद और बांदा जिले इस जिले से मिले हुए हैं किन्तु इस जिले में एक भी स्टेट ट्यूबवैल नहीं है। इस पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जिस जिले में एक भी ट्यूबवैल न हो उस जिले में सूखे की क्या बुरी दशा होगी। इलाहाबाद में सूखे की जब यह स्थिति है जहां इतने ट्यूबवैल हैं तो फतेहपुर में क्या हालत होगी? वहां पर अंग्रेजों की बनाई हुई ही कुछ नहरें हैं। वहां का तीन बटा चार भाग आज भी वहां पर असिंचित है। वहां की हालत सूखे से गंभीर है। शायद मिर्जापुर और इलाहाबाद उसके आगे नगण्य है। मैं सरकार से निवदन करना चाहता हूं कि यदि फतेहपुर जनपद की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया तो वहां की हालत बड़ी दुखदायी हो जायगी, वहां के लोग बड़ी कठिनाई में पड़ जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जय नारायण सिंह---]

नेता विरोधी दल ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जाय, आज उसकी तरफ कोई नीति आपने नहीं बताई है। मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने की तरफ अपना विशेष ध्यान देगी। अगर सरकार ने भ्रष्टाचार मिटाने की तरफ सख्त कार्यवाही न की तो फिर दुबारा आगे चुनाव में कांग्रेस जनों का क्या हाल होगा यह ईश्वर जाने। इसके लिये मैं सुझाव देता हूं कि हर जिले में एक विजीलेंस आफीसर मुकर्रर किया जाय जो वहां के अधिकारियों पर नजर रखे और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही के लिये बराबर रिपोर्ट सरकार को देता रहे। जब तक यह कदम नहीं उठाया जायगा तब तक भ्रष्टाचार इस प्रदेश से खत्म नहीं होगा। यदि यह बुराई खत्म न हुई तो हमारी मुसीबतें बढ़ती ही जायेंगी। हमारे ऊपर टैक्स का बोझ तो लगता ही है, विकास के लिये सुविधायें---पानी, बिजली आदि के लिये भी जो दिक्कतें पड़ती हैं वह भी गंभीर हो जायेंगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय हमारे यहां एक गजरौला माइनर श्रमदान द्वारा वहां के लोगों द्वारा खोदी गई थी, जिसे खुदे आज आठ साल हो गये लेकिन उसमें अब तक पानी नहीं दिया गया और इस प्रकार से अब तक उस पर जनता का किया कराया श्रम बेकार हो गया।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, फतेहपुर जनपद शिक्षा में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां पर एक ही डिग्री कालेज है, वह भी विज्ञान से नहीं आर्ट से है। वहां पर इन्टरमीडिएट साइन्स की भी संस्थायें बहुत कम हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि फतेहपुर जनपद से विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों को बाहर जाना पड़ता है। मैं सरकार से आपके माध्यम से यह प्रार्थना करूंगा कि फतेहपुर जनपद में अधिक से अधिक विज्ञान की शिक्षा संस्थायें खोली जायं। फतेहपुर में जो एक मात्र डिग्री कालेज है उसके पास भी अपनी इमारत नहीं है। फतेहपुर जनपद में जिले की कलेक्टरी कचहरी की बिल्डिंग खाली है और एक नई इमारत में वह है। वहां के डिग्री कालेज की कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया है कि उनको कलेक्ट्रेट की पुरानी बिल्डिंग देदी जाय? मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि फतेहपुर के लोग इतने गरीब हैं वह उतनी कीमत जितनी सरकार मांगती है नहीं दे सकती है। इसलिये उसको कमसे कम कीमत पर वह इमारत दे दी जाय। इंजीनियर्स का सुझाव है कि वह इमारत गिरा दी जाय क्योंकि बेकार हो गयी है लेकिन अब भी वह इमारत इस योग्य है कि अगर वह किसी संस्था को दे दी जाय तो वह उसकी मरम्मत कराकर उससे अपना काम चला सकती है। इसके बाद मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना समय अपने विचार रखने के लिये दिया।

श्री गोविंदसिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

अधिष्ठाता महोदय, दो वर्ष के राजनीतिक वनवास के बाद उम्मीद थी कि शायद यह जो एक नई सरकार बनी है उसको कुछ अक्ल आ जायगी। मैंने माननीय राज्यपाल जी और माननीय उप मुख्त्री मंत्री जी का भाषण सुना, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनमें वही पिटीपिटाई पुरानी नीतियां हैं जिनको हमारे प्रदेश की जनता ने पिछले चुनाव में पीट दिया था। उसी पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को लेकर आज भी राज्यपाल जी ने अभिभाषण किया है। उसमें अगर कोई चीज तसलीम की गयी तो वह है सरकार का दिवालियापन। २० साल की नीतियों ने हमारे प्रदेश और देश की जो हालत बनादी है, उसकी तस्वीर हमारे सामने है। कहा जाता है कि साधनों का संकट है, कहा जाता है कि कहीं से हमें पैसा नहीं मिलता। मैं पूछना चाहता हूं कि २० साल के शासन में क्या हमारे देश की जनता ने, किसान और मजदूर ने, मेहनत नहीं की है? क्या उस मेहनत से देश की पैदावार बढ़ी, दौलत और पूंजी बढ़ी, लेकिन वह पूंजी हमारे किसान और मजदूर के पास नहीं पहुंची, हमारे मध्यवर्ग के आदमियों के पास में नहीं पहुंची। आज ५२ करोड़ के इस देश की दौलत का दो तिहाई भाग हिन्दुस्तान के सिर्फ ७५ खानदान के तिजोरियों में पहुंच गया है, वह उस तमाम दौलत के मालिक बन चुके हैं साबुन

से लेकर लोहे और मोटर के बड़े-बड़े कारखाने इन ७५ खानदानों के लोगों के हाथ में है। आज साधनों का संकट नहीं है, संकट तो है आपकी पूंजीवादी व्यवस्था का, जिसे आपने जन्म दिया, पाला-पोसा और २०सालों तक जिसे आपने सुदृढ़ बनाया। यह जो पूंजीवादी व्यवस्था का संकट है इसको सुधारने से या इसमें कांट-छांट भर करने से काम नहीं चलेगा। प्रश्न यह है कि विकास का आधार क्या होगा? 'पूंजीवाद' या 'समाजवाद' जिस पर हम चलेंगे। पहले यह तय हो जाना चाहिये। २० साल तक चलने वाली नीतियों के कारण जो विकास हुआ, जो दौलत बढ़ी वह बड़े-बड़े मुनाफाखोरों की तिजोरियों में बन्द हो गयी। लेकिन आम जनता का क्या हाल है? श्रीमन्, यह मेरे आंकड़े नहीं है, योजना कमीशन के आंकड़े हैं। सन् १९४८ म जिस टाटा की पूंजी ६० करोड़ रुपये थी, आज वह ५०० करोड़ रुपये पहुंच गयी है सन् ४८ में बिड़ला जी महाराज ३० करोड़ रुपये के स्वामी थे आज वे साढे चार सौ करोड़ रुपये के स्वामी बन चुके हैं। पार्लियामेंट में सवाल किया गया और आपकी सरकार की तरफ से उसका जवाब दिया गया कि पिछले तीन वर्षों में अकेले बिड़ला जी की पूंजी डेढ़ गुनी हो गयी है। यह हालत आपके समाजवाद की है। यहां पर कहा जाता है कि केन्द्रीय सरकार अनुदान नहीं देती है। केन्द्रीय सरकार साधनों का संकट बताती है आप भी साधनों का संकट बताते हैं। यह सारा संकट साधनों का नहीं है, बल्कि आपकी नीतियों का है, और आपकी व्यवस्था का संकट है। यह सारा संकट आप गरीब जनता पर लादना चाहते हैं। अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं करना चाहते हैं।

यहां पर सवाल रखा गया कि अगर टैक्स नहीं लगाये जायेंगे तो भला ये योजनायें किस प्रकार से चलेंगी? हम कहते हैं कि आप टैक्स लगाइये, मगर उनके ऊपर लगाइये, जिनके पास देने की शक्ति है, अदा कर देने की हैसियत है। आपके प्रदेश में बड़े-बड़े फार्म वाले किसान हैं, बिड़ला जी का फार्म है और बड़े-बड़े पूंजीपतियों के फार्म हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाइये, लेकिन आप उनको छोड़ देते हैं। उनको आप छूते तक नहीं। इसी तरह चीनी के मिल मालिकों को आप छूते नहीं हैं। हमारे प्रदेश में बड़े-बड़े उद्योगपतियों के ऊपर आज भी जो टैक्स का बकाया पड़ा हुआ है उसको आप वसूल नहीं कर सके। उनसे इसलिये वसूल नहीं कर सकते हैं क्योंकि चुनाव के लिये आपको चन्दे की उनसे जरूरत पड़ती है। चीनी के मिल मालिक टैक्स की कितनी चोरी करते हैं सरकार इस बात को जानती है लेकिन आप उनको पकड़ नहीं सकते हैं।

मैं पर्वतीय क्षेत्र से आया हूं। पर्वतीय क्षेत्र में आज तक यह होता था कि मैदान के बड़े-बड़े रईस लोग जाते थे और हमारी दौलत को लूटते थे। वे हमारे जंगलों को लूटा करते थे। अब एक और नया जमाना आया है। मैदानों में लोग चुनाव में पिटते हैं और मैदान में हारकर जीतने की उम्मीद से पहाड़ पर जाते हैं और पहाड़ी जनता को बेवकूफ बनाकर वोट मांगते हैं और वहां से जीत कर यहां आते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जिस अल्मोड़ा जिले से जीतकर आये हैं वहां पर एक आदमी की औसत आमदनी ५९ पैसा है। हमारे प्रदेश के उत्तरकाशी और टिहरी जिले में इस से भी गिरी हुई दशा है। हिन्दुस्तान में टिहरी और उत्तरकाशी सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। वहां पर एक आदमी की आय २३ नये पैसा है। बिड़ला की दौलत बढ़ रही है। वो तिहाई दौलत देश की ७५ आदमियों के हाथ में चली गयी है लेकिन पहाड़ में एक इंसान की आय २३ पैसे है। इन पहाड़ों से यह सरकार बहुत बड़ी रकम वसूल करती है। हम लोग सरकार से भीख नहीं मांगते हैं। अपने अधिकार की मांग करते हैं। अपनी दौलत की मांग करते हैं। हम इस प्रदेश में सरकार से क्या पाते हैं, यह मैं आपके सामने रखता हूं। सारे मैदानी क्षेत्र में केवल ५ प्रतिशत भू-भाग पर जंगल हैं पर्वतीय क्षेत्र में ४८ प्रतिशत भू-भाग पर जंगल खड़ा है। हमारे जंगलों में चीड़, देवदार के वृक्ष और दूसरे कीमती जंगल हैं जहां से बहुत दौलत सरकार को प्राप्त होती है। हमारे पर्वतीय प्रदेश में ऊंची ऊंची चोटियों पर ऐसी कीमती चीजें बिखरी पड़ी हैं देश में दौलत वाले वहां से उनको लाकर लाभ उठाते हैं और पर्वत के लोग लखनऊ में या दिल्ली में आकर बर्तन साफ करते हैं या फिर अन्य शहरों में मजदूरी करते हैं। आप इस पर विचार कीजिये कि आपने हमको क्या दिया? १९६६-६७ में उत्तर प्रदेश में जितनी भी

[श्री गोविन्द सिंह]—

जंगलों की आय थी उस सारी आय का तीन बटा पांच भाग हम पर्वतवासियों से सरकार को मिलता है यानी एक १० करोड़ रुपये के लगभग हमारे पर्वतीय प्रदेश से सरकार को आय होती है। इसीलिये मेरा कहना है कि हम भीख नहीं मांगते हैं। आपके पूरे प्रदेश में प्रति व्यक्ति राजस्व आय एक रुपया है, जब कि हमारे पर्वतीय प्रदेश में प्रति व्यक्ति १ रुपया ७५ पैसा आय देते हैं। और सरकार क्या देती है? सरकार से हमको २३ पैसा प्रति व्यक्ति मिलता है।

यहां बात कही गयी कि विकास परिषद् की स्थापना की जायगी। यही बात है। विकास परिषद् होनी चाहिये लेकिन मैं एक और चेतावनी देना चाहता हूं कि विकास परिषद् तो आय बनायेंगे परन्तु कृपया उसको इम्पलायमेंट एक्सचेंज न बनायें। पहाड़ी क्षेत्र में कई कांग्रेसी चुनाव में पिटे हैं। उन्हें न भरती करें। विकास परिषद् को वित्तीय या प्रशासनिक मामलों में पूरी आजादी दें। पर्वतीय परिषद् बनाइये, वहां की योजनाओं के संबंध में उसको पूरा अधिकार दीजिये। उसको वित्तीय और प्रशासकीय अधिकार हों। लेकिन पहाड़ों की जनता की हालत इन छोटे मोटे सुधारों से नहीं सुधारी जा सकती। हमारी वन सम्पदा मौजूद है, प्राकृतिक साधन मौजूद हैं, उद्योग धंधे वहां खोले जायं। बरेली और ऋषिकेश में तो खोले जा रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र में भी खोलिये तभी हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। धन्यवाद।

श्री हरीदत्त (जिला अल्मोड़ा)—

अधिष्ठाता महोदय, आज जिन परिस्थितियों में इस वर्ष महामहिम राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ वे अपूर्व ही थीं क्योंकि जब से देश आजाद हुआ और हम संविधान के अनुसार इस विधान सभा को जन्म दे कर आये तब से लगातार एक ही दल की सरकार बनी और उसी के होते हुये राज्यपाल के अभिभाषण हुआ करते थे। सन् ६७ में कांग्रेस की सरकार थी, तब यह पहला मौका आया कि कांग्रेस की सरकार हटी और उस जगह पर संविद सरकार बनी जो कि खुद-बखुद नहीं चल पायी और राष्ट्रपति का शासन हुआ और आज दोबारा मध्यावधि चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार मौजूद है। ऐसी परिस्थिति में जब कि कांग्रेस सरकार का सिलसिला टूट चुका था, यह अभिभाषण हुआ। उन परिस्थितियों में उसमें इस से अधिक कुछ नहीं हो सकता था। यह इस बात का प्रमाण है कि जिन नीतियों की इसमें चर्चा है और इशारा किया गया है वे पर्याप्त हैं इस सरकार की दानिशमन्दी और इस मुल्क को आगे बढ़ाने की तमन्ना की।

अधिष्ठाता महोदय, बड़ी चर्चा हुई, हमारे पूर्व वक्ता जो शायद पहाड़ से ही आते हैं, उन्होंने बड़ी जोर से, बड़ी शान-शौकत से बिरला, टाटा और ७५ खानदान सब कुछ कह डाला जो कि थीम रही है इनकी जो कि अपने को लेफ्टिस्ट कहते हैं कि टाटा, बिरला और १५–१६ नाम ले लें, फिर उनके खिलाफ खूब कहा जाय। मैं उनसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि केराला में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसने टाटा और बिरला के साथ क्या समझौता करना नहीं चाहा? क्या आमंत्रित करना नहीं चाहा कि हमारे यहां इंडस्ट्रीज लागू कर दीजिये। यह बिलकुल स्पष्ट है और आज पश्चिमी बंगाल की सरकार जिसमें कम्युनिस्टों का बाहुल्य है क्या इस बात के लिये प्रयत्नशील नहीं है कि वहां के उद्योगपति वहां से उद्योग न हटावें और उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की जायगी, बल्कि उनको सुविधायें दी जायंगी? तो यह कह देने की जबान है, कह लीजिये, लेकिन जब हार्ड फैक्ट्स का मुकाबला आता है तो स्थिति दूसरी हो जाती है।

यहां पर चर्चा बड़े जोर से भ्रष्टाचारभ्रष्टाचार की होती है। इस प्रकार की चर्चाओं से हम किसी प्रकार के नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं बल्कि इस प्रकार के रिपेटीशन से, जप से वह बढ़ता ही है। क्योंकि जप का अपना महत्व है, जिस चीज को जप करो वह हो जाती है देखना तो यह पड़ेगा कि इसके कारण क्या होते हैं। हमेशा भ्रष्टाचार या पाप का कारण लोभ और डर होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है। दुबे जी ने बड़ी बारीकी से कहा कि राजनीतिक भ्रष्टाचार है।

बोर्ड में भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। मगर पिछले साल जब विपक्ष वालों ने मिल कर संविद सरकार का सृजन किया, और उस सरकार के जो मुखिया थे जिन्होंने किसी लालच में दल त्याग किया था, तथा और सदस्यों ने भी दल त्याग किया था, वह सब क्या था ? उस वक्त के जो उनके कारनामे थे, क्या उनको आप भ्रष्टचार की संज्ञा नहीं देंगे ? क्या वह सब भ्रष्टाचार नहीं कहा जायेगा ?

अब अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान एक विशेष बात की ओर दिलाना चाहता हूं। महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में थोड़ा-सा जिक्र पर्वतीय जिलों के बारे में किया है कि जो वहां की विकास परिषद् होगी वहां के पूर्णकालिक पदाधिकारियों को कुछ प्रशासनिक अधिकार भी दिये जायेंगे, किन्तु इतना ही काफी नहीं है। जिस उद्देश्य से इस परिषद् की घोषणा की गयी थी, उसको देखते हुये यह बहुत ही हलके फुलके ढंग से कहा गया है (लाल बत्ती होने पर) मुझे दो तीन मिनट का समय और दे दिया जाय। वैसे सरकार इसके लिये सजग है इसलिये मुझे निराशा नहीं है, किन्तु मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

श्रीमन्, जब अंग्रेजों का जमाना था, वे तो शासन करने में बड़े ही कुशल थे, अपने राज्य की शुरुआत में ही जब उन्होंने पहाड़ों का भ्रमण किया तो यह समझ लिया कि वहां की समस्यायें यहां से बिलकुल भिन्न हैं, वहां की स्थिति बिलकुल भिन्न है और वहां की भौगोलिक स्थिति आदि को देखते हुये, वहां के लिये उन्होंने एक अलग से डिस्ट्रिक्ट शैड्यूल ऐक्ट बनाया। वहां के लिये दूसरा ऐक्ट बनाया। आज भी वहां के शासन में यहां से कुछ भिन्नता है। हालांकि कोशिश की जाती है कि यूनिफार्मिटी लायी जाय, लेकिन उससे मुसीबत पैदा हो जाती है। जब हम आजाद हुये, आजादी के बाद हमने यह समझा कि पहले वाला जो डिस्ट्रिक्ट शैड्यूल्ड ऐक्ट है वह हमारे लिये एक तौहीन है, तो हमारी सरकार ने उसको रिपील कर दिया, किन्तु आज तक उसकी जगह कोई दूसरा ऐक्ट नहीं बना। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे विकास का संबंध हो, चाहे कोई और प्रश्न हो, यूनिफार्मिटी लाने से काम चलने वाला नहीं है। आपको तो पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति, वहां की ग्राम परिस्थति आदि को देखकर ही वहां के लिये कानून आदि बनाना होगा।

श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। अधिष्ठाता महोदय महामान्य राज्यपाल का अभिभाषण हमेशा उस सरकार की नीतियों का द्योतक होता है जिन नीतियों को सरकार अपनाया करती है। उसमें भी हालांकि बहुत स्पष्ट चर्चा तो नहीं है परन्तु कुछ संकेत उन नीतियों की ओर अवश्य है जिन नीतियों को यह सरकार अपनायेगी। मैं माननीय गेंदासिंह जी का जो इस सदन में हैं उपस्थित हैं, बहुत ही आदर करता हूं और करता रहूंगा। मानता हूं कि किसानों के लिये उनके दिल में दर्द है और किसानों की समस्या पर उनका अध्ययन भी है। जब वे इस सदन में महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्हें दो सूत्र महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में चर्चा करने के लिये मिले। उन्होंने पहली बात यह कही थी कि इसके अन्दर जिक्र किया गया है पिछले क्षेत्रों को उठाने की। उनकी इस बात का सब स्वागत करेंगे कि उन क्षेत्रों को उठाया जाय। परन्तु अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं माननीय गेंदा सिंह जी से कि जिस तरीके से प्रगति की गई है उस क्षेत्र की क्या उन्हें उससे संतोष है ? क्या वह कह सकते हैं कि उन क्षेत्रों के साथ जो होना चाहिये था वह कांग्रेस सरकार करती रही है ? अगर उन्हें विश्वास है तो मैं समझता हूं कि वह भूल करते हैं यह सरकार मेरे विचार से केवल कंकेडाइल्स टीयर्स बहाना चाहती है। अधिष्ठाता महोदय, कांग्रेस सरकार को कुछ ज्ञान हुआ हो या न हुआ हो परन्तु एक बात का अवश्य ज्ञान हो गया है कि उसे किस नीति की चर्चा करना चाहिए। मैं गेंदासिंह जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गेंदासिंह जी को पांच साल बाद भी शिकायत करने को मिलेगी।

[श्री जगवीर सिंह]

दूसरी बात माननीय गेंदासिंह जी ने कही कि कृषि उत्पादन पर बड़ा जोर दिया गया है। मैं स्वागत करता हूं इस सरकार का, बात तो कही गई है अधिष्ठाता महोदय, परन्तु कदम क्या उठाया जायेगा इस तरफ कोई संकेत नहीं है। मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं विशेष कर माननीय गेंदासिंह जी से कि वह जवाब देते समय बतलायें कि क्या चर्चा है। इसमें सभी बोलने वालों ने कहा कि कृषि उत्पादन के लिये पानी की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, अच्छे बीजों की आवश्यकता है, ठीक है इन बातों से किसी को एतराज नहीं हो सकता है कि इन चीजों के बगैर कृषि उत्पादन बढ़ेगा। कोई ऐसा सोचता होगा, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आपके द्वारा विशेष कर गेंदासिंह से कि जब किसान के दिल में पैदा करने की इच्छा ही न हो तो क्या वे पैदा करेंगे? अगर इन्सेन्टिव नहीं होगा तो क्या वे पैदा करेंगे। जब चीनी के भाव बढ़े चले जायं और गन्ने की कीमत कम होती चली जाय और हमारी सरकार चुप बैठी रहे। हमारी प्रदेश की सरकार को भी पूरा-पूरा हक है इस बात के कहने का जब कि नवम्बर के महीने से दिसम्बरी बढ़ी है, जब चीनी के भाव बढ़े हैं तो उत्पादक को कीमत कम नहीं मिलनी चाहिये। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं नहीं जानता कि हमारे गेंदासिंह जी भी इस बात को कहने में झिझकते हैं। यह तो स्वयं गेंदासिंह जी जानते हैं अधिष्ठाता महोदय, कि इस अभिभाषण के अन्दर कहीं भी जिक्र नहीं है कि किस कीमत पर हमारी सरकार गल्ला लेगी। क्या किसान को उचित मूल्य मिलेगा? क्या जिक्र हुआ इस बात का कि किसान ने पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न किया? क्या आपने किसान को (Minimum Economic fair price) दिलाने का प्रयत्न किया? अगर सरकार की नीयत साफ होती, अगर किसानों को वह प्रोत्साहन देना चाहती तो गेंदासिंह जी इस बातों का स्पष्टीकरण दें। मैं जानना चाहता हूं कि अभिभाषण में कोई इस बात का जिक्र है कि अगर किसानों पर कोई दैवी आपत्ति आ जाती है तो उनके मवेशी व फसलों के इंश्योरेंस का प्रबंध किया जाय। क्या किसानों को किसी प्रकार का इंसेन्टिव देने का प्रयत्न किया गया, क्या कहा गया कि किसानों को बिजली दी जायगी, उनके लिये सरकारी ट्यूबवेल्स से दूरी कम की जायेगी। एक गन्ना कहती यहां लोगों को ही यही मालूम होती है कि अगर इम्प्रूव्ड वेराइटी का बीज किसानों को दिया जायगा तो पैदावार बढ़ जायगी और रकबा ६० लाख से बढ़ा कर १०१ लाख कर दिया जायगा तो पैदावार बढ़ जायगी। मेरा अपना विश्वास है कि इस बार जो पैदावार होगी वह पिछले वर्ष से कम होगी। इसका कारण यह है कि नहरों में ५-५ हफ्ते तक पानी नहीं आया। अगर नहरों से समय पर पानी नहीं दिया जायगा तो किसी भी प्रकार से पैदावार नहीं बढ़ सकती।

अधिष्ठाता महोदय, गेंदासिंह जी को किसी जमाने में गन्नासिंह कहा जाता था लेकिन मालूम पड़ता है कि उनको गन्ने के प्रति जो प्रेम था वह अब कम हो गया है क्योंकि आज उन्होंने इस बात का कोई इन्तजाम नहीं कराया कि किसानों का गन्ना खड़ा न रहे। क्या देवरिया में जो गन्ना खड़ा है और मिलें उसको नहीं ले पा रही हैं, उसके लिये क्या आपने प्रबन्ध कराया कि वे लोग उसको स्वयं पेर सकें, अपने क्रशर लगा सकें। अगर उन्होंने इन बातों को कहा होता तो मुझे विश्वास होता कि उनको किसानों से हमदर्दी है और आप किसानों को उनकी पैदावार को बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं और प्रदेश को आत्म निर्भर बनाना चाहते हैं, जिससे अन्न के लिये दूसरे देशों से आप को न दबना पड़े। मुझे दुःख होता है जब यह कहा जाता है कि गेहूं का दाम पिछले वर्ष से कम मुकर्रर किया जायगा। क्या मैं गेंदासिंह जी से यह जान सकता हूं कि उनकी सरकार ने केन्द्र से यह सिफारिश की कि वह जो फर्टिलाइजर का दाम बढ़ाने जा रही है, उस से किसानों का दिल टूटेगा, इस से पैदावार पर असर पड़ेगा अगर सरकार की तरफ से इस प्रकार नीतियां बरती जाती रहीं तो पैदावार कभी भी नहीं बढ़ सकती।

यहां पर कुछ मित्रों ने पूर्व और पश्चिम का सवाल उठाया। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा प्रदेश एक है और उसको एक रहना चाहिये लेकिन इस प्रकार का प्रश्न इस सदन में उठा कर हमारे मित्र प्रदेश का भला नहीं करते हैं। आज भी पश्चिमी जिलों के आदमियों को न्याय लेने के लिये इलाहाबाद आना जाना पड़ता है और उसका इन्तजाम न तो यह कांग्रेस सरकार ही कर सकती है और मुझे अफसोस है कि संविद

की सरकार भी न कर सकी कि उन लोगों को सदा न्याय मिल सके। इसके अलावा आपके द्वारा मैं माननीय मित्रों को बताना चाहूंगा कि पश्चिमी जिलों के साथ किसी ने कोई तरफदारी नहीं की है। उनकी जो हालत अच्छी हुई है वह उनके परिश्रम के कारण हुई है। इसलिये पूर्वी जिलों के लोग अगर पूर्व पश्चिम की बात न करके अगर परिश्रम करने की सोचें तो अधिक अच्छा होगा, इस से उनका और प्रदेश का दोनों का भला होगा।

यहां पर चुनाव की बहुत चर्चा हुई। मैं माननीय उपनेता सदन के विचारों से इस बारे में सहमत हूं जिन्होंने बताया हम लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का प्रयत्न न करें इस से तो जुडीशियल इंक्वायरी हो जाय। बहुत से हमारे मित्रों ने भारतीय क्रांतिदल पर दोषारोपण किया। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर इंक्वायरी हुई तो जिन लोगों के दामन साफ नजर आते हैं, उनके दामन काले दिखाई देंगे और जिनके दामन काले समझे जा रहे हैं उनके दामन साफ दिखाई पड़ेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं चौधरी साहब द्वारा प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और श्री गेंदासिंह के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। अभी-अभी श्री जगबीर सिंह जी कह रहे थे कि माननीय राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वह सरकार की नीतियों का द्योतक होता है। इस बात से मैं पूरी तौर से सहमत हूं। इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो संशोधन आये हैं मैंने उनको ध्यान से पढ़ा है। इनको पढ़ने के बाद मैं श्री जगबीर सिंह जी से कहूंगा कि जो संशोधन विरोधी दल के नेता लोग रखते हैं उनसे भी हम यही समझते हैं कि वह भी उन दलों और व्यक्तियों की नीतियों के द्योतक होते हैं। मैं एक संशोधन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि चौधरी साहब ने श्री गेंदा सिंह जी के धन्यवाद के प्रस्ताव के ऊपर पेश किया है। उनके संशोधन (ब) में लिखा है कि 'प्रदेश के प्रशासन व सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार के निरोध व उन्मूलन के उपायों का कोई जिक्र नहीं किया।' हमारे चौधरी साहब बहुत बुजुर्ग हैं और मैं उनका बहुत आदर करता हूं और हम उनकी बहुत प्रशंसा किया करते थे लेकिन मैं उनके इस वाक्य को पढ़कर आज यह नहीं समझ पा रहा हूं, अगर वह यहां होते तो उनसे पूछता और करबद्ध निवेदन करता कि यह 'सार्वजनिक भ्रष्टाचार, जो शब्द आपने अपने संशोधन में रखा है इसकी परिधि और इसके अर्थ क्या हैं और चौधरी साहब इसके क्या माने समझते हैं। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का इस बात से बढ़कर और क्या उदाहरण होगा कि एक व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में किसी एक संस्था के चुनाव टिकट से खड़ा हो और उस दल के टिकट पर चुना जाय और एक रात के दरम्यान उस संस्था को ठुकरा कर बगैर इस्तीफा दिये और नया चुनाव लड़े दूसरी संस्था में चला जाय। मैं चौधरी साहब से कहूंगा कि इस तरह के उदाहरण इतिहास में हुये हैं, हमारे प्रदेश में भी हुये और प्रदेश के बाहर भी हुये हैं और लोगों ने दल बदले हैं। माननीय हाफिज मोहम्मद इब्राहीम इसी विधान सभा के सदस्य थे .... (व्यवधान)

उन्होंने मुसलिम लीग को पहले छोड़ा, विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा तब वह विधान सभा के सदस्य बने। इसी तरह से हरियाणा में भी श्री हरिद्वारी लाल ने दल बदला और उन्होंने भी अपने पहले दल से त्याग पत्र दिया.....

एक सदस्य—

गेंदा सिंह और उन के साथियों ने भी कोई इस्तीफा दिया था ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कन्हैया लाल—

मैं चाहता था कि चौधरी साहब "इन सार्वजनिक अत्याचार" शब्द की व्याख्या करते और हमें समझाते कि उसका क्या अर्थ है। मैं तो उनके सामने बच्चा हूं, पढ़ा हूं और सीखा है मैंने उन से, लेकिन मुझे वह इतना और समझा देते कि सार्वजनिक जीवन में अत्याचार के माने वह क्या लगाते हैं।

एक और बात मैं श्रीमन्, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं। इस संबंध में माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी का एक संशोधन है। उसमें उन्होंने लिखा है "(५) हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग की उन्नति के लिये विशेष ध्यान देने, हरिजनों के लिये नौकरियों में सुरक्षित १८ प्रतिशत स्थानों की गारंटी दिलाने, तथा योजना में २५ प्रतिशत व्यय उनके विकास में व्यय करने का जिक्र नहीं है"। मुझे अफसोस है कि वे इस समय यहां पर मौजूद नहीं हैं वर्ना मैं उनसे पूछता कि उनके इस से क्या मायने हैं? उनको मालूम होना चाहिये कि इस विधान सभा से पहले जिस वक्त वे लोग यहां बैठे हुये थे, उन्हीं के दल के नेता श्री राम प्रकाश जी उप-मुख्य मंत्री थे। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त यह विभाग, अर्थात् हरिजन कल्याण विभाग, भी उनके ही पास था। मुझे मालूम है कि जितनी सुविधायें हरिजनों को कांग्रेस शासन काल में दी गयीं थीं, श्री राम प्रकाश जी ने आधी कर दी थीं। तो अब यह प्रस्ताव किस प्रकार से वे रख रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि या तो वे जनता की खुशनोई के लिये रख रहे हैं या जनता को भ्रम में डालने के लिये किया जा रहा है कि हम लोग कितने अच्छे हैं कि इस प्रकार के संशोधन प्रस्तुत करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन संशोधनों से उनके दल की नीतियों से कोई तालमेल नहीं है।

दूसरे श्री राम प्रसाद देशमुख, जो कि संविद के कार्यकाल में बिजली के उपमंत्री थे, उन का एक संशोधन आया है। उन्होंने लिखा है 'किसानों को जो बिजली दी जाती है उसमें कोई सुविधा नहीं दी जाती है, न उनको, उद्योगपतियों को रेट में जो छूट है, वह दी जाती है और न उनको कम रेट पर बिजली मिलती है, इसका जिक्र नहीं किया है।]

आपको मालूम है कि सन् १९६७ से पहले जब कांग्रेस का शासन था उसमें ट्यूबवेल्स के लिये बिजली देने का एक अलग प्राविधान था कि अगर १० हौर्स पावर की बिजली लेता है तो उनको ४ फर्लांग मुफ्त लाइन दी जायगी। पर जब संविद की सरकार आयी और श्री देशमुख विद्युत् उपमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में यह जो सुविधा थी काटी गयी। यह भी देखने में आया कि जो १९६५ व १९६६ में मंजूर शुदा कनैक्शन्स थे उनको बिजली देने के लिये लाइन आदि का एस्टीमेट १५-१५ या २०-२० हजार के आये और उनसे पूरा खर्चा वहन करने के लिये कहा गया। उसका नतीजा यह हुआ कि आज तक १९६५-६६ के मंजूर शुदा कनेक्शन नहीं लग पाये। तो मेरा यह कहना है, अधिष्ठाता महोदय, कि ये संविधान बिलकुल निर्मूल हैं।

इन शब्दों के साथ मैं श्री गेंदा सिंह जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो संशोधन विरोधी दलों की ओर से आये हैं, उनका विरोध करता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से, मेरा निवेदन है कि जो व्यक्ति अपने आप को डिफेन्ड करने के लिये इस समय सदन में उपस्थित नहीं है, उस पर कोई लान्छन नहीं लगाना चाहिये। ये संविद के शासन के बारे में कह सकते हैं परन्तु व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के जैसा इन्होंने श्री रामप्रकाश जी के बारे में कहा, नहीं कहना चाहिये। मैं तो कह सकता हूं कि जो सुविधायें कांग्रेस के कार्यकाल में मिलती थीं संविद के जमाने में उससे दुगनी दी गयीं।

[श्री कन्हैयालाल—

श्रीमन्, यह तो मैंने एक नीति के बारे में कहा।

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने उपमंत्री का नाम लिया है। इस प्रकार से यह उचित ही है।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कृषि संबंधी प्राथमिकता, पिछड़े क्षेत्रों के विकास और उद्योगीकरण का जिक्र था और उस संबंध में यहां पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे परन्तु यह सर्वथा स्वयं सिद्ध सा हो गया है कि प्रदेश की जनता जो गरीबी से पीड़ित है, भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसी हुई है अपने आपको गुमराह सी पा रही है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र के कुछ मित्रों ने कहा कि वहां किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। इस संदर्भ में मैं यह कहना उपयुक्त समझता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में सितम्बर के महीने में २६५ ड्रम्स मिट्टी के तेल के गोवाखाल नामक स्थान पर ब्लैक कर दिये गये। अधिकारियों तथा नेताओं के द्वारा कुछ नहीं हो सका। मेरे चुनाव क्षेत्र में एक हरिजन भाई कत्ल कर दिया गया पर कोई कार्यवाही उस पर नहीं की गयी, न कोई ध्यान दिया गया। इसके साथ-साथ देवप्रयाग में अलकनंदा नदी पर लोहे का पुल बनाया गया और वह इतना मजबूत बना कि जैसे ही बकरियां उस पर से गुजरीं वह टूट गया। आज भी वह लोहे का पुल अपनी लाश को लिये खड़ा है। तीन रुपये बोतल मिट्टी का तेल वहां बिक रहा है। ढाई रुपये किलो गुड़ बिक रहा है और १ रुपये सेर नमक बिक रहा है। अब पता नहीं हमारी यह सरकार भ्रष्टाचार तथा अनाचार किस माने में मानेगी ?

जहां तक प्लानिंग का संबंध है, हमारा दुर्भाग्य है कि यहां की प्लानिंग ही ऐसी बनी कि गरीब बहुत गरीब होता गया और अमीर बहुत अमीर होता गया। इसी प्रकार से जो उन्नत प्रदेश थे वहां अधिक पूंजी लगती गई और प्लानिंग के जरिये वहीं अधिक से अधिक पूंजी लगने जा रही है। इस से बढ़कर देश और प्रदेश के लिये दुख की बात और क्या हो सकती है ?

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि हम पिछड़े क्षेत्रों का विकास करेंगे सरकारी जो रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर मैं यह बतलाना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र से अधिक पिछड़ा और कोई क्षेत्र नहीं है। १९६१ की जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े पन में प्रदेश में पहाड़ी जिलों का स्थान निम्नलिखित है :

पिथौरागढ़	..	५४
उत्तरकाशी	..	५३
चमोली	..	५२
टेहरी गढ़वाल	..	५१
अल्मोड़ा	..	५०
गढ़वाल	..	४३
नैनीताल	..	२१
देहरादून	..	९

यह भी स्मरण रहे कि नैनीताल और देहरादून पर्वतीय जिलों में ऐसे जिले हैं जिनका विकास बहुत अच्छा और बहुत अच्छे ढंग से हो चुका है और जनगणना एटलस, १९६१ के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों को अगर कृषि योग्य भूमि के आधार पर आंका जाय तो प्रदेश में उनका स्थान निम्न प्रकार है :

		एकड़
नैनीताल	..	८
देहरादून	..	४
उत्तर काशी	..	३.५
गढ़वाल	..	२.५
चमोली	..	२.३
टेहरी गढ़वाल	..	२.१
अल्मोड़ा	..	१.९
पिथौरागढ़	..	१.४

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से नैनीताल १ एकड़, देहरादून ५, उत्तरकाशी ७, गढ़वाल ५, चमोली ५, टेहरी गढ़वाल ४, अल्मोड़ा ४ और पिथौरागढ़ २ एकड़। इसके अतिरिक्त कृषि संबंधी आंकड़ों को देखा जाय तो १९६१ की सरकारी रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश की औसत ४८२ थी जब कि गढ़वाल की २६९, चमोली-पिथौरागढ़ की १०९ थी। इसी तरह से शुद्ध सिंचित भूमि की ओर भी अगर हम दृष्टि डालें तो उत्तर प्रदेश में इसकी औसत ३१ है जब कि टेहरी गढ़वाल की ७, उत्तरकाशी की २५.१, नैनीताल के पहाड़ी भाग का ६.४, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में ४.७, गढ़वाल चमोली में २.५ है। इन तमाम तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि पर्वतीय इलाका ही उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा है देवरिया जिले को छोड़कर। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर्वतीय प्रदेश का विकास अविलम्ब किया जाय। यह विकास किस प्रकार से होना चाहिये। पर्वतीय विकास परिषद् की बात आयी। यह तो पर्वतियों को बहलाने के लिये एक झुनझुना है। इस के लिये तो अलग बजट होना चाहिये और एक ऐसा संगठन होना चाहिये जिस से शीघ्रता से वहां का विकास संभव हो सके।

शिक्षा के विषय में भी महामहिम राज्यपाल ने पर्वतियों के ऊपर एक बड़ी भारी कृपा की और वह कृपा है हमारे लिये कुमायूं विश्वविद्यालय। जहां तक मुझे मालूम है कानपुर और मेरठ विश्वविद्यालय के साथ ही इसकी भी योजना थी और कुमायूं विश्वविद्यालय के बारे में चौथी पंचवर्षीय योजना में मांग स्वीकार करने की योजना है। जैसा कि आंकड़ों और समाचारों से विदित है कुमायूं विश्वविद्यालय ६८ लाख रुपये की लागत से बनने वाला है। उसी पर्वतीय प्रदेश का कुछ अंचल ऐसा है जहां आज भी डिग्री कालेज नहीं है। बिड़ला बन्धु अगर बद्रीनाथ न गये होते तो आज भी गढ़वाल में डिग्री कालेज न होता। टेहरी गढ़वाल में आज भी नहीं है। उत्तरकाशी की वही स्थिति है। कुमायूं यूनिवर्सिटी कैसी बनेगी? अगर वह रेजीडेंशल बनेगी तो जैसा कि आंकड़े बताते हैं ऐसा लगता है कि वह नैनीताल में बनेगी। नैनीताल उन पर्वतीय जिलों के किनारे पर है जिस से कि अन्य पर्वतीय जिले बिलकुल उपेक्षित रह जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय गेंदा सिंह जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहा हूं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में वह तमाम जरूरत की चीजें आ गयी हैं जो एक सामाजिक तरक्की देने के लिये आवश्यक होती है। जन जीवन जिस से सुखी होगा वह तमाम इशारे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में मिलते हैं। उन्होंने अपने अभिभाषण में पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिये, पिछड़े इलाकों के उत्थान के लिये, पर्वतीय क्षेत्र की जनता के उत्थान के लिये, सड़क और अस्पताल के लिये, कृषि और सिंचाई के लिये, विद्युत् उद्योग की उन्नति के लिये, हिन्दी के विकास के लिये, राजकीय कर्मचारियों के भोजन और वस्त्र के प्रबंध के लिये, महिलाओं और शिशुओं के प्रबन्ध के लिये यानी जितनी सुविधायें समाज के लिये आवश्यक होती हैं वे सब राज्यपाल महोदय के भाषण में हैं और हमें आशा है कि सदन में बैठे हुये सभी माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के भाषण पर जरूर धन्यवाद देंगे। रही बात यह कि विरोधी पक्ष के लोग विरोध की बात केवल इसलिये कहते हैं कि जैसे कल हमारे एक मित्र ने बड़ी ईमानदारी के साथ कहा कि सरकारी पक्ष की तरफ से बात कहनी चाहिये और विपक्ष के लोगों को विरोध करना चाहिये। अगर उसी नाते विरोध कर रहे हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। अभी कुछ घंटे पहले विरोध पक्ष के एक और साथी ने बतलाया कि मैं लड़खड़ाया, लेकिन मेरा लड़खड़ाना बच्चे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की तरह था। अगर इसी तरह से वे कहते हैं तो उनका स्वागत है और अच्छा लगेगा। मुझे आशा है कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य अवश्य धन्यवाद देंगे।

रही बात किसानों के हित की, मुझे ताज्जुब होता है उस समय जब हमारे विरोधी दल के लोग किसानों का नाम लेते हैं जब कि संविद सरकार के जमाने में किसानों से सिंचाई की सुविधायें ले ली गईं, बिजली की सुविधायें ले ली गईं और उनके घरों में उनकी पुलिस ने डाकुओं की तरह से घुसकर अनाज वसूल किया। सुल्तानपुर जिला अभावग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। इसलिये वहां लोगों को मदद देने के बजाय उनके घरों में घुसकर अनाज वसूल किया। औरतें खाना बना रही थीं उनको कपड़े बदलने तक का मौका नहीं दिया। ताज्जुब यह है कि कुछ घर ऐसे निकले जहां संविद सरकार ने ५० क्विंटल का अन्दाजा लगाया था वहां भूसा वगैरह सब मिलाकर ५० पसेरी से ज्यादा अनाज नहीं निकला। मैं उनके नाम जानता हूं जिनके ऊपर हमारी सरकार ने ऐसा हिसाब लगाया था। ये ही लोग किसानों का नाम ले रहे हैं। संविद सरकार के जमाने में किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा। ट्यूबवेल के लगाने की जो सुविधायें दी गई थीं उनको भी बन्द कर दिया गया और लोग त्राहि त्राहि करते रहे। आज ताज्जुब है कि उनके नुमायन्दे संविद सरकार की तारीफ करते हैं और किसानों का नाम लेते हैं।

आज कर्मचारियों के नाम पर विरोधी दल के लोग केवल अध्यापकों का ही नाम लेते हैं और चौकीदार से लेकर ऊपर तक किसी कमचारी का नाम नहीं लेते हैं इसलिये कि यू० पी० के अध्यापकों ने स्पष्ट रूप से प्रस्ताव पास किया था कि वे कांग्रेस का विरोध करेंगे। खाना मिले या न मिले लेकिन अध्यापकों ने ऐसा प्रस्ताव पास किया था इसलिये हमारे भाई उन्हीं का नाम लेते हैं। आपने सरकारी कमचारियों को जो १०-१० साल से नौकर थे उनको नौकरियों से अलग कर दिया क्या वह सरकारी कर्मचारी नहीं थीं जिन महिलाओं के ब्लाउज फाड़कर संविद सरकार की पुलिस ने मारा था। संविद सरकार के जमाने में औरतों के ऊपर डंडे बरसाये गये। महिला कर्मचारी आज गलियों में भीख मांग रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज सरकारी कर्मचारी भूखों नहीं मर रहे हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि संविद सरकार के जमाने में हमारी माताओं, बहिनों को पुलिस के डंडे खाने पड़े हैं। हमारे किसान दाने-दाने को तरसते रहे और पैसा देकर उन्होंने आपको क्विंटल दिया। भ्रष्टाचार का नाम लेने वाले बंधुओं, मैं याद दिलाता हूं कि संविद सरकार के समय आपने जो क्विन्टल लगाया था बाद में नायब तहसीलदार को बीस बीस रुपया देकर माफ हुआ। बड़े बड़े लोगों का क्विंटल माफ हो गया लेकिन गरीब किसानों का जिनके पास पैसा नहीं था क्विंटल नहीं माफ हुआ। आज आप किसान और मजदूर का नाम लेते हैं। मुझे तकलीफ होती है। दोस्तो, आप सोचिए।

श्री अधिष्ठाता—

मुझे संबोधित कीजिये।

श्री शिव कुमार (सुल्तानपुर)—

कांग्रेसी हुकूमत ने राजस्थानी रेगिस्तान में पानी पैदा किया। आपकी सरकार के जमाने में पानी न मिलने के कारण (व्यवधान) दिल पर हाथ रख कर सुनिये।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपा करके चेयर को संबोधित करके बात कहें। जो कहना हो चेयर के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करें।

श्री शिव कुमार (सुल्तानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिन्दगी में पहली बार विधायक हो कर आया हूं। नियमों के अनुसार यदि गलती हो जाय तो मुझे माफ कीजियेगा। मैं यह कह रहा था कि उन घावों को उघारा न जाये जो संविद सरकार के जमाने में लगे हैं। मैं अर्ज करूंगा कि पांच साल की जिन्दगी में हमारी सरकार उन घावों पर मरहम लगाकर पूरा करे। लेकिन अगर आप उन घावों को

[श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)]

कुरेदते रहेंगे तो याद ताजी बनी रहेगी। वह घाव मुझे ही नहीं लगा है, जनता को भी लगा है। जनसंघ के मजबूत हाथों से समर्थित संविद सरकार का चुनाव में नतीजा देखिये। जनसंघ सबसे पीछे चला गया। दोस्तों, यह जनता का फैसला है, सदन का फैसला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता का फैसला है। आधी कर दी गयी आपकी तादाद। मतलब यह है कि जनता आपको फूटी आंखों नहीं देखना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र की भी चर्चा की गयी।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

व्यवस्था का प्रश्न है। "फूटी आंखें" क्या संसदीय शब्द हैं? (शोर)

श्री अधिष्ठाता---

(सुनाई न देने पर) कृपया आप फिर से दोहरा दें व्यवस्था का प्रश्न।

(श्री संड ने प्रश्न नहीं दोहराया।)

श्री शिव कुमार (सुल्तानपुर)---

हो सकता है कि जनता प्यार से देखे। लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैं जिस इलाके से आया हूं वहां पर डंडे के बल पर वोटरों को जाने नहीं दिया गया। फिर भी जनता ने उनको नहीं चुना। यह है जनता का प्यार। तो दोस्तों मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया। आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें।

(श्री डी० पी० बोरा का नाम पुकारने पर)

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)---

मैं व्यवस्था चाहता हूं। हमारी पार्टी संसोपा के एक सदस्य अब तक बोले हैं। कृपा करके आप इधर भी आंख रखिए।

श्री अधिष्ठाता---

जरूर ध्यान रखा जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मुझे भी यह निवेदन करना है कि हमारे पक्ष की ओर से भी केवल एक व्यक्ति बोला है।

श्री अधिष्ठाता---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

मुझे वैधानिक आपत्ति यह है कि आप नाम लेकर हाउस में संबोधन करते हैं। कौन सी व्यवस्था आपने बना ली है या कौन सी संसदीय परंपरा है, किस तरह से आप करते हैं? जनसंघ दल की ओर से नाम गये हैं। मेरा नाम सबसे ऊपर है। मैं हमेशा खड़ा होता हूं, आपने अब तक नहीं पुकारा। कोई स्वस्थ व्यवस्था स्थापित कीजिये। हम लोग कोई स्कूल के लड़के तो हैं नहीं कि बार-बार खड़े हों।

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जिस सदस्य के ऊपर पहले मेरी आंख पड़ जाती है उसे मैं बुला लेता हूं।

[श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य एक दिन में इस सदन में कितनी बार व्यवस्था का प्रश्न कर सकते हैं ? अगर नियमावली में ऐसी कोई बात हो तो जरा बतला दें। मैं देख रहा हूं कि एक माननीय सदस्य सुबह से शाम तक बार-बार व्यवस्था का प्रश्न करते रहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठ जायं, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हुआ। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर विरोधी दल के नेता द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में कुछ अति आवश्यक बात मैं सदन के सम्मानित सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक बहुत ही अति आवश्यक बात किसी कारणवश नहीं कही गयी है जो कि सारे विश्व के लोगों के सामने एक समस्या बन कर खड़ी है और वह है नवयुवकों के बारे में। आज नवयुवकों में एक निराशा का वातावरण है और वे एक घुटन की जिन्दगी गुजार रहे हैं। उसके ऊपर न तो राज्यपाल महोदय ने कोई बात कही और न सरकारी पक्ष के किसी वक्ता ने ही कोई प्रकाश डालने का प्रयास किया है। मैं जानता हूं कि मैं आज जो कुछ बात कहने जा रहा हूं वह स्वयं के १२ साल के विश्वविद्यालय के अनुभव से प्रेरित है और उसमें कुछ कटु सत्य है जिसकी वजह से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है।]

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार के उन सम्मानित सदस्यों का ध्यान विश्वविद्यालय में व्याप्त दूषित वातावरण की ओर ले जाना चाहता हूं। आज राजनीतिज्ञ लोग अपने हथकण्डों के माध्यम से बड़े-बड़े प्रोफेसरों, अध्यापकों व विद्यार्थियों की राजनीति में दखल रखते हैं जिसके कारण-वश अच्छा और शैक्षिक वातावरण विश्वविद्यालय का नहीं बन पाया है। मैं समझता हूं कि बड़ा ही अच्छा होता अगर माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित होते जिनके सामने मैं अपनी बात कहना चाहता था। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब विश्वविद्यालय में एक पत्थर का टेबलेट लगने पर प्रोक्टर की शिकायत की गयी और वर्तमान मुख्य मंत्री के सामने यह बात कही गयी तो उस वक्त उन्होंने कहा कि यह पत्थर लगाने की बात बहुत खराब है और उसको निकाल दिया जाय। लेकिन आज वही प्रोक्टर साहब जब उनको मिष्ठान्न पर आमंत्रित करते हैं तो उस वक्त वहां जाते हैं और उस वक्त प्रोक्टर अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हैं। विश्व विद्यालय में जितनी गुटबन्दी है और वहां का जितना विषाक्त वातावरण है उसकी जिम्मेदारी आज के राजनीतिज्ञों के ऊपर है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जो शासन सत्ता होती है वह असत्य के सामने झुकती है, सत्य के सामने नहीं। जब विद्यार्थी आन्दोलन उग्र होता है उस वक्त सरकार और सरकार की जो मशीनरी होती है वह सारी बातों पर गौर करती है लेकिन जब विद्यार्थी शांति से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं उस वक्त विद्यार्थियों को आन्दोलन करने के लिये मजबूर किया जाता है।

मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि आज से कुछ दिन पूर्व १७ तारीख को जब रिक्शे व तांगे वालों ने हड़ताल की थी तो एक प्रतिनिधि मंडल को लेकर मैं उनसे मिलने गया था। मैं आपसे इस समय उनके प्रतिशोध की भावना की बात कहता हूं। उस वक्त अखबारों में मैंने इस चीज को नहीं दिया और अखबारों वाले चूंकि उस प्रतिनिधि मण्डल में थे इसलिये मैंने उनको अखबारों में इस चीज को देने से मना कर दिया था और उनसे कह दिया था कि इस बात को मैं सदन में ही उठाऊंगा। उस समय मुख्य मंत्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री डी० पी० बोरा]

ने कहा था कि लखनऊ के लोगों ने हमारे उम्मीदवारों को नाकामयाब किया है इसलिये ऐसे लोगों को पानी नहीं मिलना चाहिये। मैं यह बात आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री तक पहुंचा देना चाहता हूं। अगर प्रतिशोध की भावना उनके दिल में इतनी ज्यादा हो गयी है तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र इस सूबे में कदापि कामयाब नहीं हो सकता है।

मान्यवर, मुख्य मंत्री ने एक बात और कही थी शायद वह किसी असीम लगाव की वजह से कही है या और किसी कारण से कही है मैं ठीक नहीं कह सकता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तुमने मेरा डण्डा नहीं देखा है। मान्यवर, मैं एक प्रतिनिधि मण्डल के नेता के नाते उनसे मिलने गया था। उनकी यह बातें मुझे बहुत बुरी और तीखी लगीं, लेकन चूंकि वह मेरे से बड़े हैं इसीलिये मैंने शांति से उनकी बात को सहन कर लिया। मैं उमर में छोटा हूं और ऐसी बातें कह रहा हूं, इस कारण शायद मेरी बातें कुछ लोगों को कटु लगें। किन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उनमें सत्यता नहीं है और तोड़ मरोड़ कर बात कही गई है एवंम् इससे यदि मुख्य मंत्री जी इंकार कर दें तो मैं सदन में एलान करता हूं कि फिर मैं नहीं चाहूंगा कि इस सदन में आगे बैठूं। मैं जानता हूं कि मेरी बातों पर सफाई देने के लिये मुख्य मंत्री जी कोई बहाना अवश्य ढूंढेंगे।

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)---

ये सब घरेलू बातें हैं, ये आप यहां कहां ले आये।

श्री डी० पी० बोरा---

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में, डिग्री ला स्टूडेंट्स के ऊपर प्रैक्टिस शुरू करने के लिये ५०० रुपये की जो स्टाम्प ड्युटी लगाई गई है, उसको हटाने के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। अन्य प्रदेशों में केवल २५० ० देने से एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन यहां पर अलग से ५०० रुपया स्टाम्प ड्युटी का लगता है, जिस कारण बहुत से लोग इस पेशे में नहीं आ पाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि कि इस मेरे संबोधन को भी राज्यपाल के संबोधन में जोड़ लिया जाय।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान लखनऊ विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव की ओर खास तौर से दिलाना चाहता हूं, जहां पर उनके इशारे पर आज वहां के प्राक्टर विरोधी पार्टी के उन विद्यार्थी नेताओं के ऊपर तमाम तरह की कार्यवाही करके उनका विश्वविद्यालय से निष्कासन करना चाहते हैं। मैं बहुत पुरजोर शब्दों में इस बात को कहता हूं और यदि आवश्यक हो तो सच्चाई भी लाकर सामने रखने को तैयार हूं इस विश्वविद्यालय में चाहे एक्जीक्यूटिव का एप्वाइंटमेंट हो चाहे चपरासी का एप्वाइंटमेंट हो उसमें मुख्य मंत्री जी से पूछा जाता है, और इसकी वजह से उसकी एटोनामी पर बहुत बड़ा खतरा है। मैं चाहूंगा कि इस प्रणाली को वह समाप्त करने का प्रयास करें।

मान्यवर, सरकारी दल के कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का आरोप हमारे दल के नेता चौधरी चरण सिंह, खासतौर से भारतीय क्रांति दल पर लगाया है कि उसके उम्मीदवार जातिवाद का सहारा लेकर चुनाव जीते हैं। क्या लखनऊ नगर की चारों सीटें भारतीय क्रांति दल ने जातिवाद के बल पर जीती हैं, जहां पर अधिकांश पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग रहते हैं? जिस नगर में इतने प्रबुद्ध और समझदार लोग रहते हैं जहां पर हमारी पार्टी ने चारों सीटें जीती हैं, इस सवाल को कदापि नहीं उठाना चाहिये था। यह कहना कि लखनऊ में जातिवाद के नारे के ऊपर और अन्य किसी संकीर्णता के ऊपर आपके विधायक चुनाव जीते हैं सरासर असत्य है और मैं उनसे आपके माध्यम से चेतावनी देकर कहना चाहता हूं कि मैं इस्तीफा देने के तैयार हूं आप में से कोई भी लखनऊ की किसी सीट पर चुनाव लड़ कर देख ले, उसकी जमानत जब्त हो जायगी।

अब मैं सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान लखनऊ नगर की कुछ उन समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगा जिनकी वजह से पूरी जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। इस नगर में जल समस्या बड़ी ही विकराल रूप धारण किये हुए इस प्रदेश की जनता के सामने खड़ी हुई है। नागरिकों को आये दिन एक एक बूंद पानी के लिये तरसना पड़ता है। आये दिन कई कई घण्टों तक नगर में पानी की सप्लाई बन्द हो जाती है और लोगों को भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं कभी कभी तो विशेष मौकों पर जब पानी की विशेष आवश्यकता होती है घरों के नल पानी देना बन्द कर देते हैं, मैं चाहता हूं कि राज्यपाल का ध्यान इस ओर अवश्य जाना चाहिये था।

श्री चंदलसिंह (जिला रामपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय गेंदा सिंह द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने देखा है कि इसमें जो संशोधन दिये गये हैं, वह वास्तव में सिर्फ बहस करने के लिये ही दिये गये हैं, जबकि वे सब चीजें इसमें मौजूद हैं जिनको आप लोग चाहते हैं। मैं समझता हूं श्रीमन् कि प्रदेश की गवर्नमेंट इस सूबे के पिछड़ेपन को दूर करने पर पूरा ध्यान दे रही है। मिसाल के तौर पर पांच वर्षीय योजनाओं के लागू होने पर काफी धनराशि ऐसी इकट्ठी हो जायेगी जिससे सूबे में जो अब तक योजनायें बन्द पड़ी हैं, चालू हो जायेंगी और प्रदेश को प्रगति का अवसर मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश में पिछड़ेपन को दूर करने के लिये पहाड़ी और पूर्वी जिलों में खास स्कीमें लागू की जा रही हैं, जिससे प्रदेश के वह हिस्से भी सब के साथ उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकें। खेती की उन्नति के लिये और उन्नत फसलों को बोने के लिये बहुत प्रोत्साहन दिया गया है जिसमें ईरीगेशन को पावर ज्यादा दिलाने की योजना भी शामिल है। आपको मालूम है कि तराई एरिया में पन्त नगर में पन्तनगर यूनिवर्सिटी खेती की उन्नति के लिये तराई उन्नतिशील कृषकों के साथ मिलकर बड़े प्रयास कर रही है। वह उन्नत बीज पैदा कर रहे हैं, जो किसानों को सप्लाई किये जाते हैं। प्रदेश में उनके बीज मिलने में कोई दुश्वारी नहीं है। इसलिये मैं उन्हें धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता।

लेकिन भाइयों इन सब चीजों के बावजूद भी बड़ी महंगाई है, सब चीजों की महंगाई हो रही है।

श्री अधिष्ठाता—

आप चेयर को एड्रेस करके अपनी बात कहिए।

श्री चंदलसिंह—

भाई एक बारी। मैं नया आदमी हूं, इसलिये गलती माफ कर दीजिये। अभी-अभी आज के अखबार में निकला है कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने गेहूं के भाव में और ६ परसेंट कमी करने का सुझाव दिया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस सूबे में अगर गेहूं का भाव १०० ० प्रति क्विंटल से कम मुकर्रर किया गया तो किसानों के साथ बड़ा बड़ा नाइन्साफी होगी। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि गेहूं के निकलते ही सरकारी खरीद शुरू करदेनी चाहिये। जब भाव बहुत डाउन हो जाता है तो उससे किसानों को बहुत बड़ी परेशानी होती है। गेहूं को इकट्ठा करने के लिये गोदामों की बहुत कमी है। प्रोक्योरमेंट शुरू करने से गोदामों का इन्तजाम कर लेना चाहिये, ताकि किसानों को परेशानी न हो। इसके अलावा गन्ने की जो परेशानी चल रही है, जिसके कारण प्रदेश में एक हाहाकार मचा हुआ है। मिलें बन्द पड़ी हैं, श्रमिक बेकार हैं और किसान का नुकसान हो रहा है। गन्ने का दाम कम कर दिया गया है १० रुपये तक मुकर्रर किया है। जोकि बहुत कम है, इसलिये मैं आगे कहना चाहता हूं गन्ने की कीमत आगे के लिये और बढ़नी चाहिये। इस पर राज्यपाल का ध्यान जाना चाहिये था और यह चीज इसमें आ जाती तो बहुत अच्छा होता। एक बात कहे बिना और मैं नहीं रह सकता, जब किसान अपनी मेहनत से ज्यादा पैदा करता है और उसका भाव मण्डी

[श्री चंचल सिंह]

की वजह से ऊपर हो जाता है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि किसानों की आमदनी हो गयी। लेकिन वह लोग ध्यान में नहीं रखते कि अरबों रुपया जो किसानों के सिर पर कर्ज का है वह उतर जायगा, तो उससे किसी का नुकसान नहीं है। इससे व्यापारियों का भी फायदा होगा और सरकार का भी फायदा होगा। सरकार को अधिक टैक्स मिल सकेगा और किसान की क्रय शक्ति बढ़ जाने के कारण व्यापारियों के माल की बिक्री बढ़ जायेगी, जिससे उसे लाभ होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि किसानों की उन्नति करने के लिये उसके फसल की कम से कम कीमत मुकर्रर की जाय ताकि जिस फसल को वह बोना चाहे उस पर जो देकर खेती को प्रोत्साहित करे। हमारे यहां किसानों का बहुमत है और अगर किसान प्रोत्साहित होता है तो सारा सूबा प्रोत्साहित होता है।

इसके अलावा हमने देखा है कि रामगंगा और दूसरी योजनायें सिंचाई को बढ़ाने के लिये है। ट्यूबवैल्स और बड़े ट्यूबवैल्स लगाने का भी यत्न है। अगर बड़े ट्यूबवैल्स, नहरें और दरियाओं के किनारे लगाये जायं तो जनता को पानी कम मिलता है तो उसमें मदद मिलेगी। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि इस स्कीम को चालू करने के लिये जरूरी कार्यवाही की जाय।

इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि सिंचाई और दूसरी चीजों के लिये कामर्शल बैंकों और दूसरे सहकारी बैंकों द्वारा सहायता दी जाय। मैं कहना चाहता हूं कि बैंक किसानों की खातिरख्वाह मदद नहीं करते हैं और पैसा मिलने में बड़ी मुश्किलें हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो किसान की मुश्किलें है उनको दूर करने का प्रयत्न किया जाय।

इन्डस्ट्री के मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सेट-अप में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को तरक्की दी जाय और कहा जाता है कि जब तक इन कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाया नहीं जाता है तब तक देश की बेकारी दूर नहीं हो सकती है। यहां का माल छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में खपाना चाहिये। लेकिन यह बात ठीक नहीं है। हम लोगों को बड़ी इंडस्ट्रीज को भी चालू रखना चाहिये जिससे हमारे लोग उसमें चल सकें।

किछा में एग्रीकल्चर पढ़ने में बहुत सी कोशिशें की जा रही है और गोरखपुर में मेडिकल कालेज खोलने का विचार है एक बात रामपुर जिले के बारे में खासतौर से कहना चाहता हूं। वहां के किसानों से ६—७ गुना लगान ज्यादा लिया जाता है। इसके लिये मैं सरकार के सुझाव की प्रशंसा करता हूं।

*श्री चेतराम गंगवार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आज दो तीन दिन से भाषण सुन रहा हूं। मुझे इसको देखकर ऐसा लगा कि यह किसान-मजदूर विरोधी अभिभाषण है और जिस राम नाम की माला हमारे कांग्रेसी दोस्त जपते रहते हैं हरिजन और पिछड़े हुए वर्ग उनका विरोधी यह अभिभाषण है। इसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यह कर भार बढ़ाने वाला अभिभाषण है। जनहित में कोई भी बात इसमें है, मेरी समझ में नहीं आया। कांग्रेसियों ने बड़े मुक्त कंठ से इस बात को कहा है कि इसमें सारी जनता के सुख सुविधाओं के लिये संकेत है और उनके लिये सब चीजों की पूर्ति की गयी है। लेकिन मुझे इस संबोधन को पढ़ने से ऐसा लगा कि वास्तव में यह जनता के पक्ष में नहीं है अपितु जनता के विरोध में है। ये जनता पर करों का भार थोप देना चाहते हैं। श्रीमन्, इससे पहले और अब भी यह कहा जाता है कि बिछड़े हुए वर्ग को आगे बढ़ाया जाय, उसको ज्यादा सुविधायें दी जायं, किसानों को सुविधा दी जाय लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसान होने के नाते और उनका प्रतिनिधि होने के नाते अब किसानों पर, पिछड़ा वर्ग और अछूत वर्ग पर कोई आफत आने वाली है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस पिछड़े वर्ग की उन्नति की राम नामी माला पर सुमिरन करते रहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा इस सदन को ज्ञान कराना चाहता हूं। पिछले साल ए० वी० डी० का मंत्रिमण्डल बना था। आज जो शैड्यूल कास्ट और पिछड़े वर्ग को राहत देने की बात करते हैं वे आज भी सवर्ण लोग अपने उन पदों पर बने हुए हैं। जो ठेकेदार या बड़े लोग हैं वह प्रदेश में अछूतों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और उनको सुविधा देने की बात करते हैं। मैं सदन के समक्ष कुछ नाम पढ़ना चाहता हूं। उनमें हैं श्री चतुर्भुज शर्मा, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री नारायणदत्त तिवारी, और श्री कृष्णानन्दराय, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने हाथ में शंख लेकर इस प्रदेश की जनता का उद्धार करना चाहते हैं और पिछड़े वर्ग का उद्धार करना चाहते हैं। इससे पहले के मंत्रिमण्डल में हमने देखा था कि ११ लोगों में ७, ८ गुप्ता गुट के मंत्री थे। आज हमको ऐसा लगता है कि त्रिपाठी गट का प्रभुत्व अधिक हो गया है जिससे त्रिपाठी जी के लोग ज्यादा मंत्रिमण्डल में देखने को मिलते हैं।

श्रीमन्, इस प्रदेश में इन गांधी के भक्तों ने शिक्षा की वह दुर्दशा कर दी है कि जिसका सुधार किया जाना बड़ा कठिन होगा। सरकार इसमें कहती है कि इस प्रकार से उस का उद्धार किया जायगा। यह हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है और हम लोग अपने मौलिक अधिकार की मांग करते हैं। ये गांधी के भक्त दिन रात इस बात की दुहाई देते हैं कि पिछड़े वर्ग की सुविधा के लिये हम यह कर रहे हैं और इतना रुपया दे रहे हैं लेकिन मैं निवदन करता हूं कि ऐसी संस्था खोल दी गई है कि जहां पर सौ दो सौ देकर जिला परिषद् जे० टी० सी० में दाखिला देते हैं। आज प्रदेश भर में ऐसी संस्थायें हैं कि जहां पर अछूत बच्चों के लिये बैठने को फर्श भी नहीं है, लिखने को तख्ती भी नहीं है लेकिन ये हमारे भाई रोज राम नाम लेकर कहते हैं कि हम यह सहायता दे रहे हैं। शहरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सरका सहायता करती है। हर शहर में हर मुहल्ले में स्कूल की व्यवस्था है। किंडर गार्टन की व्यवस्था है लेकिन देहातों में गरीब बच्चों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। इससे अधिक अफसोस की बात और क्या हो सकती है। गरीब चौकीदार का बच्चा या अछूत का बच्चा किस प्रकार से शिक्षा ले सकता है जब कि उसके बाप की आमदनी ४, ५ रुपया महीना है। न उनको किताब मिलती है और न फीस मिलती है। किस प्रकार से वह सवर्ण बच्चे के साथ मुकाबला कर सकते हैं। सरकार कहती है कि यह प्रजातंत्र है मगर जब प्राइमरी शिक्षा ही उसको सही रूप में नहीं मिलती है तो वह किस प्रकार से प्राइमरी पास करके शहर के इन्टरमीडियेट स्कूल में अपना एडमिशन ले सकता है? उसको वह बात कैसे आ सकती है जो दूसरे मिनिस्टर या बैरिस्टर और बड़े-बड़े ऊंचे लोगों के बच्चों में आ सकती है। जो मांटेसरी स्कूल के पढ़े हुए होंगे उनके साथ गरीब के बच्चे कैसे मुकाबला कर सकते हैं। इस कारण से यह बारबार नाम लेना ठीक नहीं है कि हरिजनों के लिये यह किया जा रहा है और वह किया जा रहा है।

इसमें लिखा गया है कि शहरों के लिये पेय जल योजना के अन्तर्गत १७ करोड़ रुपये की व्यवस्था इस योजना काल में की जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि देहातों में गरीब हरिजन भाइयों के लिये पेय जल योजना के अन्तर्गत केवल ८५ लाख रुपये का प्राविधान इस अरसे में किया गया है। जहां पर लोग शहरों में रहते हैं वहां पर महिलाओं को, या आफिसों में काम करने वालों को सुविधा देने के लिये यह योजना बनाई जा रही है कि उनको हाथ से हैंड पाइप भी खींचना न पड़े। मगर आज इस सरकार को देहातों में किसानों के लिये पीने का पानी भी देने की हिम्मत नहीं है। हर खेत पर कुंआ बनाने की भी हिम्मत नहीं है लेकिन शहरों के मुहल्लों में पानी हर सुविधा को देने के लिये इसमें १७ करोड़ रुपया रखा गया है लेकिन अछूतों को केवल आप इतनी थोड़ी रकम देते हैं कि उनको कोई लाभ नहीं हो सके। उनको पीने के लिये पानी भी नहीं मिलता है कि जिसको पीकर वे जिन्दा रह सकें। जिनके पास नल नहीं हैं प्रदेश में, और आप अछूतों के उद्धार की गारंटी करते हैं। कमलापति कह रहे थे कि कौन-सा जादू का चिराग है, आप कहते हैं कि टैक्स मत लगाओ, सारी व्यवस्था भी कर दो, स्कूल खुलवा दो, चिकित्सालय भी गांवों में खुलवा दो और टैक्स मत लगाओ

[श्री चेतराम गंगवार]

मैं कहता हूं कि विराग है जरसंघ के पास। उसको देखने के लिये आप में शक्ति और आंखें होनी चाहिये। ए० बी० डी० का जमाना एक था। २० करोड़ रुपया कर्मचारियों को दिया, सब लगान माफ किया, राहत दी, भूमि भवन कर का सवा छः करोड़ का घाटा उठाया लेकिन बजट में घाटे को पेश नहीं किया। बहुत सी पोस्ट्स अबालिश कीं, कर्मचारियों को हटाया और जनता पर नया टैक्स भी नहीं लगाया। यह एक मिसाल थी ए० बी० डी० के शासन की।

जहां तक देहात के किसानों का संबंध है इस अभिभाषण में तनिक भी उसकी कोई गुंजाइश नहीं की गयी है और यह साबित कर दिया गया है कि यह सरकार उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की है। मैं थोड़ा-सा अंश पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा है, "साथ ही साथ तेईस उद्योग धंधों द्वारा प्रयोग में आने वाले कच्चे माल, पुर्जों एवं संघटकों को भी बिक्री कर से मुक्त कर दिया है जिस से हमारे प्रदेश की फैक्टरियों में बना हुआ माल दूसरे प्रदेश की फैक्टरियों में बने हुये माल से बाजार में बराबरी कर सके। नये उद्योगों की स्थापना में काम में आने वाली मशीनरी तथा माल बनाने के सामान को भी तीन वर्षों के लिये चुंगी से मुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य विद्युत् परिषद् ने नये उद्योगों को तीन वर्ष के लिये बिजली की दरों में १५ प्रतिशत की छूट दे दी है"। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उनकी ओर तो ध्यान गया है लेकिन किसानों को राहत देने के लिये कि पर्चिंग सेंटर को इतनी छूट दी जायगी, सबको आबपाशी में छूट मिलेगी या कमी की जायगी, सबको आबपाशी समाप्त की जायगी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। चकबंदी समाप्त होना चाहिये। पुराने ब्रिटिश जमाने में एकबार जो जबरदस्ती लगा दिया जाता था कि एक ब्लाक में पानी पहुंचा और सौ लम्बी आसपास उसमें निकल गयी तो यह अभिभाषण उसी प्रकार से बोल रहा था। जैसे कि चकबंदी गोल है, आसमान गोल है और कहा जाता था कि पटवारियों का धार गोल है उसी तरह से यह अभिभाषण भी गोल है। इसमें किसानों के पक्ष में कोई बात नहीं कही गयी।

इसमें एक जगह लिखा है कि चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से संपन्न हुये—पेज १७ पर। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे १० मिनट दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता—

आपके दो मिनट शेष हैं।

श्री चेतराम गंगवार—

चुनाव के संबंध में कहना चाहता था कि एक रोज आचार्य जी दावा कर रहे थे कि इधर देखिये इतने लोग आये हैं, उधर कम आये हैं। तो जहां तक २०० का सवाल है तो यह आपके हथकंडे की वजह से हुआ, इसमें जनता ने इतने लोगों को नहीं भेजा। मेरा केस ले लीजिये। मेरे खिलाफ मेरे ही कास्ट के लोगों रिश्तेदारों को १०—१०, ५—५ हजार रुपया दे कर ५ गंगवार नाम के व्यक्ति खड़े किये गये और आपने देखा कि मैं हाजिर हूं, कांग्रेस वहां पराजित हो गयी इसी से प्रकार. . . .

वित्त मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन पर कहना चाहता था।

श्री अधिष्ठाता—

आप इनके बाद पेश कर दें। वह इस वक्त बैठे नहीं रहे हैं।

श्री चेतराम गंगवार—

मैंने अखबारों में यह पढ़ा था, नवजीवन में यह लिखा था कि ४। करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का दिया जिसमें से ३८, २५, ६५१ रुपये इतने (कांग्रेस) विरोधी और कांग्रेस दूसरे

पार्टियों को मिला। उस पैसे का इन्होंने क्या किया ? मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इन्होंने उस पैसे से जनसंघ और बी० के० डी० के खिलाफ गन्दे पर्चे बटवाये। [X X X] मैं चैलेन्ज करता हूं कि अगर कांग्रेसियों ने पर्चे नहीं बटवाये तो इनके पास तो विजिलेन्स विभाग इतना बड़ा है, वे इसकी जांच करायें कि वे कहां से आये ?

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री चेतराम गंगवार---

एक दो मिनट और दे दें। साम्प्रदायिक भावना उभाड़ने का जिक्र किया गया। मैं कहता हूं कि मुस्लिम मजलिस की ओर से सियासत, राहेनी, दावत, कौमी आवाज आदि पेपर निकलते हैं और उसमें जो कुछ छपता है, उस ओर आप ध्यान क्यों नहीं देते हैं ? (व्यवधान)

एक सदस्य---

इनका समय समाप्त हो गया, फिर यह क्यों बोल रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता---

मैंने एक मिनट का समय दे दिया था।

श्री चेतराम गगवार---

मैं कह रहा था कि मुस्लिम मजलिस की ओर से जो काम हो रहे हैं अगर उनको न रोका गया तो आगे चलकर एक दूसरे पाकिस्तान की मांग होने लगेगी, जिसके जिम्मेदार आप होंगे। और फिर आप कहेंगे कि जनसंघ ने यह किया, वह किया।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त।

श्री चेतराम गंगवार---

इन शब्दों के साथ मैंने जो सुझाव दिये हैं, उन्हें मैं चाहता हूं इन संशोधनों के साथ जोड़ दिया जाय।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

मैं एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। मेरी बात को ठीक तरह से समझा नहीं गया। मैंने कल भी वही कहा था जो मैं अब कह रहा हूं कि हम लोग सभी इधर की कुर्सियों पर बैठे, अब की बार जनता ने आपको उतना स्वीकार नहीं किया जितना हमको, और हम इधर बैठ गये हैं तो हमें कार्य करने दें उसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का अब आक्रोश समाप्त हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता---

यह तो आपकी अपील है, पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

अभी माननीय गंगवार जी ने अपना भाषण करते समय सदन में एक पर्चा फेंका और कहा कि मैं यह परचा फेंक रहा हूं। यह कार्य उनका उचित नहीं कहा जा सकता। आप उसे कार्यवाही से निकालने की कृपा करें।

[X X X] श्री अधिष्ठाता की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता—

यदि उन्होंने ऐसा कहा है और कोई पर्चा फेंका है तो वह गलत है, मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

श्री धर्मदत्त (जिला बरेली)—

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, महामहिम ने अपने अभिभाषण में प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास के लिये संकेत किया है सरकार उसे कार्यान्वित करेगी । श्रीमन्, जो संशोधन उस धन्यवाद के प्रस्ताव पर विरोधी दल के माननीय सदस्यों द्वारा आये हैं उसको मैंने पढ़ा है । उनके भाषणों को भी सुना है । श्रीमन्, जनतंत्र प्रणाली में विरोधी दल का बड़ा महत्व होता है । विरोधी दल यदि न हो तो जनतंत्र एकतंत्र प्रणाली में बदल जाया करता है । जनतंत्र की सफलता विरोधी दल के ऊपर निर्भर होती है । लेकिन श्रीमन्, विरोधी दल का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है । विरोधी दल की आलोचना रचनात्मक न होकर के यदि प्रचारात्मक बन जाय तो बड़े दुख का विषय हो जाता है । विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने सबसे प्रथम इस बात पर बल दिया कि यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है । आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से भी । हमारे महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में भी उसका संकेत किया है कि यह प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है । तो उसका उत्तरदायित्व किस पर आता है यह विचार करना है ।

श्रीमन्, मुझे इस सदन में बैठते हुये काफी समय हो गया है, कई यातनायें मेरे सामने से गुजरी हैं । जब-जब सरकार की तरफ से इस प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये योजना आयोग से धन प्राप्त करने का प्रयास किया गया और उनके साधनों को जुटाने का प्रयास किया गया तब सदा, श्रीमन्, विरोधी दल के सदस्यों द्वारा उसका विरोध किया गया, सत्याग्रह किया गया और इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिये जो आवश्यकता धन की थी उसमें सदा रुकावटें डाली गई । श्रीमन्, एक ओर तो हम पिछड़ेपन की बात करते हैं और दूसरी ओर साधनों को न जुटाएं यह उचित नहीं जान पड़ता है । यही नहीं, विरोधी दल के नेताओं ने और भी बहुत सी बातें कही हैं । श्रीमन्, योजनाओं की असफलता का नारा लगाया जाता है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि जितनी सफलता हम चाहते थे उतनी सफलता न प्राप्त होने का क्या कारण है ? श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसका दायित्व हम सदन के बैठने वाले सदस्यों पर है विशेष रूप से उन सदस्यों पर जिन्होंने रुचि न ले कर उसका बहिष्कार किया । श्रीमन्, ऐसे बहुत से सदस्य हैं जिन्हें यह जानकारी नहीं कि हमारी क्षेत्रीय समिति को कितना अनुदान किस कार्य के लिये दिया गया है । यदि वास्तव में हम प्रदेश के हित से आलोचना करते हैं तो कर्तव्य पालन करें और त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करें ।

श्रीमन्, बहुत सी बातें भ्रष्टाचार के संबंध में, जनतंत्र की रक्षा के संबंध में की गई है । जनतंत्र प्रणाली सबसे अच्छी प्रणाली है और जनतंत्र की रक्षा करना जितना इधर के बैठने वालों का कर्तव्य है उससे अधिक उधर के बैठने वालों का है । लेकिन जनतंत्र की रक्षा बातों से नहीं होती । जनतंत्र की रक्षा होती है, उस पर अमल करने से । मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं अपने उधर के बैठने वाले मित्रों को कि जनतंत्र प्रणाली की रक्षा के लिये कुछ नीतियों का सम्पादन करना होता है । वे याद करें कि पहली अप्रैल, १९६७ को जब सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव गिरा तो नेता, कांग्रेस दल ने अपने मंत्रिमंडल का त्याग पत्र दे दिया । इस प्रकार से लोकतंत्र प्रणाली की रक्षा होती है । और नीति निर्धारित होती है, अच्छी परम्परायें पड़ती हैं और श्रीमन्, जो भाई आलोचना करते हैं उनको जरा सा अपनी ओर भी देखना चाहिये । अभी कल की बात है कि मध्यावधि चुनाव में कांग्रेस टिकट के लिये लोग उतावले हो रहे थे । जिन लोगों को कांग्रेस का टिकट नहीं दिया गया दूसरी पार्टियों ने टिकट दे कर उम्मीदवार बनाया । श्रीमन्, क्या इस प्रकार से भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है ? आज भी कांग्रेस के चुनाव समिति कार्यालय में इस प्रकार के अनेक प्रार्थना-पत्र पड़े हुये हैं । इस प्रकार से

जनतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती। उसकी रक्षा के लिये हमें अपने आपको एक उदाहरण के रूप में स्तुत करना होगा। जिस प्रकार का आचरण हम लोग करेंगे, उसी प्रकार का जनता भी करेगी। यदि इस प्रदेश से आपको प्रेम है और उसके लिये आप कुछ करना चाहते हैं तो खाली आलोचना करने से काम चलने वाला नहीं है।

यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है। इसमें--छोटे छोटे उद्योग--धंधों की आवश्यकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने यह प्रयास किया कि उनकी न्याय पंचायत के क्षेत्र में छोटे उद्योग धंधे प्रारम्भ किये जायं। जिससे बेकार लोगों को काम पर लगाया जा सके। हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। प्रदेश की आबादी छः करोड़ है। पूरी आबादी का जमीन से कार्य नहीं चल सकता। इसलिये जब तक क्षेत्र समिति और न्याय पंचायतों के के स्तर पर छोटे--छोटे उद्योगों की स्थापना नहीं की जायगी, तब तक बेकारी की समस्या को दूर नहीं किया जा सकता और न पिछड़ा पन ही दूर किया जा सकता है। इन सब बातों के लिये जब हम कर लगाने की बात कहते हैं तो कहा जाता है कि कर क्यों लगाया जाता है। सरकार को बचत करना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी थोड़े समय पहले जब शासन आपके हाथ में था तो आपने कौनसी कमियों को कमियां कीं। आपने कमी की, हरिजन कल्याण में। उसमें जो हरिजन भाइयों को, जो पिछली कांग्रेस सरकार ने सुविधायें दी थीं, उनको आपने समाप्त कर दिया। दूसरे महिला मंगल योजना को भी आपने समाप्त कर दिया। यह भी हमारे प्रदेश के लिये बड़ी महत्वपूर्ण थी।

इस प्रान्त में आधी आबादी स्त्रियों की है। हमारे देश के गांवों में करीब करीब २० करोड़ स्त्रियां रहती होंगी, जो न राजनीति को जानती हैं और न देश की स्थिति को समझती हैं, उनको शिक्षित बनाना, उनको अच्छा नागरिक बनाना सरकार का कर्त्तव्य है। स्वतंत्र देश में स्त्रियों और पुरुषों क समान अधिकार हैं। एक कमी आपने काम में और की कि जहां सूखा, ओलों से किसानों की जो हानि हुई थी उस पर लगान में छूट की गयी उस छूट को भी वसूल कर लिया।

इसके अतिरिक्त संविद की सरकार के १० महीनों में यात्रा और भत्ते में जितना व्यय किया गया, उतना अधिक आज तक किसी सरकार के जमाने में नहीं हुआ। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य ने उस पक्ष से एक शब्द का का प्रयोग किया और कहा कि जिन गुण्डों को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया उनको विरोधी पक्ष ने टिकट दिया और आप कृपया यह स्पष्ट करें कि गुन्डा शब्द का मतलब क्या है।

श्री अधिष्ठाता--

आप को उसी समय जब उन्होंने कहा था यह प्रश्न उठाना चाहिये था।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

अगर वे वापस लेना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं।

श्री धर्मदत्त--!

श्रीमन्, यह बिलकुल असत्य है कि मैंने गुन्डा शब्द का प्रयोग किया है।

श्री अधिष्ठाता--

अगर नहीं किया है तो फिर यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, मुझे खेद है कि मेरा नाम दूसरे नम्बर पर हमारी पार्टी ने भेजा है लेकिन आपने बार-बार कोशिश करने पर भी मुझे समय नहीं दिया है, इसलिये आपके पक्षपात के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री प्यारे लाल ने सदन का त्याग किया ।)

*श्री मुल्तान सिंह (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । जब से संविद सरकार खत्म हुई और राज्यपाल का शासन आया उसी वक्त से भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती और राहजनी बढ़ी है । इतना ही नहीं बल्कि राज्यपाल महोदय ने कांग्रेस के पक्ष में जितने दिन शासन किया उतने दिन वह कांग्रेस का पक्ष ही करते रहे । मेरे क्षेत्र टूंडले में नाजायज परमिट पर प्लास्टिक का आर्डर दिया गया जिसकी कि बम्बई में ही कितने हजार में ही बेच दिया गया । राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा कि हमारा सूबा सारे देश में पिछड़ा हुआ है और उसका कारण बताया है बढ़ती हुयी आबादी । सही बात तो यह है कि इस सूबे का पिछड़ापन या देश का पिछड़ापन एक कारण है । और वह यह है कि इस देश में और हमारे सूबे में ९० प्रतिशत नेता और अफसर शहरी हैं, वह देहात की बातें नहीं जानते और जब तक देहात के लोग नेता और अफसर नहीं बनाये जायेंगे तब तक देहात का उद्धार नहीं हो सकता । सेन्टर में ऐसे ऐसे मंत्रिगण रहे हैं कि जिनको गेहूं और जौ की बाल की तमीज नहीं है और वह कृषि मंत्री तक रहे हैं और दूसरे ऐसे मंत्री भी रहे जिनको बछिया, पड़िया का भेद नहीं मालूम है । और शायद बछड़े और बछिया का भेद तो प्रधान मंत्री जी को भी नहीं आता है । जब यह दशा है तो इस देश का उद्धार कैसे हो सकता है । सही बात तो यह है कि जब तक किसानों का संबंध जिन विभागों के द्वारा होता है उनमें किसान नेता और अफसर न होंगे तब तक किसान और मजदूरों का उद्धार नहीं हो सकता ।

मेरे टूंडला क्षेत्र में बरहन में करीब १५ साल से एटा अलीगढ़ की तरफ से पानी आता है और उसमें ३०-४० लाख की लागत का सवाल है, इरनम ड्रेन के कुछ खेत इस तरफ हैं और कुछ दूसरी तरफ हैं, ३५ मील की लम्बाई है और उस पर कहीं भी एक पुलिया भी नहीं है, कोई एप्रोच के नाले अभी तक नहीं निकाले गये हैं, बार बार कहने पर और सवाल करने पर भी आज तक सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी । संविद सरकार बनने पर हमने इसका जिक्र किया, एस्टीमेट भी बना, रुपया भी मंजूर हुआ लेकिन जैसे ही नाले का काम आरम्भ हुआ सेन्टर के डिप्टी मिनिस्टर हैं श्री रोहिन लाल चतुर्वेदी उनका फोन आ गया कि इस काम को बन्द कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

आप किसी ऐसे व्यक्ति या मिनिस्टर का नाम यहां न लें जो यहां मौजूद नहीं है ।

श्री मुल्तान सिंह—

नाला खोदा । आगरा में कलेक्टर ने एक मीटिंग बुलायी और उसमें इस नाले के पानी के बारे में बातचीत की । उन्होंने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछा कि यह नाला क्यों नहीं खोदा गया तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में सेन्टर के एक मिनिस्टर का टेलीफोन आ गया था । इसलिए नहीं खोदा गया । सही बात यह है कि सन् १९६७ के बाद शासन राष्ट्रपति के हाथ में रहा इसलिए इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ । हमारे इलाके में एक सड़क टेढ़ी बगिया से थोड़ा को निकलने वाली थी लेकिन लड़ाई का बहाना लेकर कहा गया कि यह सड़क नहीं बनायी जायगी लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं कि अब तो लड़ाई भी नहीं है पर अब भी यह सड़क नहीं बनायी गयी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इलेक्शन के बारे में जो बात कही जा रही है कि यह जुल्म हुआ, वह जुल्म हुआ। लेकिन मैं कह सकता हूं कि गवर्नर महोदय के प्रशासन में जो कुछ हुआ वह अब भी फर्रुखाबाद, अलीगढ़ और मेरठ में हो रहा है। आज मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और कई जिलों में उन आदमियों को बन्द किया जा रहा है जो कि अपोजिशन के समर्थक थे। हमारी सादाबाद कांस्टीट्यूएन्सी के एक थाने में श्री हुक्म सिंह को बन्द कर दिया और उस पर डकैती का आरोप लगाया गया। मालूम यह हुआ कि वहां पर १०० या २०० आदमी बन्द किये जा रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस ने शासन संभाला वैसे ही अफसरों के तबादले शुरू कर दिये। जितने ईमानदार अफसर थे उनके स्थान पर बेईमान अफसरों को लगाया जा रहा है। जहां पर कांग्रेस के सदस्य जीतकर नहीं आये वहां-वहां पर से अफसरों का या तो तबादला किया जा चुका है या किया जा रहा है इनके शासनकाल में वे ही अफसर अच्छे माने गये हैं जिन्होंने कांग्रेस के कैन्डिडेट को मदद की है और जिन्होंने इन्साफ से काम किया उनकी मिट्टी पलीत की जा रही है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में पहली दिवाली के लगभग एक नहर का बम्बा कट गया और उसके कारण ५०० एकड़ जमीन पानी से भर गयी। उसकी रिपोर्ट पुलिस वालों को नहर विभाग के लोगों ने की कि यह बम्बा गांव वालों ने काटा है। उस पर जब हम कलक्टर महोदय से मिले तो एस० डी० एम० और इन्जीनियर आदि मौके पर गये और यह तय हुआ कि यह बम्बा काटा नहीं गया बल्कि खुद कटा है और उसके लिये १४,००० रुपये मुआवजे के रूप में भी मंजूर हुए लेकिन वे आज तक भी प्राप्त नहीं हुये।

अधिष्ठाता महोदय, मेरे क्षेत्र मे एक सड़क सहमाई से बरहन तक बननी थी जो एक मील बन कर रह गयी है। दूसरी सड़क टूंडला से चुलावली मंजूर तो हो गयी है और एक तीसरी सड़क एतमादपुर से आहरन तक मंजूर तो है लेकिन बनने से रुकी हुई है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों के जो संशोधन हैं, उनका समर्थन करता हूं।

(इस समय ३ बजकर १४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री भगवतीसिंह विशारद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय गेंदा सिंह जी द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर दिये गये प्रस्ताव एवं माननीय नेता विरोधी दल और दूसरे नेताओं के संशोधन पर बोलने का अवसर दिया। माननीय नेता विरोधी दल ने जिस संजीदगी के साथ और गंभीरता के साथ अपना भाषण प्रस्तुत किया है उससे मन में एक आकांक्षा अवश्य जाग्रत हुई थी कि मैं उनके संशोधन का समर्थन करूं लेकिन इस प्रकार का संशोधन हमारे सदन में कोई नया नहीं आया है। आपको स्मरण होगा कि १ अप्रैल, ६७ को इसी तरह का एक संशोधन इससदन में प्रस्तुत हुआ था और स्वीकार भी हुआ था। उस संशोधन के स्वीकार हो जाने के बाद हमारे प्रदेश का जनजीवन और राजनीतिक जीवन जैसा रहा है उसको देखते हुए अब मुझ में यह साहस नहीं रह गया कि मैं इस संशोधन का समर्थन करूं। उस संशोधन का क्या परिणाम निकला आपको स्मरण होगा कि पिछली बार जब संशोधन स्वीकार किया गया तो एक सरकार हटी और दूसरी सरकार बनी और दूसरी सरकार बनने के बाद हमारे प्रदेश की जो स्थिति हुई वह किसी से छिपी नहीं है। वह सरकार भी गयी और राष्ट्रपति का शासन लागू हुआ और उसके बाद फिर मध्यावधि चुनाव हुए। दोनों तरफ से शिकायत की जाती है कि बड़ी ज्यादतियां हुईं। तो क्या इस तरह के संशोधन को स्वीकार करके फिर उस तरह की बातों को सुनने का मौका एकत्र किया जाय। इसलिये मैं इस तरह के संशोधन का किसी तरह भी समर्थन नहीं कर सकता और माननीय गेंदासिंहजी द्वारा जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

मान्यवर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस प्रदेश की आय ६१ प्रतिशत कृषि से होती है। हमारे यहां लगभग ५ करोड़ ७२ लाख एकड़ जमीन खेती के लायक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस बात की घोषणा की गयी थी कि सारी जमीन से खेती होगी, जो उन्नतशील बीज हैं उनका इस्तेमाल किया जायगा ताकि हमारी उपज बढ़ सके। इससे न केवल हम अपने प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति करेंगे बल्कि हम दूसरे प्रदेशों की आवश्यकता की पूर्ति

[श्री भगवती सिंह विशारद]

में भी सहायता करेंगे। माननीय नेता विरोधी दल ने इस बात की शिकायत की कि अरबों रुपये का गल्ला हमारे देश में बाहर से आता है लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में जब वह कृषि मंत्री थे उस समय ततीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी और उन्हीं के कार्यकाल में वह पूरी भी हुई लेकिन हम उन लक्ष्यों तक अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सके। ऐसा क्यों हुआ? जरूर कहीं न कहीं भूल थी। मैं नये कृषि मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे भूलों को न दोहरायें अन्यथा जो उत्पादन के लक्ष्य हमारे सामने निर्धारित हैं उनकी पूर्ति हम किसी तरह से नहीं कर सकेंगे।

यह कहा गया कि ८७ लाख एकड़ भूमि पर हमने उन्नतशील बीजों के जरिये खेती की और उसे आगे बढ़ा कर सरकार १०१ लाख एकड़ भूमि पर उन्नतशील बीजों का इस्तेमाल करेगी। यह लक्ष्य बहुत कम है। इस लक्ष्य को बढ़ा कर हमको कम से कम २०० लाख एकड़ करना चाहिये जिससे हम ज्यादा से ज्यादा अपनी उपज बढ़ा सकें।

श्रीमन्, इस समय ४ करोड़ ४७ लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें खेती हो रही है उसमें हमको दोहरी फसल का उत्पादन करना चाहिये। इससे भी उत्पादन हमारे प्रदेश का बहुत बढ़ जायगा।

राज्यपाल महोदय ने यह भी संकेत किया कि हम शिक्षा में कुछ परिवर्तन करेंगे और अध्यापकों को वेतन चेकों के जरिये से पे किया जायगा। लेकिन चेक से पेमेंट तो तभी हो सकेगा जब प्रबन्धकों के पास पैसा होगा। आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा हाई स्कूल तक निःशुल्क है और कक्षा ६ तक सभी बच्चों के शिक्षा निःशुल्क हैं और जो रिइम्ब-समेंट प्रबन्धकों को प्राप्त होता है वह साल भर बाद होता है। इस प्रकार प्रबन्धकों के पास धन नहीं रहता है तब वे चेक के जरिये पेमेंट कैसे कर सकेंगे अगर पैसा नहीं होगा तो अध्यापकों को वेतन नहीं दिया जा सकेगा। इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करें ताकि प्रबन्धक समितियों को विद्यालयों को चलाने के लिये हर माह रिइम्ब-र्समेंट होता रहे ताकि वे अध्यापकों को सही समय पर वेतन दे सकें वरना इस नयी प्रणाली से भी कोई लाभ नहीं है। हमारे यहां जो जूनियर हाई स्कूल हैं उनको जब मान्यता दी जाती है तो लगातार तीन वर्ष तक उन्हें किसी तरह की सहायता नहीं मिलती है। जब अंग्रेजों का हमारे देश में शासन था उस समय जैसे ही हाई स्कूल रिकगनाइज होता था तो ग्रांट-इन-एड में सम्मिलित कर लिया जाता है और निरन्तर उसको सहायता मिलती थी। लेकिन इन्होंने तीन वर्ष का मापदण्ड रखा है जिसमें कोई सहायता नहीं दी जाती इससे प्रबन्धकों को अपने पास से व्यवस्था करके स्कूल चलाना पड़ता है। अगर इस तरह से स्कूल चलेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं गड़बड़ी पैदा होगी और फिर मैनेजमेंट और अध्यापकों के बीच नये नये संघर्ष पैदा होंगे। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि जो शिक्षा व्यवस्था में अनेक प्रकार की गड़बड़ियां हैं उनको दूर करें।

शिक्षा मंत्री को यह जानकारी होगी कि संविद के शासन काल में हर जिले में शिक्षा समितियों का निर्माण हुआ। वह समितियां जिस रूप में निर्मित हुई थीं और उनकी जो पृष्ठभूमि थी मैं समझता हूं उससे एक दल विशेष को छोड़कर और कोई भी दल सहमत नहीं हो सकता। इन समितियों को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिये। (एक आवाज—वे कभी की समाप्त हो गयीं।) तो ठीक है। हमें नयी समितियों का निर्माण करके प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाना चाहिये।

राज्यपाल जी ने यह भी संकेत दिया है कि हम अपने प्रदेश में नये-नये उद्योग-धन्धों का सृजन करेंगे और साथ ही साथ लघु कुटीर उद्योग-धन्धों का जाल बिछा देंगे। लेकिन इसके लिये हमको नयी उद्योग नीति निर्धारित करनी पड़ेगी। आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश में आज दो बड़े उद्योग हैं—शक्कर और टेक्सटाइल के। ये दिन पर दिन बन्द होते चले जा रहे हैं। ये निरन्तर चलते रहें इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कि मजदूरों का कोई नुकसान भी न हो और प्रदेश का उत्पादन बढ़ता रहे। कुटीर उद्योग धन्धों का जाल तभी

बिछाया जा सकता है जबकि जो छोटे कुटीर उद्योग अपने अपने क्षेत्र में चल रहे ह वे निरन्तर चलते रहे। लेकिन हमारे प्रदेश की जो सेल्स टैक्स की प्रणाली है उसके कारण बहुत से कुटीर उद्योग अपने अपने स्थान पर मुरझा रहे हैं। हमको सेल्स टैक्स की प्रणाली में परिवर्तन करके यह कोशिश करनी चाहिये कि हम इनको और ज्यादा विस्तृत करें और देहातों में छोटे-छोटे उद्योगधन्धों को आगे बढ़ा सकें।

कल हमारे एक माननीय सदस्य ने भाषण करते हुए बड़ी चर्चा की कि जिन लोगों के हाथ हैं उनके खेती नहीं है और जिनके खेती है उनके हाथ नहीं है। जिनके हाथ हैं उनके पास खेती हो इसके लिये शासन की जरूरत पड़ती है और जब शासन हाथ में हो तो कलम चलाने की जरूरत पड़ती है। मेरा पिछला तजुरबा यह है कि जिनके हाथ में शासन आया और जब उनके हाथ म कलम आयी तो इस प्रदेश के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलना भूल गये। उन्होंने भाग्य बदला साहू—जैन का, बिड़ला का, मोदी का। तो मैं अपने मुख्य मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा, उनसे यह धृष्टता तो नहीं करूंगा कि साहू-जैन आदि का भाग्य बदलें लेकिन उनसे यह आग्रह जरूर करूंगा कि इस प्रदेश में जो करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है उनको साधन प्रदान करने के लिये हमको नये ढंग से इस प्रदेश की आर्थिक प्रणाली और उद्योगधन्धों का नये ढंग से संचालन करना पड़ेगा। यह तभी संभव हो सकता है जब हम समाजवाद के रास्ते पर चलें, समाजवादी मान्यताओं को अपनायें और इस प्रदेश का विकास करें तभी हमारे प्रदेश की उन्नति हो सकती है। इन शब्दों के साथ में धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री अवधेश कुमार—

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर परसों और आज इस सदन में चर्चा चलती रही है। मैं बराबर देख रहा हूं कि हमारे उस तरफ के बैठने वाले साथी केवल संविद सरकार ने क्या किया है, इसी की चर्चा कर रहे हैं। मुझे अफसोस है कि २२ वर्ष के कांग्रेस के कुकर्मों को न देख कर दस महीने की संविद सरकार के कार्यों की विवेचना की जाती है इससे ज्यादा बेहयाई कांग्रेस सरकार की और क्या हो सकती है।

श्री धर्मदत्त—

अध्यक्ष महोदय, बेहयाई शब्द पर मुझे आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—

"बेहयाई" शब्द किसी व्यक्ति के लिये नहीं कहा जा सकता है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—

अगर कोई बेहया अपनी बेहयाई प्रकट करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने रूलिंग दी कि किसी व्यक्ति को आप बेहया नहीं कह सकते लेकिन किसी सरकार को कह सकते हैं।

श्री अवधेश कुमार—

श्रीमन्, मेरा समय इसमें न काटा जाय। जब लोकतंत्र सरकार बनी तो जनता को यह आशा थी कि कुछ राहत मिलेगी। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा होता कि जिन्दगी की जरूरी चीजों के दाम बांधे जायेंगे तो मैं समझता कि वास्तव में प्रजातंत्रीय सरकार ने एक कदम तरक्की के लिये उठाया है। चीजों के दाम बांधने का सवाल तो अलग रहा उल्टे संविद सरकार के कार्यों की आलोचना की जा रही है। दस महीने में संविद सरकार ने कुछ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश कुमार]

किया हो या न किया हो लेकिन किसानों के गन्ने का मूल्य जरूर १३ रुपये से लकर १८ क्विंटल तक रहा। लेकिन आपकी इस संबंध में कोई नीति नहीं है। संविद सरकार अगर गल्ला वसूल न करती तो यहां लाश पर लाश लदी होती। अगर यह स्कीम संविद सरकार ने चालू न की होती तो इतनी संख्या में कमी नहीं होती और गल्ला खाने को न मिलता। आज आप देखें कि इस तरह से साबित हो कि पूंजीवाद के पोषक आप हैं। मैं केवल एक ही मिसाल आपके सामन रखना चाहता हूं कि जिसको आप भलीभांति जानते हैं। हमारी जबान थर्रा जाती है, हम महसूस जरूर करते हैं।

छूट थी ४० फीसदी शकर की, जब ३० फीसदी कर दी गयी है। मान्यवर, अगर एक मिल १४ सौ बोरियां कम से कम बनाता है, ३० प्रतिशत के हिसाब से लगभग साढ़े चार सौ बोरा हुआ है जिससे चोर बाजारी में बेचने का उन्हें पूर्ण अधिकार है। साढ़े चार सौ पांच सौ रुपया खुला रेट है। इस प्रकार मिल वालों को एक दिन के अन्दर ३० फीसदी शकर चोर बाजारी में बेचने पर पौने दो लाख रुपये का लाभ नकद रोज का होता है। पहले जब यह छूट नहीं थी तब चोर बाजारी म अगर शकर बिकती थी तो माननीय मंत्रीगण भी पूछ सकते थे कि यह शकर आप कहां से लाये। अब पूछने का भी आपको अधिकार नहीं है। आज मान्यवर, समस्या देश के सामने बड़ी गंभीर है। उस गंभीरता को देखते हुए मैं इस बात की आशा करूंगा कि अगर आपके कोई सुनियोजित ढंग से अपनी कार्य प्रणाली न चलायी तो आज आप घट करके—मुझे याद है, १९६७ से लेकर १९५७ तक मैं इस सदन का सदस्य रहा हूं, आपका बहुमत रहा करता था, आज आप खाली उन आदमियों की मदद से शासन पर बैठे हैं जो कांग्रेस को हरा कर आये हैं। आपने योजना बनायी। १७ करोड़ रुपया आप प्रान्त में पानी पीने के लिये खर्च करेंगे। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में है और १७ करोड़ में केवल ४ करोड़ ६० लाख देहात के लिये खर्च होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी १३ करोड़ रुपया किसके ऊपर खर्च होगा जब कि आज ८०–८२ फीसदी जनता गांवों के अन्दर रहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो हरिजनों का हनुमान चालिसा आप पढ़ा करते हैं—जय हनुमान ज्ञान गुन सागर, उनके आज भी देहात के अन्दर हरिजन और मुसलमानों की बस्तियों में ऐसी बस्तियां है जहां पानी पीने का आज भी ठिकाना नहीं है। दो दो फर्लांग से हरिजन और मुसलमान भाई पानी लाते हैं।

हमारे राज्यपाल महोदय ने पुलिस की बड़ी प्रशंसा की और प्रशंसा करनी भी चाहिये। राष्ट्रपति शासन में पुलिस ने जो कारगुजारी कर दिखायी राज्यपाल महोदय जैसे व्यक्ति उसकी सराहना जरूर करेंगे। सारे प्रदेश की हालत सभी को मालूम है लकिन मैं अपने जिले सीतापुर का छोटा सा नमना पेश करना चाहता हूं और वह यह कि एक अमीन ने आज से चार वर्ष पहले गबन किया। मेरे ही क्षेत्र में, मिश्रिख तहसील में और उसकी रिपोर्ट नायब तहसीलदार ने थाने में २४–७–६५ को इंदराज करायी। पुलिस के हाथ में केस गया और मान्यवर, आप स्वयं समझ सकते हैं कि गबन के केस में क्या कागज इकट्ठा करते हैं। केवल वे रसीदें जो किसानों के पास है और काउन्टर फाइल जो लगा हुआ है सरकारी खजाने में उसे लेकर के अदालत में चार्जशीट देना है लेकिन सन् ६५ से आज तक दारोगा चार्ज शीट नहीं लगाते अमीन के ऊपर। और जो दारोगा आता है उसकी कीमत २०० रुपये से लेकर ४०० रुपये तक है, इसके बाद वे फाइल भूल जाते हैं।

बिजली के सम्बन्ध में बड़ी चर्चा है कि संविद ने ४ फर्लांग काट लिया, ५ फर्लांग काट लिया लेकिन मान्यवर एक चीज तो जरूर थी कि बिजली केबिल में १४–१५ पैसे फी यूनिट पड़ा करता था और सरकार का आदेश था कि अगर समय से कोई बिजली का बिल अदा कर देगा तो उसे दो ढाई पैसे फी यूनिट का रिबेट मिल जाया करता था। लेकिन मान्यवर राष्ट्रपति शासन काल में १४–१५ पैसे यूनिट बिजली का दाम तो रह गया लेकिन अगर कोई समय से नहीं दे सकता है तो बजाय इसके कि उसे रिबेट मिले, दो ढाई पैसे फी यूनिट उस बिल में और जोड़ देते हैं।

मान्यवर, विघटनकारी शक्तियां बढ़ रही हैं। माननीय राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है। हमारी समाजवादी पार्टी ने सरकार को पहले से ही इस बात को आगाह कर दिया था कि विघटनकारी शक्तियां देश और प्रान्त के अन्दर बढ़ सकती हैं। लेकिन जब हम विघटनकारी शक्तियों का नाम लेते थे तो हमारी सरकारी पक्ष के लोग कहा करते थे कि हम तो इनको जानते ही नहीं कि समाजवादी कौन हैं। वे खुलेआम कहते थे कि हम तो जनसंघ और कम्युनिस्टों को ही जानते हैं। हम नहीं जानते कि समाजवादी कौन होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप वक्त से पहले होशियार न हो गये तो विघटनकारी शक्तियां देश और प्रदेश के अन्दर बढ़ेंगी जिसकी ज्वाला में आप भी स्वाहा होंगे और हम समाजवादी भी स्वाहा होंगे। अन्त में मान्यवर, हमारे नेता ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

*श्री शिववक्ष सिंह (जिला मैनपुरी)—

मान्यवर, मैं माननीय गेंदासिंह द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वे प्रारम्भिक शिक्षा के लिये और नयी नयी पाठशालायें खोलने का प्राविधान कर रहे हैं। मान्यवर, प्रारम्भिक शिक्षा बहुत ही आवश्यक है? इसमें सन्देह नहीं कि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा का बहुत ही विकास और विस्तार हुआ है लेकिन उसके साथ ही साथ हमारा कहना है कि ग्रामीण अंचलों में और भी प्रारम्भिक पाठशालायें खोली जांय। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी प्रारम्भिक पाठशालायें खुली हुई हैं, उनमें पांचवां क्लास उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जूनियर पाठशालायें भी अधिक से अधिक संख्या में खोली जांय, तभी प्रारम्भिक शिक्षा आगे बढ़ सकती है अन्यथा आगे चल कर इसका विस्तार बन्द हो जायगा अगर विद्यार्थियों को पढ़ने की सुविधा आगे के लिये नहीं मिलेगी।

इसके अलावा मैं एक निवेदन और करना चाहता कि प्रारम्भिक पाठशालायें जहां इतनी संख्या में बढ़ी हैं वहां उन पाठशालाओं में पढ़ाई का स्तर बहुत गिर गया है। जो हमारी पाठशालायें खुली हैं उनमें से अधिकांश के पास अपना भवन ही नहीं है। नियोजन विभाग से या शिक्षा विभाग से उनको इसके लिये अनुदान मिलता है लेकिन फिर भी उनका भवन अधूरा ही पड़ा है। किसी को एक हजार मिला है, किसी को डेढ़ हजार मिला है जब कि ढाई हजार में उसको पूरा होना चाहिये। जब तक नियोजन विभाग द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा उनको पूरा अनुदान नहीं मिलता या हमारी पाठशालायें अधूरी बनी पड़ी रहेंगी। कहीं दीवार ऊंची करके छोड़ दी गयी है, कहीं नींव ही डाल कर छोड़ दी गयी है, कहीं पर ग्राम प्रधान के पास ही अनुदान का रुपया पड़ा हुआ है या कहीं विकास क्षेत्र में ही अभी रुपया पड़ा हुआ है। इस तरह से जो रुपया व्यय हुआ है उसका भी सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। यह एक गम्भीर समस्या है जिस पर हम विचार करना होगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसका प्राविधान करेगी कि जिन पाठशालाओं को अभी तक अनुदान नहीं मिल पाया उनको वह मिल जायगा जिससे भवन निर्माण का कार्य पूरा हो जायगा।

मैंने अपने जिले मैनपुरी के बारे में यह जानने का प्रयास किया है कि जिन पाठशालाओं को मिलता है उनमें किन किन को कितना मिला है और प्रधान व विकास क्षेत्र द्वारा उनका सही व समुचित रूप से सदुपयोग किया गया है या नहीं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी कि जहां जहां भी रुपया है वहां से रुपये को लेकर भवन निर्माण के कार्य को पूरा कराया जायेगा। हमने प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक आधार पर अपने शासन को चलाने की संविधान में व्यवस्था की है। प्रजातांत्रिक आधार पर यहां पंचायती राज्य की स्थापना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवबक्स सिंह]

की गयी है लेकिन जो पंचायती राज्य का रूप है वह यहां नहीं है। और उससे हमें बहुत प्रेरणा और उत्साह नहीं मिला है। आज हमारे ग्राम समाजों की यह व्यवस्था है उससे हम समझते है कि हमारी बुनियाद ही खस्ता है। हमारी बहुत सी ग्राम सभाओं का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं होता है, उनकी विधिवत् बैठक नहीं होती है, प्रस्ताव अवश्य ही पास कर लिये जाते हैं, लोगों के घरों पर जाकर हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं।

भूमि प्रबन्धक समितियों की स्थिति और भयंकर है। आज जिस तरह से भूमिहीनों में भूमि वितरित होनी चाहिये, नहीं हो रही है। जो साधन--सम्पन्न हैं जो सत्ता सम्पन्न हैं, जो गुटबाज हैं वही येन केन प्रकारेण उनको हथिया लेते हैं और अपने कानूनी दांव से बच जाते हैं। यही भूमि व्यवस्था है जिसके कारण, भूमि व्यवस्था के ही कारण गांवों में फूट का बहुत बोलबाला है। हमारे विकास क्षेत्र भी निष्क्रिय है और उसी की एक कड़ी जो हमारी जिला परिषदें हैं उनकी भी रूपरेखा पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् की रूपरेखा से अच्छी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि सरकार कोई आयोग संघटित करेगी, विचारकों की कोई समिति बनायेगी जो इस पर गम्भीर चिंतन करे और यह सोचे कि हमने जो पंचायती राज्य की व्यवस्था की है वह कैसे सुचारु रुप से चल सकती है और इसमें जो दोष आ गये हैं जिसके कारण हमारी व्यवस्था किसी दिन गिर सकती है और जिसके कारण हमारी बुनियादें खोखली होती जाती हैं वह कैसे सबल होकर देश और समाज का भला कर सकें। मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है कि जब तक ग्राम सभा, विकास क्षेत्र और जिला परिषद् सफल नहीं होंगे तब तक हमारा जनतंत्र सुदृढ़ नहीं हो सकता। यह हमारे जनतंत्र की प्रारम्भिक पाठशालायें हैं जहां हम सब लोग मिलकर जनतंत्र का पाठ पढ़ते हैं और उससे आगे चल कर बड़े-बड़े उत्तरदायित्व लेने के लिये तैयार होते हैं।

आज जिला परिषदें अलग हैं, और नियोजन विभाग अलग है। आज जो नियोजन अधिकारी हैं वह समझते हैंकि उनका उत्तरदायित्व जिला परिषदों के प्रति नहीं है, जिला परिषदों के अध्यक्षों के प्रति नहीं है बल्कि जिलाधीशों और उनसे उच्चाधिकारियों के ऊपर हैं और इसलिये उनकी आस्था नियोजन के कार्यों में हैं क्योंकि इससे वे समझते हैं कि वे आगे बढ़ सकते हैं उसके कारण उनके उच्चाधिकारी उनसे प्रसन्न रहेंगे और उससे उसके लिये आगे का रास्ता खुल जायेगा। लेकिन पुलों के बनवाने, सड़कों के निर्माण करने, लोगों के वेतन देने से वह अपना वास्ता नहीं समझते क्योंकि वे समझते हैं कि वह जिला परिषद् के कार्यालय का काम है। जिला परिषद् के लोग जो काम करते हैं उस पर जब वह समझते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं। बताया जाता है कि जिला परिषदें बड़ी अधिकारसम्पन्न संस्थायें हैं और उनके द्वारा सुनियोजित ढंग पर विकास के कार्य होंगे लेकिन, श्रीमन्, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जिला परिषदों को कोई अधिकार नहीं है और अधिकार देने के बारे में भी आज हमारी जो जनप्रिय सरकार है और जनप्रतिनिधि है उनके मनों में भी बड़ी शंका है कि किस प्रकार के अधिकार दिये जायं और अधिकार दिये जायं तो भी वह चल सकेंगी या नहीं। हमने देखा है कि बहुत से गांव प्रधान ऐसे हैं जो अपनी जेबों में मुहरें रखते हैं और जहां हमारे पंचायत मंत्री या लेखपाल ने बता दिया वहां हस्ताक्षर करके मुहर लगा देने में उन्हें संकोच नहीं होता, यह सही बात है। और यह भी सही बात है कि ऐसे उत्तरदायित्वपूर्ण जगहों पर कार्य करने में गांव प्रधान गलती कर सकते हैं लेकिन यह भी सही है कि अगर हम अपने जनतंत्र का रूप नहीं बदलेंगे तो जनतांत्रिक प्रणाली को खतरा है। हमने जनतंत्र को अपनाया है, पंचायत राज की स्थापना की है तो इस खतरे को मोल लेने से हम अलग नहीं हो सकते हैं और उन्हें हमें जिम्मेदारी देने से भागना तो नहीं है। इसलिये हम चाहते हैं कि इस तरह का एक आयोग या समिति की स्थापना हो जो इस विषय पर चिन्तन करे कि हमारी ये जिला परिषदें किस तरह से सुचारु रूप से चल सकती हैं। आज जिला परिषदों के अध्यक्षों ने सरकार के पास निवेदन किया है कि जिस वेतन क्रम नियोजन विभाग में काम करने वालों को मिलता है वह दूसरा

है और जो वेतन-क्रम जिला परिषदों में उनके काम करने वालों क मिलता है वह दूसरा है। उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार वह हो सकता है कि कुछ कम देते हैं और कुछ अधिक देते हैं लेकिन एक ही संस्था में काम करने वालों को या प्रधान लिपिक को उनका अलग अलग वेतन क्रम देना एक असमानता को पैदा करता है। एक ही संस्था में काम करने वालों को अलग अलग वेतन क्रम दिया जाय यह उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे निश्चित रूप से एक ही स्केल वहां पर उनको दिया जा सके। इनको भी सरकारी कर्मचारियों की तरह से वेतन-क्रम और महंगाई भत्ता मिलना चाहिये।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया है कि बैंकों के द्वारा उच्चतर माध्यमिक के अध्यापकों को वेतन दिया जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी व्यवस्था हो चाहे वह बैंकों के द्वारा हो या किसी और द्वारा हो लेकिन जिला परिषदों के अध्यापकों का भी विचार किया जाय। उनको समय पर वेतन नहीं मिल पाता है जिला परिषदें उनको समय पर वेतन नहीं देते हैं। जो काम करने वाले हैं उनको निश्चित रूप से वेतन मिलना चाहिये। उनको ३, ४ महीने तक वेतन नहीं मिल पाता है तो फिर उनसे काम करने की कैसे अपेक्षा की जा सकती है। यह उचित नहीं प्रतीत होता है कि उनको समय से वेतन न मिले। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको नौकरी की गारन्टी मिली है उनको वेतन समय पर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विरोधी दल के नेता के पक्ष में कुछ शब्दों के द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। परम्परा के अनुसार यहां पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण बराबर होते चले आये हैं। बहुमत जिस पार्टी को प्राप्त होता है उसकी ही सरकार यहां बनती है और अभी तक आजादी के बाद से कुछ समय को छोड़ कर यहां पर एक ही दल की सरकार बराबर रही है। जितने भी उनके अभिभाषण हुये हैं उनको देखने से पता चलता है कि उन्होंने इस अपने अभिभाषण में कोई नई बात नहीं कही है। मालूम नहीं वह जादू कब होगा जब हमको यह देखने को मिल सके कि हमारे इस प्रदेश का शीघ्र ही कल्याण हो सके। उसी आधार पर यह अभिभाषण यहां पर दिया गया है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हाउस के नेता का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और सदन के समक्ष उन बातों को रखना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि जो इस समय मथुरा में हो रहा है। जिस प्रकार से मथुरा के अन्दर घटना हो रही है मेरे मथुरा के साथी यहां पर बैठे हुये हैं वे सब जानते होंगे। वे बतला सकते हैं कि इसमें क्या गलती है। पहले तो डकैती रात को पड़ती थी लेकिन अब वहां पर दिन दहाड़े आदमियों को गायब किया जा रहा है। गायब करने के बाद उनकी तुरन्त हत्या भी कर दी जाती है। कई आदमी इस तरह से गायब किये गये हैं कि उनका पता नहीं चल पाता है कि वे कहां पर हैं। जबकि समूचे देश में आज भी शासन कांग्रेस का है यह मथुरा की हालत है जिसकी ओर मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार इस बात का पता लगाये कि मथुरा की यह दशा क्यों हो रही है? वहां के अधिकारी पता नहीं सरकार को इन बातों से अवगत कराते हैं या नहीं?

माननीय राज्यपाल महोदय ने जो बातें अपने भाषण में कही हैं वह शिक्षा के संबंध में भी कहीं हैं जिनकी ओर मेरे पूर्व के वक्ता ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं तो थोड़ी सी बात कह कर अपने कर्त्तव्य को पूरा करूंगा। कृषि की जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें बाढ़ की समस्या का तो सब को ज्ञान है लेकिन यह पता ही नहीं है कि गरकी की भी कोई समस्या है। ऐसी समस्या हमारे आगरे, अलीगढ़ और मथुरा जिले में है और खास कर मथुरा जिला उससे बेहद तबाह है। मैं कई वर्षों का उदाहरण देना चाहता हूं। आज के जो हमारे मंत्रिगण हैं उन्होंने भी उस जिले को देखा है, बाढ़ के संकट में देखा है और न जाने कितने आश्वासन दिये हैं जो रुपये में दो आने भी पूरे नहीं हुये। जो योजना है पानी के निकास की क्या उसमें से १० में से ३ या ४ भी आश्वासन पूरे हुए। जब जनता पीड़ित होती है तो उसके संतोष के लिए ये योजनाएं

[श्री चन्द्रपाल आजाद]

बनायी जाती हैं किन्तु कार्यान्वित नहीं होती। अच्छा हो कि ऐसे वादे ही न किये जायं और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमें शक्ति दो जिससे इससे छुटकारा मिले।

कहा गया है कि पिछड़े पन को मिटाया जायगा। मैं अपने ज्ञान के मुताबिक कह सकता हूं कि इन मन्त्रिगण के जमाने में नाश हुआ है मथुरा का। इन्होंने पंजाब का पानी मथुरा में डाल दिया। मैं उस गोवर्धन ड्रेन की बात कर रहा हूं। अगर वह न बनता जिस प्रकार श्री आचार्य जी के योग से खुदा तो पंजाब से पानी न आता और इतनी दुर्दशा न होती। उसकी वजह से मथुरा प्रायः समाप्त हो चुका है, सरसब्ज इलाका पिछड़ा बन गया है।.... कहिये, मैं जवाब दूंगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मुझे पता नहीं था कि मेरे मित्र मेरा जिक्र कर रहे हैं। कुछ मथुरा के लिए मेरा ध्यान आकर्षित किया। मुझे दुख है कि यह भी उन्हें नहीं मालूम कि जिस समय डीग का, पंजाब और राजस्थान का जो पानी आया तो उसके लिए समस्त प्रदेश की एक समिति बनी और उसमें राजस्थान और हरियाना के भी मंत्रिगण उपस्थित हुए। मैं तो मंत्री नहीं था, यह उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं।

श्री चन्द्रपाल आजाद—

मैंने आपको मंत्री नहीं कहा। मैंने कांग्रेस सरकार के मंत्रियों की तरफ इशारा किया था। आप नहीं थे तो कांग्रेस की सरकार तो थी। खैर, मुझे खुशी होती और माननीय आचार्य जी मेरी बात को काटते, वह कहते कि वाकई नाश नहीं हुआ। मैं कह रहा था कि मथुरा जिले के नाश का कारण पंजाब और हरियाणा का ही जल है जो वर्तमान सरकार के भूतपूर्व मंत्रियों ने लाकर डाल दिया। यहीं तक नहीं, शिक्षा के संबंध में राज्यपाल का शासन यह मानकर चला कि मास्टरों की बात सही है, लेकिन जेल भी उन्हीं को काटनी पड़ी। अब उनको क्या राहत दी जा रही है? यह आप को अधिकार है क्या दे रहे हैं, लेकिन आप ने यह भी सोचा कि जिस समय बच्चों से फीस ली गयी और वे पढ़े भी नहीं, फिर भी उन तीन महीनों की फीस उनसे ली गयी? उसकी तरफ आप का ध्यान गया या नहीं गया। यातायात की तरफ आप देखें, कोई उसका उचित प्रबन्ध नहीं है। बसें समय से नहीं चलतीं और ठीक नहीं चलतीं। अगर किसी को कचेहरी जाना हो, तो वह रास्ते में ही खराब हो जाती है और सवेरे चल कर शाम तक भी वह नहीं पहुंच पाता है। राष्ट्रीयकरण अच्छी चीज है, वह होना चाहिये, लेकिन जितना आप कर चुके हैं उस ओर भी ध्यान दें और जो कमियां हैं उनको दूर करें। आप की बसें ठीक प्रकार से न चलने के कारण प्राइवेट बस मालिक न जाने अपना कितना बड़ा धन्धा फैलाये हुये हैं। वे गलत तरीके से बसें चला कर अपना फायदा कर रहे हैं। अगर सरकार अपनी बसें वहां चलाये तो सरकार को काफी उससे फायदा हो।

अभी यह कहा गया कि आपने उनको टिकट दिया जिनको हमने नहीं दिया। यह परम्परा किसने डाली। आपने ही तो इस परम्परा को डाला था। आप अपने को देखिये कि आप ने क्या क्या किया है, किस तरह से सरकार आज भी बनायी है। आपने जो किया है ,क्या उससे भी बढ़ कर कोई और चीज हो सकती है।

मैं अपने जिले की पुनः बात कहना चाहता हूं। आपने जो सुविधा दी अनुदान वगैरह दे कर, आज आप देखें कि उसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। आपकी योजना का आज सारा पैसा, भूगे नंगों को बहकाकर कहां जा रहा है, वह परिवार नियोजन पर खर्च हो रहा है। मेरे यहां मथुरा में ब्रिजका पैसा पूरा वसूल हो चुका है, लेकिन जनता से अभी भी पैसा लिया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में जो सड़कें हैं वे अभी तक नहीं बनी हैं। खास कर रामा से खन्दौली व रामा से सादाबाद मुख्य हैं। वहां की जिला परिषद् ने न जाने कितने प्रस्ताव पास कर के भेजे, मगर आज तक इस सरकार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहां की नहरों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

वहां अभी तक खरीफ चैनल नहीं बनी। समय से पानी मिलता ही नहीं। जितने दिन उनको चलना चाहिये था, उतने दिन चली ही नहीं। किसान को न समय से पानी मिला, न समय से बीज मिला व न खाद इससे वहां का पिछड़ापन कैसे दूर होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

गन्ना काश्तकारों को गन्ने का कम मूल्य मिलने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

मैंने एक सूचना को स्वीकार किया है जो माननीय यादवेन्द्रदत्त की है, वह इस प्रकार है "उत्तर प्रदेश में गन्ना काश्तकारों को गन्ने का मूल्य बहुत कम मिल रहा है। शाहजहांपुर में इस समय क्रशर के मालिकों को गन्ना ४ से ५ रुपये प्रति क्विंटल के बीच में काश्तकार मजबूरन बेच रहा है जब कि सरकार ९.५० रुपये प्रति क्विन्टल खरीदने का आदेश है। इतने कम मूल्य पर गन्ने की खरीद से किसानों के सामने भीषण संकट पैदा हो गया है तथा आर्थिक हानि हो रही है। सरकार द्वारा इससे अधिक मूल्य दिलाने का कोई प्रयास न किये जाने से काश्तकारों में बड़ी बैचैनी तथा निराशा है।" इसे मैंने स्वीकार किया है। इसी तरह का एक प्रस्ताव माननीय रामगोपाल संड, माननीय नित्यानन्दन स्वामी तथा कुछ और मा नीय सदस्यों का है। इस पर माननीय मन्त्री जी कब वक्तव्य देंगे।

उद्योग मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

मैं सूचना तो आज भी दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे सोमवार के लिये रख दिया जाय, मैं इसके लिये प्रयास भी कर रहा हूं कि समझौता हो जाय। यह सुलझ जाय। तो सोमवार को रख दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

सोमवार को मैं रखता हूं।

श्री दीपनारायण (जिला देवरिया)--

देवरिया के सम्बन्ध में भी, मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वे सूचना दें।

वाराणसी में विषाक्त शराब से हुई मृत्युओं के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

एक विषय नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना देने के लिये मैंने स्वीकार किया था। उसमें वाराणसी में अवैध शराब की वजह से कहा गया है कि वहां १२ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है। वह विषय माधव फसाद त्रिपाठी जी ने उठाया है। उस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री महोदय सूचना देंगे।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--

अवैध शराब बनाने वाले अक्सर मैथिलेटेड स्प्रिट बाजार से खरीद कर उसे रोनेचर कर कुछ अन्य मसाले जोड़कर शराब बना कर बेचते हैं। मैथिलेटेड स्प्रिट में कुछ विषैले पदार्थ मिले होते हैं और रीनेचर करते समय ये पदार्थ काफी हद तक निकल जाते हैं परन्तु कुछ पदार्थ ऐसे रह जाते हैं जिसमें पीने वाले के अन्धे होने की सम्भावना होती है। इसके अतिरिक्त रीनेचर्ड स्प्रिड की तेजी बढ़ाने के लिये कुछ ऐसे अन्य पदार्थ भी जोड़े जाते हैं जिससे पीने वाले की मृत्यु होने की सम्भावना है।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

वाराणसी के मामले में अभी यह नहीं मालूम है कि क्या पदार्थ जोड़े गये हैं परन्तु इतने लोगों की मृत्यु होने से यही लगता है कि कुछ विषैले पदार्थ काफी मात्रा में जोड़े गये हैं। जो लोग अस्पताल में मरे हैं उनका पोस्ट मार्टम किया गया है और उनके बिसरा कैमिकल इक्जामिनर आगरा के पास भेजे जा रहे हैं।

१५ मार्च को कुछ लोगों ने ऐसी अवैध शराब थाना कोतवाली स्थित अवैध शराब के विक्रेताओं से खरीदी और पीने के बाद बीमार पड़ गये। ऐसे १७ व्यक्तियों के विषय में सूचना प्राप्त हुई है वे निम्न प्रकार है :—

(१) जिनकी अस्पताल में भरती होकर मृत्यु हुई है।	..	७
(२) जिनकी अपने घरों पर मरने की सूचना मिली है।	..	२
(३) जो इस समय अस्पताल में भरती हैं और चिकित्सा पा रहे हैं		५
(४) जो निजी डाक्टरों द्वारा चिकित्सा पा रहे हैं।	..	३
योग	..	१७

(इनमें से एक व्यक्ति अस्पताल पहुंचने पर मरा हुआ पाया गया)

यह सम्भव है कि अपने घरों पर कुछ अन्य लोग भी मरे हों या चिकित्सा पा रहे हों परन्तु इसकी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(१) तीन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा धारा ३२८/३०४ए/४०३ आई० पी० सी० के अन्तर्गत थाना कोतवाली में दायर किया गया है। इनमें से एक व्यक्ति कन्हैयालाल मांड नामक गिरफ्तार हो चुका है। और दो अन्य व्यक्ति इस समय लापता हैं।

(२) सी० आई० डी० द्वारा जांच के आदेश हो चुके हैं और एस० पी०, सी० आई० डी० जांच करने वाराणसी पहुंच चुके हैं।

(३) जिला अधिकारी वाराणसी के आदेशानुसार अतिरिक्त जिला अधिकारी द्वारा मैजिस्टीरियल जांच शुरू हो चुकी है।

(४) इस्पेक्टर इंचार्ज कोतवाली को अपना चार्ज हैंड ओवर करने के आदेश हो चुके हैं तथा चौकी जैतपुर के एक सब-इन्स्पेक्टर एक कांस्टेबिल तथा तीन सिपाहियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त स्प्रिट के फुटकर बिक्री की सीमा को ६ बोतल से ३ बोतल तक घटाने का सुझाव भी विचाराधीन है। जिला अधिकारी,वारणसी ने स्प्रिट के दुरुपयोग को देखते हुए आबकारी आयुक्त के पास यह सुझाव भेजा था और आशा की जाती है कि इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि यह अवैध शराब किसी आबकारी दूकान से नहीं खरीदी गई है बल्कि अवैध शराब बनाने वालों द्वारा बेची गई है। अभी तक प्राप्त सूचना के

आधार पर आबकारी विभाग के कर्मचारियों के इसमें कोई हाथ नहीं प्रतीत होता। आगे कार्यवाही सी० आई० डी० तथा मैजिस्टीरियल जांच के नतीजे उपलब्ध होने पर की जा सकेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, इसके पढ़ने से यह नहीं मालूम होता कि किस दिन यह एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और उसके घ की तलाशी ली गयी या नहीं ली गयी। रिपोर्ट में बताया गया कि १२ आदमी मरे लेकिन बताया जाता है कि इसमें ३२ आदमी मरे हैं। यह भी बड़ी गंभीर बात है कि अवैध शराब के ठिकाने कोतवाली से केवल एक फर्लांग की दूरी पर ही निकले। यह विषाक्त पदार्थ था या इसमें और कोई गोलमाल थी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जैसा मैंने अभी बताया कि एक एस० पी०, सी० आई० डी० इसके लिये भेजा गया है, वह सारे विषयों को जानकारी प्राप्त कर के अपनी रिपोर्ट भेजेगा तब सदन को बताया जा सकेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

गिरफ्तारी उसी दिन हुई अथवा किसी और दिन तथा उसकी तलाशी भी हुई या नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अभी मैंने बताया कि २ व्यक्तियों में से, जिनके ऊपर शक था, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरा जब पकड़ लिया जायगा, उसकी भी सूचना दे दी जायगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैंने पूछा कि उसकी तलाशी हुई या नहीं और अगर हुई तो कोई चीज उसके यहां से बरामद हुई या नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

क्या यह सही है कि अवैध शराब के ये अड्डे कोतवाली से एक फर्लांग की दूरी पर ही थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

कितनी दूर था, इसके विषय में इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी मेरी जानकारी को सच मान कर कि जो संख्या उन्होंने मरने वालों की बतायी है, वह उससे बहुत ज्यादा है, इसकी जानकारी कराकर सदन को देंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

सी० आई० डी० की रिपोर्ट आजाने पर सदन को जानकारी यदि आप चाहेंगे तो दी जायगी।

श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

क्या उन दूकानदारों की भी जांच करायी गयी है कि उन्होंने उन लोगों को क्या बेचा और पोस्ट मार्टम में क्या चीज पायी गयी जिसकी वजह से उन लोगों की मृत्यु हो गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सी० आई० डी० की रिपोर्ट आने पर बताया जायगा।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार की घटनायें और जिलों में भी होती रहती हैं, उनको रोकने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

श्रीमन्, अभी मैंने अपने बयान में बताया था कि यह जो एक वक्त में ६ बोतल स्प्रिट बेंचने की इजाजत है उसके बारे में सुझाव दिया गया है एक्साइज डिपार्टमेंट को कि एक समय में ३ बोतल से अधिक न बेंची जायं क्योंकि ज्यादा बोतल बिकने पर एक साथ ज्यादा मात्रा में पीने से वह मृत्यु का कारण बन सकती है।

श्री लाल बहादुर (जिला वाराणसी)—

मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर के यह भी पता लगा लें कि इस में एक्साइज विभाग के अधिकारी तो नहीं मिले हैं, बनारस में हम लोग परेशान हो गये हैं और वहां टिंचर और स्प्रिट में मिलाकर शराब बिकवाई जाती है।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि डिनेचर्ड स्प्रिट तो पीने के लिए बेंची ही नहीं जा सकती ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

वह तो अवैध ढंग से बिकती है, उसकी जांच के लिये सी० आई० डी० को इंक्वायरी सुपुर्द की गई है। अगर वह बतायेंगे कि एक्साइज विभाग के कर्मचारी भी उसमें शामिल थे तो उनको भी सख्त से सख्त सजा दी जायगी।

श्री लाल बहादुर—

क्या सरकार इसकी इंक्वायरी करा के पूरी रिपोर्ट सदन के सामने रखेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है और जो कुछ उन के मन में बैठा है कि शायद इसमें एक्साइज विभाग के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हों, इसी प्रकार का शुबहा मेरे दिल में उठा था और इसी करण से मैंने उसी दिन कुछ ऐसे आदेश दिये थे कि एक्साइज के कर्मचारी व अधिकारीगण को और पुलिस के अधिकारीगण को वहां से तुरन्त ही हटाया जाय परन्तु जब वहां एक्साइज कमिश्नर पहुंचे और उन्होंने जांच की तो उन्होंने फोन पर मुझ से बात की तो उससे मालूम हुआ कि इस मामले में एक्साइज विभाग के कर्मचारी शामिल नहीं हैं। इसलिये मैंने अपने आदेशों को जो जबानी दिये गये थे उन के बारे में फैसले को रोक दिया है और अब जब सी० आई० डी० की रिपोर्ट आ जायगी तब उसके अनुसार दोषी चाहें पुलिस के अधिकारी हों या एक्साइज विभाग के हों वे केवल वहां से हटाये ही नहीं जायेंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जायगी।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या मुख्य मंत्री जी की जानकारी में यह है कि जिस मकान से यह अवैध शराब बेंची गई वहां पुलिस के कर्मचारियों की मदद से इस तरह की कार्यवाही पहले से चल रही थी और बिक्री जारी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

इस की कोई सूचना नहीं है लेकिन जैसा शक आपके दिल में पैदा होता है पुलिस की हरकतों के संबंध में, मैं भी इस प्रदेश का नागरिक रहा हूं और मैं ने प्रशासन भी यहां का चलाया है, मेरे दिल में और दिमाग में भी इसी तरह की चीज पैदा हुई लेकिन सरकार को परिस्थितियों और वाकयात को देखकर ही फैसला करना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष---

अब वाद विवाद धन्यवाद के प्रस्ताव पर आरम्भ होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

प्रश्न नहीं केवल एक चीज कहना चाहता हूं आप की आज्ञा से कि मैंने मुख्य मंत्री जी से एक प्रश्न किया और उन्होंने अपना उत्तर पढ़कर सुनाया लेकिन मेरे प्रश्न में २ चीजें बहुत महत्वपूर्ण थीं कि किस दिन गिरफ्तारी हुई, और चीजों की बरामदगी के लिये तलाशी हुई या नहीं, लेकिन इसका उत्तर नहीं आया। इससे साबित होता है कि अपूर्ण उत्तर आये। मैं चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह के अपूर्ण उत्तर न आयें और संबंधित अधिकारियों को ऐसे आदेश दे दिये जायं कि वह अपूर्ण उत्तर न भेजें।

श्री अध्यक्ष---

वे कहते हैं कि सी० आई० डी० की इन्क्वायरी के बाद सब कागजात आपके सामने रखेंगे। उसमें सब आ जायगा।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

श्रीमन्, इस संबंध में मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि मरने वालों की संख्या १० है लेकिन मेरे पास जो सूची है और जिसमें पते के साथ-साथ और ब्योरा भी दिया हुआ है, उसके अनुसार २० आदमियों की मृत्यु हुयी है। जैसा वहां की सूचना है मरने वालों की संख्या लगभग ३ दर्जन से अधिक है। इतने गहन विषय पर मैंजानना चाहूंगा कि क्या जांच होने पर मुख्य मंत्री जी पुनः सदन को सूचित करेंगे कि वस्तु स्थिति क्या है ? उन्होंने अभी कहा था कि यदि आप चाहेंगे तो हम करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि यदि आप करेंगे, तो किस दिन करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

जांच होने पर ही किसी वे दिन सदन को सूचित कर सकते हैं। जहां तक मरने वालों की संख्या की बात है आपने ही लिखा है कि मरने वालों की संख्या १२ है।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

श्रीमन्, जिस दिन हमने यह प्रस्ताव दिया था उसमें लिखा था कि यह संख्या कल तक की है। इधर लगातार मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

इस सब पर वे विचार करेंगे। इस समय मैं इजाजत नहीं दूंगा कि इस संबंध में कोई और सवाल जवाब किया जाय। जब रिपोर्ट आयेगी मरने वालों की जो संख्या होगी, मालूम हो जायगी, उसकी भी रिपोर्ट आ जायगी।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

क्या शराब बेंचने वाले और पुलिस के लोग मिले हुए हैं, इसलिये जांच कम हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कह दिया कि उन्हें खुद शंका हुयी है कि या तो पुलिस के अधिकारी या आबकारी वाले इसमें शामिल हैं। इसीलिये तो उन्होंने सी० आई० डी० को आदेश दिया है कि वे इस मामले में इन्क्वायरी करें। अब मैं चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस जारी की जाय।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)--

श्रीमन्, जो बहस चल रही है, इसमें मा० सदस्यगण को बहुत कम समय मिल रहा है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि कम से कम २ दिन का समय बढ़ा दिया जाय ताकि सब लोगों को मौका मिल जाय, वर्ना सदस्यों में बेचैनी और निराशा बनी रहेगी।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न तो पहले दिन ही उठाना चाहिये था। अब समय के लिए स्वीकृत हो चुकी है। अब समय नहीं बढ़ाया जा सकता है।

श्री बलबीर सिंह--

श्रीमन्, यह व्यवस्था तो आप किसी भी समय कर सकते हैं। आप कृपया नेता सदन और नेता विरोधी दल से पूछ लें।

श्री अध्यक्ष--

इस संबंध में आप मुझ से मेरे कमरे में मिल सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, चूंकि बहुत से माननीय सदस्य बोलने के इच्छुक हैं, मैं चाहूंगा कि आप प्रत्येक सदस्य को ५-५ मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं १०-१० मिनट का समय देता हूं प्रत्येक माननीय सदस्य को पर इस पर भी वे २-२ मिनट का समय मांगते हैं। इस प्रकार १५ मिनट के लगभग ले लेते हैं। तो आप यह कहें कि १० मिनट के उपरान्त एक मिनट भी न दूं, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, जब ५ मिनट का समय देंगे तब भी यही बात होगी।

उद्योग मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)--

श्रीमन्, यह कोई बुरी चीज नहीं होगी यदि आप बोलने का समय ७ मिनट कर दें। यह न ५ मिनट होगा और न १० मिनट। बीच का समय हो जायगा जिसे आप मान लें।

श्री दीप नारायण (जिला देवरिया)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय २ दिन के लिए और बढ़ा दिया जाय।

श्री उदित नारायण (जिला फतेहपुर)---

दस मिनट से कम बोलने के लिए किसी से कहना उसके साथ अन्याय होगा, इसलिये मेरा निवेदन है कि दस मिनट से कम किसी तरह से न दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--

जो नियम में है दस मिनट का समय साधारणतया वही दिये जाते हैं।

डाक्टर प्रकाश नारायन गुप्ता (जिला आगरा)---

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय क अभिभाषण मौजूदा सरकार की नीतियों के अनुसार ही है और निश्चित रूप से हमारा जो दल है उसकी नीति समाजवाद की ओर अग्रसर होने की है और इस अभिभाषण से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि हम समाजवाद की ओर कदम बढ़ाने और साथ ही अपने प्रदेश की आर्थिक मजबूती को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन का भी जिक्र किया है और उसको दूर करने के लिए सेंटर से अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त करने के लिये भी कहा है। हमको मालूम है कि बिहार को छोड़ कर हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम सारे देश से कम है और यह अन्य प्रदेशों से पिछड़ गया है।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर यहां कृषि की आमदनी बढ़ेगी तो फिर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। इसलिये राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कृषि को विशेष महत्व दिया है और कृषि में इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के प्रयास करने के लिए संकेत किया है। खेती के लिए उत्तम बीज तथा सिंचाई का प्रबन्ध होना चाहिये। उन्होंने अपने अभिभाषण में इन दोनों चीजों की व्यवस्था के लिए पर्याप्त रूप से संकेत किया है और हमें विश्वास है कि इसके द्वारा हमारे प्रदेश के अन्दर खेती की तरक्की होगी और खेती के जरिये हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी।

अपनी जगह यह बात भी ठीक है कि जितनी पैदावार बढ़ी है यदि उसी अनुपात में हमारे प्रदेश की आबादी बढ़ जाती है तो फिर पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ सकती। लिहाजा फैमिली प्लानिंग पर भी राज्यपाल महोदय ने विचार किया है और इस ओर भी ध्यान दिया है। किन्तु यह बात भी अपनी जगह सही है कि शुरू में जो फैमिली प्लानिंग का रूप था बाद में उससे भिन्न हो जाने से हमारे प्रदेश की फैमिली प्लानिंग में बड़ा धक्का लगा है। मेरा तात्पर्य यह है कि जहां पहले फैमिली प्लानिंग का कार्य केवल डाक्टरों के हाथ में था वहां जब से यह कार्य नान टेक्निकल लोगों के हाथ में भी पहुंच गया तब से इंसेंटिव के नाम पर उनके जरिये लोगों पर जोर जबरदस्ती की गयी और उसमें ह्यूमैन फैक्टर मिस कर दिया गया। मेरा अनुरोध है कि फैमिली प्लानिंग में इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि अगर पटवारी, लेखपाल या अन्य सरकारी कर्मचारी जो नान टैक्निकल हैं उनको फैमिली प्लानिंग में लगाने की व्यवस्था रहेगी तो यही नतीजा होता रहेगा जिसको आये दिन हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं जैसे किसी बुड्ढे की कहीं नसबन्दी होती है, कहीं किसी कम उम्र वाले की होती है और इस प्रकार ऐसे लोगों की नसबन्दी हो जाती है जिनकी नहीं होनी चाहिये। वह केवल इसलिये होता है क्योंकि उनके ऊपर जबरदस्ती का एक बोझ लादा हुआ है कि या तो इतने केसेज लाओ वरना नुकसान उठाओगे, इस तरीके से जो काम एक मिशन के तौर पर चलाया गया था उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है।

[डाक्टर प्रकाश नाराय ण गुप्त—]

एक बात की तरफ मैं विशेष रूप से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि संविद सरकार के जमाने में किसानों की दो श्रेणी बना दी गयी थी । एक तो बड़े किसान थे जिनसे कहा गया कि १२ हजार गैलन फी रुपये के हिसाब से पानी ले लीजिये और जो छोटे किसान थे, जो गरीब थे उनको कहा गया कि जब उनको मिल जायगा उसके बाद तुम्हारा नम्बर आयेगा । इस तरह से और भी कैटेगरी किसानों में बना दी गयी । मैं समझता कि यह कदम समाजवाद के बरखिलाफ है और जाहिर है कि अब ऐसी बात नहीं होगी ।

हमारा प्रदेश ऐग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्रीज में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। अभिभाषण को देखने से यह पता चलता है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही काफी तादाद में रुपया लगा कर इस प्रदेश के अन्दर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात कही गयी है। इस सदन के अन्दर मैंने कई बार यह देखा कि पूर्व वाले पूर्व के पिछड़ेपन की बात करते हैं, बुन्देलखंड वाले बुन्देलखंड की बात करते हैं, पहाड़ वाले पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं और उत्तर वाले उत्तर की बात करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सारा प्रदेश ही पिछड़ा हुआ है । मैं समझता हूं कि हमेशा के लिये यह वादविवाद खत्म करने के लिये यह तरीका हो सकता है कि एक कमीशन बना दिया जाय जो यह देखे कि पिछले बीस साल में सरकार की तरफ से कितनी मदद किधर को भेजी गयी है और यदि पूरी मदद पहुंचने के बाद भी कोई इलाका आगे बढ़ने की बात नहीं करना चाहता तो उसकी वजह से कम से कम वह इलाका जहां के लोग मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको पीछे लाने का प्रयास नहीं करना चाहिये । इसी सिलसिले में मैं आगरा शहर की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां से मैं चुनकर आया हूं । वहां पिछले बीस साल के अन्दर कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी और न कोई डेवलपमेंट का काम हुआ । मुझे यह तो पता नहीं कि प्रदेश के दूसरे शहरों के मुकाबले उसकी क्या हालत है लेकिन यह जानता हूं कि न तो वहां पब्लिक सेक्टर के अन्दर और न प्राइवेट सेक्टर के अन्दर कोई ऐसी इंडस्ट्री आज तक लगी है जिस में एक करोड़ से ज्यादा की पूंजी लगी हुई है तो जब कि दूसरे नगरों में बड़े-बड़े कारखाने मौजूद हैं। इसलिये जब कोई कारखाना अपने प्रदेश में लगाने की बात हो तो इस महानगरी को मैं आशा करता हूं कि नजरअन्दाज नहीं किया जायगा जैसे कि अब तक होता आया है ।

हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में भी मुझे कुछ अर्ज करना है, वह यह कि हमारे प्रदेश में अस्पतालों में जो डाक्टर वहां कार्य करते हैं उनके लिये यह देखने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की जाती कि कितने मरीजों को उसे देखना होता है। वह सुबह तीन-चार घंटे के लिए आता है और उसको देखने के लिये तीन सौ, चार सौ, पांच सौ मरीज होते हैं नतीजा यह होता है कि उसका एक हाथ तो नब्ज पर होता है, दूसरा परचे पर और आंख अगले मरीज पर। इस तरह से वह एक प्रकार से घास सी काटता है और इसके बाद भी अगर कोई गलती होती है तो उसको बुराई मिलती है । तो ह्यूमन नेचर को भी देखना चाहिये । आखिर डाक्टर भी एक इंसान होता है । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि किसी भी अस्पताल के लिये यह निश्चित हो जाना चाहिये कि वहां का डाक्टर एक दिन में कितने मरीजों को देखेगा। इसके बाद ज्यादा मरीजों के लिए दूसरे डाक्टर की व्यवस्था होनी चाहिये ।

सेल्स टैक्स के मसले में एक बात कहना चाहता हूं कि पहले जब मल्टीपिल टैक्स लगाया गया तो चाय पर मल्टीपिल टैक्स था, बाद में मल्टीपिल न लगा कर सिंगल ज्वाइंट सेल्स टैक्स लगाया गया और सोचा था कि इसकी वजह से टैक्स की आमदनी में कमी हो जायेगी। लेकिन देखने में यह आया कि इससे आमदनी में बढ़ोत्तरी हुई। इसलिये यह जरूरी नहीं है कि प्रदेश की आमदनी मल्टीपिल टैक्स लगाने से ही बढ़ेगी। मल्टीपिल टैक्स लगाने से उसका इवेजन ज्यादा होता है। इसके लिये मैं चाहूंगा कि एक कमीशन बिठाया जाय जो टैक्स के स्ट्रक्चर की पूरी छानबीन कर के रिपोर्ट दे कि किस तरह सिंगल प्वाइंट

सल्स टैक्स लगाया जाय ताकि प्रदेश की आमदनी बढ़े और छोटे-छोटे दुकानदारों की भी हिसाब क़ रखने की दिक्कत दूर हो सके। एक चीज और है कि फ्री लिमिट जो १२ हजार रुपये की रखी गई है यह उस समय की है जब रुपये की कीमत पूरा रुपया था लेकिन रुपये की कीमत अब १६ पैसे है। इसलिये आज फ्री लिमिट ३० हजार रुपये होनी चाहिये इसके वसूल करने में भी बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि रकम बहुत कम होती है और वसूली खर्चा काफी हो जाता है। इससे कोई फायदा नहीं होता है।

इसके अलावा बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ठीक प्रबन्ध करने का भी राज्यपाल महोदय ने विश्वास दिलाया है। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे यहां पंचायत राज १५ वर्ष से जारी किया गया है। मैं समझता हूं कि १५ वर्ष का तजुर्बा काफी होता है। इसलिये आज यह देखने की जरूरत है कि इससे फायदा हुआ है या नहीं और यदि फायदा नहीं हुआ है तो इसको हटाया जाय। इन शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राजेंद्रकुमार शर्मा (जिला रामपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अभिनन्दन करता हूं और आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे यह सुअवसर प्रदान किया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत हुये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं और अपना संशोधन भी प्रस्तुत करता हूं। इस अभिभाषण से यह प्रगट हो रहा है कि इस प्रदेश के पिछड़ेपन का मूल कारण जन संख्या का अधिक होना है। दूसरे रूप में हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश का क्षेत्र बहुत बड़ा है और साधनों की कमी के कारण ही जनसंख्या अधिक मालूम दे रही है। इसकी दोषी २० साल से चलने वाली हमारी सरकार है क्योंकि वह हमारी जनता को इतने साधन नहीं जुटा पाई जिससे उसका अच्छा उपयोग अधिक जन संख्या पर सकती है। हमारे प्रदेश में विकास के ऊपर जो प्रति व्यक्ति रुपया लगाया गया है वह बहुत कम है सारे भारतवर्ष के प्रदेशों के प्रति व्यक्ति के अनुपात में। पिछले २० वर्षों से केंद्रीय सरकार में प्रधान मंत्री इस प्रदेश से ही जा रहे हैं और मौजूदा प्रधान मंत्री भी इसी प्रदेश की हैं। इसके अलावा भी कई महान विभूतियां वहां रही हैं और इस समय भी संसद के दोनों सदनों में अधिकतर व्यक्ति इसी प्रदेश के हैं तो यह हमारी सरकार का ही दोष है कि हम केंद्र से अधिक रुपया प्राप्त नहीं कर सके।

दूसरे प्रदेश हमारे प्रदेश के अनुपात में ज्यादा रुपया वहां से अपनी योजनाओं के लिए लेकर अपने प्रदेश को हमारे प्रदेश के अनुपात में कहीं ज्यादा ऊंचा उठा कर ले गये। यह हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। हमारे प्रदेश से इतने बड़े-बड़े व्यक्ति केन्द्रीय सरकार में हैं हम लोग उनसे लाभ नहीं उठा सके। जब बच्चा अपनी मां से दूध मांगता है तो रोता है, जिस मां का बच्चे पर इतना स्नेह होता है वह भी अपने बच्चे को तभी दूध देती है जब वह रोता है लेकिन यहां पर हमारी कांग्रेसी सरकार राजनीति के कुचक्र में पड़ कर यहां पर जो प्रदर्शन दे रही है वह किसी से छिपा नहीं है और वही समस्याएं हर क्षेत्र में हमारे सामने उठ रही हैं।

हमारे प्रदेश का प्रमुख उद्योग कृषि है उसकी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कृषि में सबसे बड़ा साधन कृषि भूमि मानी जाती है उसकी कमी नहीं है। लेकिन कृषि योग्य भूमि को सही रूप में प्रयोग करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक सिंचाई है। उसके बाद खाद और जुताई। उसके बाद हर भूमि अच्छी हो सकती है। लेकिन हमारे प्रदेश में अधिकतर भूमि बेकार पड़ी है या भूमि है तो सिंचाई के साधन न होने के कारण उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है। मैं आपके सम्मुख थोड़े से आंकड़े रखना चाहता हूं जिससे इस प्रदेश की सिंचाई के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो जायगी। १९५१-५२ में कितना कुल ऐरिया बोया गया वह एक प्रकार है: मैदानी क्षेत्र में ४ करोड़, ७४ लाख, ९७ हजार, ६ सौ ६८ एकड़ और पहाड़ी क्षेत्र में १७,३२,४५२ एकड़। उसके विपरीत दिशा में पानी की मात्रा की कितनी व्यवस्था की गयी--- मैदानी क्षेत्र में १,२६,८५,५६४ एकड़, और पहाड़ी क्षेत्र में ७४,९८६ एकड़ १९६४-६५ में जो आंकड़े हैं उनके अनुसार कोई विशेष उन्नति नहीं की है। मैदानी क्षेत्र में ५,३१,७०,०९७

[श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा]

एकड़ और पहाड़ी क्षेत्र में १७,४४,५६१ एकड़ पर सिंचाई के साधन दिये गये। विशेष रूप से देखने की बात यह है कि मैदानी क्षेत्र में १६ साल के अन्दर केवल १० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई के साधन और जुटाए और पहाड़ी क्षेत्र में जीरो प्रतिशत सिंचाई के साधन बढ़े। जितने साधन पहले से चले आ रहे थे वही चले आ रहे हैं। उसके अलावा कोई नया साधन नहीं दे पाया है इसके पश्चात् श्रीमान्, मैं इस बढ़ती हुई महंगायी की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं। हर रोज खेती से सम्बन्धित जितनी सामग्री है दिन पर दिन उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसके विपरीत दूसरी दिशा में कृषि द्वारा उत्पादित किये जाने वाले अनाज के दाम घट रहे हैं। मैं धान के मूल्यों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मोटे धान आईआर—८ या टाइचुंग का भाव फसल कटने पर ४८ से ५२ रुपये प्रति क्विंटल था। और इस समय उन मोटे धानों का दाम ६५—७० रुपये के बीच में चल रहा है जब कि अधिकतर कृषकों के हाथों से वे धान मार्केट में पहुंच चुके हैं और उनको व्यापारी वर्ग ने अपने भंडारों में भर लिया है। इसी प्रकार से जो अच्छे धान हैं जैसे हंसराज वगैरह—वे वहां पहले ६० रुपये क्विंटल बिकते थे वहां, अब इस समय उनका भाव ९०—९५ रुपये क्विंटल का चल रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि कृषकों के घरों से जब अनाज निकल जाता है और व्यापारी वर्ग के पास पहुंच जाता है तो उसका दाम एक दम से बढ़ जाता है। मैं समझता हूं कि इसके लिए सरकार ही दोषी है क्योंकि वह इनके भाव स्थित नहीं कर पा रही है जिससे कृषक वर्ग लगातार हानि उठाता जा रहा है।

इसके अतिरिक्त उद्योगों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अन्दर उद्योगों के प्रति बहुत कम ध्यान दिया गया है और अगर दिया गया है तो यह केवल पत्रों पर ही है। योजना के लिए जो साधन जुटाये गये हैं वे केवल पत्रों के ऊपर ही होते हैं: उनको वास्तविक रूप नहीं दिया जाता। मैं अपने जिले के जिस क्षेत्र से चुन कर यहां आया हूं उसके बारे में भी कुछ बतलाना चाहता हूं जिससे मेरे क्षेत्र की स्थिति का भी कुछ ज्ञान सदस्यगण को हो सके।

श्रीमन्, रामपुर जिला आज से २०—२२ वर्ष पहले रियासत के रूप में था। उस रियासत में औद्योगीकरण का बड़ा जोर था लेकिन श्रीमन्, अब वहां पर उद्योगों का धीरे-धीरे विनाश होता जा रहा है। वहां की मेच इंडस्ट्री, मेज फैक्ट्री और रामपुर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का बड़ा जोर था लेकिन सब धीरे-धीरे वे फैक्टरियां समाप्त हो गई हैं जिसके परिणाम जनता के सामने आ रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है दरिद्रता, भुखमरी फैल रही है। इस पर भी केन्द्रीय एवं राज्य सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यह तो रामपुर नगर की बात रही।

जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वह स्वार टांडा क्षेत्र है। वहां की पूरी तहसील तीन खंडों में बंटी हुई है। एक तहसील से दूसरी तहसील व वहां से तहसील हेडक्वार्टर पर पहुंचने के लिये ३०—३५ मील का सफर तय करना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वहां पर दो तीन बड़ी-बड़ी नदियां व नाले हैं जिन पर कोई पुलान न होने की वजह से कृषकों का अपनी तहसील से सम्पर्क स्थापित नहीं हो पाता है और खास कर बरसात के दिनों में तो यहां की स्थिति बहुत ही बुरी हो जाती है। और दिनों में तो नदी से निकल भी सकते हैं लेकिन बरसात के दिनों में नदी से निकलना मुश्किल हो जाता है। मिलक खानम स्वार सड़क पर बड़े-बड़े फार्मर्स बसे हुये हैं लेकिन वे कृषि से उत्पादित वस्तुओं को सड़क ठीक न होने की वजह से बाजार तक सुविधा से नहीं पहुंचा सकते हैं। स्वार से धड़ियाल केवल २ मील है, लेकिन उसके बीच में कोसी के ऊपर पुल न होने के कारण लोगों को बड़ी कठिनाई है, उस पर पुल की अत्यन्त आवश्यकता है जिसके स्थापित होने से मुरादाबाद से हमारा सीधा सम्बन्ध स्थापित हो सकता है और उससे वहां के लोगों का तमाम समय और पैसा बच सकता है। मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन संशोधनों के साथ इनको राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ दिया जाए।

श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मैं बहुत ही अनुग्रहीत हूं कि राज्यपाल ने बहुत सी ऐसी चीजें अपने अभिभाषण में दी हैं, जिनसे वास्तव में इस प्रदेश का विकास सम्भव है। मैं इस सम्बन्ध में एक चीज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में पटेल—आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर आप यथाशीघ्र विकास के विभिन्न कार्यों को प्रसारित कीजिए। किन्तु मैं रायबरेली जिले का हूं, जो कि न तो पूर्वी जिलों में आता है और न पश्चिमी जिलों में। सन् १९६७ में जो विधान सभा संगठित हुई थी, उसमें भी यह प्रश्न मैंने उठाया था—जब मुख्य मंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी इधर बैठे थे तब मैंने उनके सामने भी यह प्रश्न उठाया था। पूर्वी और पश्चिमी जिलों की गड़गड़ाहट में करोड़ों रूपया वहां लगा है, लेकिन जो मध्यवर्ती क्षेत्र के जिले हैं, जिस क्षेत्र में लखनऊ है, जिसमें यह विधान सभा स्थित है उसकी नाक के नीचे जो ५०—६० मील की परिधि में जिले हैं जिसे अवध के नाम से जाना जाता है, क्या उनके विकास के लिए भी कोई आयोग गठित किया जाएगा, जिससे कि इस क्षेत्र का जिसका कि एक शानदार इतिहास रहा है, उसके भी समुचित विकास का प्रयास हो सके। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, कि अवध क्षेत्र के विकास के लिए भी प्रयास होना चाहिए और यदि आवश्यकता हो, जिसकी आवश्यकता भी है, उसके लिए एक आयोग गठित किया जाए जो सर्वेक्षण करके रिपोर्ट दे कि कैसे इसका विकास सम्भव हो सकता है। यह जो बीच का क्षेत्र है, जिसमें रायबरेली लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, हरदोई, खीरी आदि जिले आते हैं, को भी विकास की समुचित सुविधाएं दी जाएं। रायबरेली के बारे में मुझे विशेषकर कहना है, वहां की जो हालत है वह मुझे आवश्यक रूप से बहुत दिनों से खटक रही है। मैं पहले भी इस चीज को उठा चुका हूं और आज भी यह चीज उठा रहा हूं—कि डलमऊ—जगतपुर—सलोन रोड जो केवल २४ मील का टुकड़ा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान जाना चाहिए। डलमऊ में गंगा जी के ऊपर जो पीपे का पुल बना है वह बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, लखनऊ को जोड़ता है उसीसे उपरोक्त सड़क निकली है। उसका बनना आवश्यक है जिससे उस पर सामान लाने ले जाने के लिए लोगों को सुविधा हो सके। और वहां के लोगों का जो हर्जा खर्चा होता है वह बच सके। एक और रायबरेली—परसदेपुर रोड है जो लोधवारी होकर गुजरती है, इसको भी बनवाना अत्यन्त आवश्यक है, ताकि जनता को यातायात की सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हों। इसके न होने से वहां पर लोगों को जो हजार हजार रुपये की बैलों की जोड़ी खरीदकर लाते हैं तीन महीने से अधिक काम नहीं कर सकते।

इसी तरह से रायबरेली—फैजाबाद रोड जो सिधौना होकर गुजरती है, उसकी भी यही हालत है। वर्षाकाल में ३/४ महीने वहां पर कोई सवारी चल ही नहीं सकती है। बाकी दिनों भी वहां पर कोई सवारी ठीक से नहीं चल सकती, तमाम धूल और कीचड़ वहां पर भरा रहता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उक्त सड़क भी तुरन्त बनवाई जाए। इसी तरह से मलिक—मऊ आयमा—रुस्तमपुर रोड जो मीरगंज, भटपुरवा हो कर गुजरती है उस पर लाखों आदमी हर साल गुजरते हैं, उसका बनना भी आवश्यक है।

इसके अलावा रायबरेली नगर की सड़कों की बड़ी दयनीय दशा है। जब तक कोई विशेष अनुदान रायबरेली की नगरपालिका को नहीं दिया जाता वहां की सड़कों की हालत कभी नहीं सुधर सकती है। इसलिये मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि रायबरेली नगरपालिका को इस कार्य के लिये विशेष रूप से अनुदान दिया जाय जिससे वहां की सड़कों की जो बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई हैं, बनवाया जा सके।

इसके अलावा मैं बिजली की ओर भी ध्यान दिलाता हूं। हमारे नगर में कुछ क्षेत्रों में बिजली लग चुकी है लेकिन कुछ क्षेत्रों में कोई न कोई व्यवधान है। हमारे यहां रोहतक—हिसार

[श्री मदन मोहन मिश्र]

बिजली कम्पनी है जिसको लाखों रुपया सरकार की ओर से कर्जा मिला हुआ है और वह मनमाने ढंग से जब जिसको इच्छा होती है बिजली दे देती है और जहां नहीं चाहती वहां के लिये वह इन्कार कर देती है। मेरी प्रार्थना है कि उसके कार्यकलापों के लिये एक जांच कमेटी बैठायी जाय कि उन्हों ने जो लाखों रुपया गवर्नमेंट से लिया है उसका किस तरह से उपयोग किया है और जिन जगहों पर, जिन सड़कों पर या जिन गलियों में अब तक बिजली के खम्भे किसी न किसी बहाने से नहीं गड़े वहां पर उनको बाध्य किया जाय कि बिजली के खम्भे शीघ्रातिशीघ्र गाड़े जायं और वहां रोडस इट्स दी जाय जिससे गरीब आदमी जो उधर से गुजरते हैं और अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं उनको कुछ सुविधा मिल सकेगी और जनता का कुछ कष्ट दूर हो जायगा।

हाइडिल विभाग के संबंध में मुझे यह प्रार्थना करनी है कि हमारे क्षेत्र में जगतपुर ब्लाक में अब तक किसानों के खेतों से खम्भे तो गये हैं लेकिन जब तक ११ और वोल्ट्स के खम्भे वहां नहीं गड़ेंगे तब तक किसानों को सुविधा नहीं मिल सकती है। इसलिये सरकार से प्रार्थना है कि जगतपुर में एक सब स्टेशन स्थापित करें जिससे वहां पर उस क्षेत्र में बिजली का जाल बिछाया जा सके।

इसके साथ ही साथ पहले जो राही ब्लाक था और अब सतांव ब्लाक हो गया है वहां रुस्तमपुर-लोधवारी और खुरटो क्षेत्र बड़े उपेक्षित हैं। वहां के किसानों की बड़ी दयनीय दशा है। नहरें समय पर पानी नहीं दे पातीं। जब पानी की जरूरत नहीं है तब उसमें पानी रहता है और जब जरूरत होती है तब वहां पानी नहीं मिलता। इसलिये किसानों की हालत यह है कि वे समय पर अपने खेती में पानी नहीं दे पाते और न पानी दे सकने के कारण पैदावार अच्छी तरह से नहीं हो पाती जिसके कारण स्थिति बहुत नाजुक हो गयी है। इसके लिये रायबरेली जिले में, स्टेट की तरफ से ट्यूबवेल होना चाहिये और जो गरीब किसान ट्यूबवेल नहीं लगा सकते हैं उनको सरकार की तरफ से पानी और बिजली के लिये सुविधा मिलनी ही चाहिये।

इसके अलावा जगतपुर ब्लाक में एक अलावलपुर ग्राम है। वहां कई बार प्राइवेट बोरिंग हो चुकी है लेकिन पानी नहीं मिलता है। वहां पर मेरी राय है और सरकार को सुझाव है कि टेस्ट वर्क्स खोले जायं और उसके द्वारा ट्यूबवेल्स बनवाकर उन किसानों की समस्या को हल किया जाय।

इसके साथ ही साथ मैं रायबरेली जिले की इस बड़ी विपदा की ओर सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि किसानों को समय से पानी न मिलने के कारण गल्ला पैदा नहीं होता और वहां तकावी की रिकवरी बड़े मनमानी ढंग से हो रही है। साइटेशन नोटिस इश्यू किये जाते हैं। उपस्थित होने पर कोई भी प्रार्थना व वायदा न मानकर हवालात में बन्द कर लिया जाता है यहां तक जिसने कुछ लोन लिया और उसने कुछ अदा भी कर दिया था और शेष के लिये सरकार को लिखकर उसने वादा किया कि धीरे-धीरे हम अदा कर देंगे उनकी भी बात नहीं सुनी जाती है और उनको हवालात में बन्द कर दिया जाता है तथा उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाता है जब तक वे पूरा धन न अदा कर दें। रायबरेली नगर में सरदार गुरबचन सिंह के साथ यही अत्याचार किया गया। उसकी अदायगी का वादा न मानकर उसे कई दिन हवालात में बन्द रखा गया इसकी जांच हो।

यहां पर कांग्रेस के २०, २१ साल के शासन के बारे में बहुत कहा गया और जब यहां पर संविद का शासन था उस समय तो यह कहना उनका तकियकलाम सा हो गया था आज भी बहुत सी बातें कांग्रेस के शासन के लिये कही गयी हैं। मैं कहता हूं कि संविद के १० महीने के काल में ही जनता के दस हजार कर्म इस उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। गल्ला वसूली के सिलसिले में मैं कहता हूं। अभी कहा गया है कि अगर गल्ला वसूल नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में भूख से इतने आदमी मर जाते कि लाशों के ढेर लग जाते। यह बात बहुत ही गलत है और निरा बकवास है। गल्ला वसूली की तानाशाही ने उन भोले भाले इन्सानों के भी आखों में आंसू पैदा कर दिये।

जो कल्पना तक नहीं कर सकते थे कि उनसे इस निर्ममता के साथ अधिकारी लोग पेश आयेंगे और इस तरह से गल्ला वसूल करेंगे। उन्होंने बहुत निर्मम व्यवहार किया। चौधरी चरण सिंह की सरकार का यानी संविद सरकार का यदि कोई विफलता का मुख्य कारण रहा है तो वह यही कि उन्होंने जबरन गल्ला वसूल करने में अनुचित ढंग से किसानों से व्यवहार किया और मनमाने ढंग से अधिकारियों ने किसानों को सताया।

*श्री मुंशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जनता का भेजा हुआ दूसरी दफा मुझे बोलने का मौका आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। मैं सदन के सामने यह बात बतलाना चाहता हूं कि मैं एक नौजवान आदमी हूं यदि मुझसे कोई गलती हो जाय तो मुझे माफ किया जाय। महा महिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसानों की सुविधा की बहुत-सी बातें कही गई हैं। जिधर भी किसानों को प्रोत्साहन देने के लिये सबजी पैदा करनेके लिये अच्छे किस्म के चीज दिया गया है उनको उतनी उससे कीमत नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिये थी। आलू का अच्छे किस्म का बीज उनको दिया गया और ४० किलो बीज उन गरीब किसानों ने १३० रुपये के हिसाब से खरीदा लेकिन उनको उतना लाभ उससे नहीं हुआ है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में वही आलू २, २॥ रुपये मन के हिसाब से बिक रहा है। ऊंचे दाम पर बीज लेकर भी उनको फायदा नहीं मिला है। इसी तरह से लहसन का बीज उन्होंने २०० रुपये मन में खरीदा लेकिन उसका भी लाभ उनको नहीं मिल रहा है। सरकार को आलू की कीमत में संरक्षण देना चाहिये जिससे आलू की कीमत ज्यादा न गिरे और किसानों के रहन सहन का स्तर भी नीचे न गिर पाये।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दूसरी बात यह कही गई है कि हरिजनों के लिये पीने के पानी के कुएं बनाने के लिये अनुदान दिया जायगा और उसके लिये रुपया भी इसमें रखा गया है लेकिन पानी पीने के कुएं बनाने से केवल हरिजनों का भला नहीं हो सकता है। पिछले २० सालों के अन्दर जो काम हरिजनों के लिये किया गया है वह सब दिखाने के लिये ही हुआ है यह रकम जो कुएं बनाने के लिए रखी गई है इससे भी कोई कल्याण हरिजन भाइयों का होने वाला नहीं है। नौकरियों में हरिजन भाइयों का १८ प्रतिशत का कोटा फिक्स है उसको भी सरकार ने पूरा नहीं किया है। इसके साथ हम इस सदन से यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रदेश की आबादी में ३ करोड़ आबादी हरिजनों की है। उनको जो प्रतिशत देने का निश्चय कांग्रेस सरकार ने किया था उसको आज तक पूरा नहीं किया गया है। कांग्रेस सरकार यह समझती है कि अगर किसी हरिजन को मिनिस्टर बना दिया जाय तो उसका प्रतिशत पूरा हो गया। यह केवल दिखावे की बात है मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि जिन हरिजनों के साथ यह रियायत की जा रही है उनको दिखावे के लिये किया जा रहा है। यह केवल दिखावा मात्र है। कोठारी आयोग में अध्यापकों के विषय में जो पुलखा गया है.....

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२० मार्च, १९६९

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३ एल०—ए० १९६९—८७०।